Status of Female Education Among Gonds, 1950-2011

Dissertation

Submitted to

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(CENTRAL UNIVERSITY)

LUCKNOW

In Fulfillment for the Award of
Master of Philosophy
In

History

SUBMITTED BY
SUMAN KUMARI

ENROLLMENT NO- 1275/16
UNDER THE SUPERVISION OF
Prof. SHURA DARAPURI
DEPARTMENT OF HISTORY
SCHOOL FOR AMBEDKAR STUDIES

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
(A CENTRAL UNIVERSITY)
VIDYA VIHAR, RAEBARELI ROAD
LUCKNOW-226025
UTTAR PRADESH,
INDIA, 2018

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226 025
Babasaheb Bhimrao Ambedkar University
(A Central University)
Vidya Vihar, Raebareli Road, Lucknow-226 025

Letter No. .....
Date .....

CERTIFICATE

This is to certify that the M.Phil Dissertation titled "**Status of Female Education Among Gonds, 1950 - 2011**" submitted by Ms. Suman Kumari is an original research work and has not been previously submitted in part or full for the award of any other Degree or Diploma to this or any other university.

The M.Phil dissertation submitted to Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow satisfies all the requirements as stipulated in the *Master of Philosophy (M.Phil)* Regulations of the University and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of Master of Philosophy of the University.

Date 6.6.18

Prof. Shura Darapuri
Supervisor
Department of History
BBAU, Lucknow

Prof. Shura Darapuri
Head
Department of History
BBAU, Lucknow

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY

LUCKNOW

प्रज्ञा शील करुणा

ESTABLISHED 1996

DECLARATION

I hereby declare that the dissertation entitled **"Status of Female Education Among Gonds, 1950- 2011"** submitted in partial fulfillment for the degree of **Master of Philosophy** is an authentic record of original work carried out by me under the supervision of **Prof. Shura Darapuri**, Head, Department of History, School for Ambedkar Studies, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University (A Central University) Lucknow. I further declare that this research work has not been submitted before for the award of any other degree or diploma to any University or institution. In keeping with the ethical practice and reporting research information, due acknowledgement have been made wherever the finding of others have been cited.

SUMAN KUMARI

M.phil. History

Enrollment No.1275/16

Place: -Lucknow

Date: - 4/6/2018

ACKNOWLEDGEMENT

I express my deepest sense of gratitude and respect to my supervisior Prof.Shura Darapuri, Head, Department of History, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow, her imperative encouragement, support and the much needed motivation inspite of her busy schedule. This work in its existing form could become possible mainly because of her guidance and valuable suggestion and corrections. Her productive criticism throughout this period has been very useful. She made me work smoothly and enthusiastically with her guidence. I would like to express my gratitude to the staff of the History Department at BBAU, Lucknow for their support in carrying out this research work.

I am also grateful to Prof. S.Victor Babu, Dr.V.M. Ravi Kumar from the Department of History, BBAU. They always inspired me to work hard. I am very thankful to all teachers of my Department for their encouragement and suggestion throughout my research.

After this, I would like to thank my father Mr.Hareram, who inspired me and supported me throughtout this work without his support and inspiration, this work would not have reched completion. His immense knowledge helped me to give my best to this research. I am extremely

thankfull to my parents and support for their love and support they have given me during this journey.

I also feel proud of having very helpful friends like Ms.Renu Devi, Ms.Swati Sharma, who have always boosted my morale and helped me a lot during this journey. I would like to thank all respondent with whom I interacted during my research work for their cooperation which helped me to complete this work successfully.

Date:

Place:

अनुक्रमणिका

अध्याय

प्रथम अध्याय – परिचय

द्वितीय अध्याय – देवरिया के गोंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

तृतीय अध्याय – गोंड महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का एक अध्ययन

चतुर्थ अध्याय - गोंड जनजाति की महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति

पांचवा अध्याय - निष्कर्ष

संदर्भ- ग्रंथ सूची -

अध्याय प्रथम

प्रस्तावना

"यदि आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते है, तो आप किसी व्यक्ति को शिक्षित कर रहे है लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते है तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते है। और महिलाओं को सशक्त करने का मतलब है की पूरे भारत को सशक्त बनाना" ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा मानव के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास की दिशा मे परिवर्तन का प्राथमिक स्तर है और व्यक्तिव निर्माण के साथ–साथ देश की प्रगति मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अशिक्षित बच्चे को परिपक्त और जिम्मेदार वयस्क बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है समाज में किसी भी वांछित बदलाव लाने के लिए शिक्षा एक मौलिक साधन है, जो पूरे विश्व में एक स्वीकृत तथ्य है शिक्षा न केवल मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है बल्कि उनके भविष्य को भी निर्धारित करती है शिक्षा व्यक्तिगत भेदभाव मिटाता है। शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों और पाठकों में मूल्यों को जन्म देते हैं। शिक्षा व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता और राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विकासशील देशो मे अज्ञानता और गरीबी प्रमुख गतिरोधक है और शिक्षा के माध्यम से इस समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। [**यूनेस्को,2002**]

शिक्षा किसी भी देश मे मानव संसाधन, विकास, सशक्तिकरण का केन्द्रीय बिन्दु है। शिक्षा एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समाज के उत्थान क्षमता के स्तर को बढ़ा सकते है, जीवन की बंधाओ को पार कर सकता है। विकास के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोभोमिक आवश्यक माना जाता है। प्रगति के लिये शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा अज्ञानता और गरीबी भारत के विकसित होने मे प्रमुख गतिरोधक है**।** [**एम.एच.आर.डी,2004**]

शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है। जिसके माध्यम से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय खुद को गरीबी से बाहर उठा सकते है, और जिम्मेदार नागरिक बन सकते है। शिक्षा आर्थिक सुधार और सामाजिक बदलाव का भी उपकरण है। शिक्षा मानव अधिकारों मे एक मौलिक मानवीय अधिकार है। यह विकास के लिये महत्वपूर्ण है व व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। शिक्षा केवल मानव विकास और आर्थिक, सामाजिक विकास को ही प्रभावित नहीं करती है, बल्कि लोकतंत्र के लिए मौलिक आवश्यक भी है। शिक्षा के माध्यम से लोग अधिक जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बन सकते है, राजनीति और समाज मे अपनी आवाज़ उठा सकते है, जो की देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जरूरी है। शिक्षा लोगो को सामाजिक और आर्थिक जीवन मे बेहतर जीवन देता है। फिर भी भारत

सहित कई देशो मे लाखों लोगो को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों व भेदभाव के परिणामस्वरूप शिक्षा के अवसरो से वंचित रहना परता है। शिक्षा राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय विकास मे मदद करता है। **[थोरट एंड महामालिक,2005,लरैटल,2008 करदे 2008]**

चीन और सयुंक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है इसमे कुल 496 विश्वविद्यालय है, इनमे से 306 राज्य विश्वविद्यालय, 130 अभर्थी विश्वविद्यालय, 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 49 निजी विश्वविद्यालय और 38 ऐसे जिन्हे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का महत्व प्राप्त है लेकिन आज भी भारत मे सबसे बड़ी अशिक्षित व पिछड़ी हुई जनसंख्या है। भारत मे साक्षरता दर 75.6 प्रतिशत है। भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर 84 प्रतिशत से कम है। भारत की साक्षरता दर मे महिलाओं और पुरुषो की साक्षरता मे भी काफी अंतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जहां पुरुषो की साक्षरता दर 82.14 है वही महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है।

वही समान्य वर्ग की तुलना मे जनजातीय समुदायो की साक्षरता दर की गति अभी भी बहुत धीमी है। सरकारी योजनाओं के बावजूद आदिवासियो की स्थिति और शिक्षा का स्तर मे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी अधिकतर महिलाएं अशिक्षित है। आजादी के 70 साल के बाद भी जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर 50 प्रतिशत भी नहीं है। समान्य वर्ग की तुलना मे आदिवासी महिलाओं की स्थिति व साक्षरता का स्तर बहुत निम्न है।

भारत क्षेत्र के मामले में भारत का सातवां सबसे बड़ा देश है साथ ही दुनिया में आबादी के मामले में दूसरा है। यह 8,43,26,240 की जनजातीय आबादी के साथ बहुसांस्कृतिक और बहुतीय है, जो देश की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत हिस्सा है। देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित अनुसूची के अनुसार 533 जनजातियां (एक से अधिक राज्यों में कई अतिव्यापी प्रकार के साथ) हैं।

देश मे जनजातीय क्षेत्र महत्वपूर्ण हिस्से हैं। कुल मिलाकर, यह अनुमान लगाया गया है कि देश के पूर्व भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 15 प्रतिशत पूर्व–प्रभावशाली आदिवासी क्षेत्रों में शामिल हैं। उनका मुख्य एकाग्रता मध्य भारत और उत्तर–पूर्व में मध्य बेल्ट है। देश की जनजातीय आबादी का लगभग 50 प्रतिशत छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में केंद्रित है।

सदियों से आदिवासी समुदायों अलगाव में रह रहे थे। लेकिन तेजी से औद्योगीकरण के कारण, परिवहन और संचार में प्रगति आदिवासी समुदायों के लिए स्वयं को अलग करने और सांस्कृतिक संपर्कों से बचना मुश्किल हो गया। हालांकि, उनके पिछड़ेपन, अलगाव, अज्ञानता, पारंपरिक व्यवहार और निरक्षरता के कारण, आदिवासी आमतौर पर पलायन, व्यापारियों, ठेकेदारों और मध्यस्थों द्वारा शोषित होते रहते हैं।

यह शोधकर्ताओं द्वारा यह देखा गया है कि भू–विहीनता, गरीबी और समर्थन प्रणाली की कमी सामान्य रूप से जनजातीय और विशेष रूप से महिलाओं की दुर्दशा, भुखमरी और इस प्रकार, एक उप–मानव जीवन जीने के कारण, इसके अलावा, प्रशासनिक कर्मियों की उदासीनता, आदिवासी योजनाओं को लागू करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है।

मान एट(1988) । द्वारा वर्णित आदिवासी महिलाओं की स्थिति के लिए वह प्रचुर जिम्मेदारियों को साझा करते हैं और परिवार चलाने और परिवार को बनाए रखने, खेत श्रम में भाग लेने, घरेलू जानवरों और मुर्गी, पक्षियों को पालते हुए कई कर्तव्यों का पालन करती हैं। आदिवासी महिला अपने दूसरे समकक्ष कार्यों की तरह परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान करने और परिवार को बनाए रखने के लिए भूमिकाओं की बहुलता का प्रदान करती हैं।[(1)] भारतीय महिलाओं की तुलना में आदिवासी महिलाओं की स्थिति बेहतर है। जनजातीय महिलाएं और उच्च जाति महिलाओं की तुलना में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक स्वतंत्रता का आनंद लेती हैं। परंपरागत और प्रथागत आदिवासी मानदंड अपेक्षाकृत अधिक महिलाओं के लिए उदार हैं। हालांकि, आदिवासी महिलाओं को बदलते सामाजिक–आर्थिक परिवेश में सही स्थान होना चाहिए। उनकी भागीदारी परिवर्तन और विकास के सभी कार्यक्रमों में आवश्यक है। निर्णय लेने के स्तर पर वह सामान्य रूप से, पुरुषों के पीछे रह रहे हैं। **(ढीबर आयोग की रिपोर्ट, 1961)।**[(2)]

एल्विन कमेटी (1960**),** (विशेष बहुउद्देशीय आदिवासी ब्लॉकों में समिति) आदिवासी महिलाओं की एक तस्वीर बताती है, "अधिकांश आदिवासी समाजों में महिलाओं को एक उच्च और सम्माननीय स्थान है वह देश के पक्ष के बारे में गर्व से मुक्त हो जाता है। खेतों में और जंगल में वह अपने पति के साथ सुखी संगति में काम करती है। उन्हे प्रारंभिक बाल विवाह के अधीन नहीं किया गया है। वह परिपक्व होने पर उनका विवाह हो जाता है, और अगर उसका विवाह असफल (जो शायद ही कभी होता है) तो उसे तलाक का अधिकार है। "इस प्रकार आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति गैर–आदिवासी समाज से बेहतर है।[(3)]

आदिवासियों के लिए शिक्षा का महत्व

लार्नेर (1962) ने देखा कि आधुनिक समाज को पारित करने के लिए आवश्यक मूल्यों और व्यवहारों की आवश्यकतानुरूप स्थापना के माध्यम से संस्थागत व्यवहार प्रतिरूप के एक नए समूह की शुरूआत करना। इस अर्थ में, आधुनिकीकरण अनिवार्य रूप से एक शैक्षिक प्रक्रिया है। शिक्षा निस्संदेह सफलता की कुंजियों में से एक है जो विभिन्न दिशाओं में विकास के लिए दरवाजे खोलती है। यह परंपरागतता से आधुनिकता के लिए संक्रमण के सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए साक्षरता, आधुनिकीकरण के लिए सूचकांक और प्रतिनिधि दोनों ही है।[(4)]

इस प्रकार समाज के प्रकार और उसके सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक आधार के बावजूद साक्षरता के मामले में शिक्षा महत्वपूर्ण है। हालांकि समस्या, विशेष व्यावसायिक और अन्य कौशल के प्रकार के रूप में उत्पन्न होती है, जिन्हें शिक्षा के द्वारा समुदाय में विकसित करने की आवश्यकता होती है। शिक्षा पर समाज के विकास का स्तर निर्भर करता है। आदिवासी समुदाय, जो लंबे समय तक शिक्षा से अनजान रहे, इसलिए उन्हे केवल सामान्य साक्षरता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अन्य कौशल की भी हैं, जो उन्हें जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने और आधुनिकीकरण का अनुभव करने के लिए तैयार करते हैं। **ग्रिगसन (1945, ओ.पी.आई.टी.),** जिसने पहली बार आदिवासियों की समस्याओं का अनुभव किया था, और कहते हैं कि हमें आदिवासियों के बीच इस तरह की शिक्षा शुरू करने की ज़रूरत है, जो उन पर सच्चाई बहाल करेगी। [5]

जनजातीय महिलाओं के बीच शिक्षा

यह देखते हुए कि आदिवासी महिलाओं के अपने ही समाज में उनके गैर–आदिवासी समकक्षों की तुलना में उच्च स्तर पर है, यह आवश्यक है कि उन्हें तेजी से प्रगति के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।

अम्बाशट (1970) ने कहा है कि आदिवासी महिलाओं के लिए सामग्री, विधियों और सामग्रियों को उनकी बोली जाने वाली भाषा और उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताओं (कार्य विशिष्ट, संस्कृति विशिष्ट, आदि) के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। वर्तमान दृष्टिकोण को एक नया रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जनजातीय वयस्कों के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए एक समान शिक्षण के बारे में बात करने के लिए उपयुक्त है लेकिन यह जानना आवश्यक होना चाहिए कि आदिवासी महिलाओं की जरूरत आदिवासी पुरुषों से अलग है। उदाहरण के लिए, इस खंड की विशेष जरूरतों के अनुसार, बच्चे को पालन करने की प्रथाएं, बच्चों की देखभाल आदि।[6]

नाइक (1969, ओ.पी.आई.टी.) ने देखा कि आदिवासी महिलाएं उनकी शैक्षिक स्थिति में बेहद अहम बदलाव करती हैं, जो अंततः व्यवसाय में गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। खासकर, आदिवासी लड़कियों को अपने घर के काम से उच्च शिक्षा के लिए कोई समय नहीं मिला। माता–पिता अपनी बेटी की शिक्षा के बारे में बहुत विशिष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि यह परिवार को खराब करेगा। लड़कियों को शैक्षिक प्राप्ति में अत्यधिक स्थिर माना जा रहा है और इसलिए, प्राथमिक स्तर पर भारी गिरावट का परिणाम है। आदिवासी समाज में महिलाओं की शिक्षा के प्रति इस परंपरागत मान्यताओं और मूल्यों के अतिरिक्त उनकी शिक्षा में बाधा आती है।[7]

जनजातीय शिक्षा की स्थिति

पूर्व–स्वतंत्र भारत में प्रचलित सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के विकास पर असर पड़ा है। नतीजतन, अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा की शुरुआत बहुत धीमी है। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, क्योंकि योजनबद्ध विकास के कारण साक्षरता के मामले में जनसंख्या और अन्य के बीच व्यापक असमानता अभी भी जारी है।

एन°एस°एस°ओ 1991 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, असम, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, आदिवासियों के बीच साक्षरता दर कम हो गई थी, 25.9 प्रतिशत और आदिवासी महिलाओं (14.5 प्रतिशत) के बीच विशेष रूप से अधिक। अनुसूचित जनजातियों में से अधिकांश साक्षर केवल प्राथमिक स्तर तक साक्षर थे। देश के भीतर आदिवासियों के बीच साक्षरता का स्तर व्यापक रूप से भिन्न होता है। एक छोर पर आदिवासी समुदायों जैसे कि मालपानंदम, सुहांग आदि दक्षिण में उनके बीच शायद ही कोई साक्षर है, जबकि दूसरे छोर पर, 40% से अधिक साक्षरता के साथ उत्तर पूर्व हिमालय में लुशाई जैसे समुदाय है। आंध्र प्रदेश (14.5 प्रतिशत) में आदिवासियों के बीच सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई और मिजोरम (80.0 प्रतिशत) में सबसे ज्यादा। राजस्थान (4.1 प्रतिशत) में महिलाओं के बीच सबसे कम साक्षरता पाया गया। प्रदेशों में लक्षद्वीप (79.1 प्रतिशत) में आदिवासियों के बीच उच्चतम साक्षरता देखी गई। कुछ अलग–अलग जनजातियों पर अध्ययन ने साक्षरता दर को कम दिखाया अर्थात 3.3 प्रतिशत को बस्तर जिले के आदिम अभुजमरिया जनजाति, मध्य प्रदेश में देखा गया।[8]

अनुसूचित जनजातियों के बीच समग्र साक्षरता 1961 में 8.53 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 47.10 प्रतिशत हो गई, जो काफी सुधार दिखाती है लेकिन फिर भी दूसरों की तुलना में बहुत कम है। निम्नलिखित तालिका में साक्षरता दर की तुलनात्मक तस्वीर पिछले छः दशकों में प्रस्तुत की गई है। जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता में वृद्धि के साथ–साथ आदिवासी विकास के बदलते परिदृश्य का अर्थ है और रेखांकित करता है। क्या शिक्षा आदिवासी महिलाओं की स्थिति बदल रही है? यह एक उचित मुद्दा है जिसे संबोधित किया जाना आवश्यक है। निम्न तालिका इस परिवर्तन की एक झलक दिखाती है।

(तालिका 1.1) अनुसूचित जनजातियों और सभी सामाजिक समूहों में साक्षरता दर (1961-2001)

भारत की साक्षरता दर	समान्य वर्ग			अनुसूचित जनजाति		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1961	40.4	15.5	28.3	13.3	3.16	8.3
1971	45.6	21.7	34.5	17.3	4.85	11.0
1981	56.8	29.6	43.7	24.2	8.4	16.5
1991	64.3	39.9	49.1	40.5	18.9	29.0
2001	75.6	53.7	64.4	59.7	34.6	47.0
2011	80.9	64.4	72.9	68.3	49.5	58.6

स्रोतः www.tribal.nic.in (जनजातीय मंत्रालय)

आदिवासी महिलाओं की साक्षरता के संदर्भ में विकास दर अपेक्षाकृत कम थी। लेकिन केंद्र सरकार के स्तर और राज्य सरकार के स्तर पर और आदिवासी समूहों द्वारा सहभागिता के समय और प्रयासों के साथ–साथ, आदिवासी महिलाओं के बीच शैक्षिक स्तर का परिदृश्य बदले में बदल रहा है। 1991 के भारत की जनगणना के अनुसार आदिवासी महिलाओं के लिए साक्षरता दर 18.19 प्रतिशत थी, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार यह 34.76 प्रतिशत थी, और 2011 मे 49.5 जो काफी वृद्धि दर्शाती है। यदि हम वर्ष 1961 से परिवर्तन देखते हैं तो आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 1961 में सिर्फ 3.16 फीसदी था और 2011 में बढ़कर 49.5 फीसदी हो गया है। जबकि सभी भारतीय महिला साक्षरता दर 1961 में 15.35 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 64.4 प्रतिशत हो गई है, इस प्रकार इसमें लगभग 5.5 गुना वृद्धि हुई है।

एक तुलनात्मक बयान (तालिका 1.1) दर्शाता है कि सामान्य आबादी और जनजातीय आबादी की साक्षरता दर के बीच अंतर को कम करने का एक प्रवृत्ति है। अखिल भारतीय स्तर पर 1991 की जनगणना के अनुसार, इन समूहों के बीच साक्षरता दर में अंतर 22.6% था, जो 2001 की जनगणना में 17.7% कम था।

यह उपरोक्त तालिकाओं से देखा गया है कि आदिवासी शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है और आदिवासी महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति समाज के सभी समूहों की तुलना में भी कम है, वहां स्पष्ट रूप से जनजातियों की साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार है एक संपूर्ण और आदिवासी महिला विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, आदिवासी महिलाओं की तुलना में उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम साक्षरता

दर हो रही है, हालांकि, साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है जब हम अन्य सभी सामाजिक समूहों की महिलाओं की साक्षरता दर की तुलना में देखते हैं।

समस्या का विवरण

भारत का संविधान राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत प्रदान करता है कि राज्य को आदिवासियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाना चाहिए। सरकार आदिवासियों के बीच साक्षरता में तेजी लाने के लिए विभिन्न मामलों पर प्रयास कर रही है। अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक साक्षर करने के लिए प्रयास किए गए हैं, आदिवासी क्षेत्रों मे डिग्री विश्वविद्यालय, विशेष भत्ते और आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे शिक्षकों की अन्य सुविधाओं का प्रावधान, शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक अनुदान, छात्रावास, आदि की मुफ्त आपूर्ति आदि शामिल हैं।

शैक्षिक कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए निवेश किया गया है और इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए इसे सुलभ बना दिया गया है। छात्रवृत्तियों के विस्तृत कार्यक्रम, स्कूलों और विश्वविद्यालय में सीटों के आरक्षण के साथ–साथ अन्य सहायक सुविधाओं के संचालन में हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को कई सुविधाओं, शैक्षिक संस्थानों और सरकारी विभागों में सीटें आरक्षित, और अलग–अलग हॉस्टल, डिग्री विश्वविद्यालय की स्थापना सहित प्रोत्साहन सहित कई प्रोत्साहनों के साथ प्रदान कर रही हैं। यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता का पर्याप्त प्रसार न होने के कारण उन्हें लंबे समय में समान स्तर पर समाज के अन्य वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की संभावना है। बस्तियों के भीतर शैक्षिक सुविधाओं के प्रावधानों को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है जो कि जनजातियों के बीच शिक्षा के स्तर में वृद्धि को सकारात्मक रूप से योगदान करता है। इन कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्य इन पारंपरिक समुदायों को आधुनिकता की दिशा में विकसित करने के लिए किया गया है ताकि उन्हें अपने लिए राष्ट्रीय प्रणाली में एक न्यायसंगत और सही स्थान प्राप्त कर सकें।

जहां तक गोंड जनजाति की महिलाओं का संबंध है, परंपरागत रूप से वे अपने समाज में उच्च स्तर का आनंद उठाती हैं। भारतीय नृविज्ञानियों ने ज्यादातर इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि गोंड जनजाति में महिलाओं की शक्ति का स्थान है। अपने समाज में उनकी समान स्थिति के मुख्य योगदान कारक यह है कि भारतीय समाज में जनजातीय महिलाओं ने आर्थिक गतिविधियों की और सकारात्मक रूप से योगदान दिया है, वह समान रूप से, पुरुषों के साथ–साथ आर्थिक गतिविधियों में लोक और आजीविका कमाई – वे सभी कृषि कार्यों में भाग लेती हैं खेती, वे स्वदेशी कुटीर उद्योगों, आदिवासी कलाओं और कलाकृतियों के उत्पादन के सभी क्षेत्रों में काम करते हैं। दूसरे शब्दों में वे उत्पादन प्रक्रिया में प्रमुख जिम्मेदारियां साझा करती हैं।

जनजातीय महिलाओं को उनके परिवार के लिए आर्थिक योगदान की वजह से अपेक्षाकृत उच्च दर्जा दिया था, जो मुख्य रूप से संसाधनों की प्रचुरता पर निर्भर था। हालांकि, पुरुष वर्चस्व समाज के कारण आदिवासी महिलाओं की स्थिति में निम्न बदलाव लाए हैं। बाहरी लोगों द्वारा खनिज और अन्य संसाधनों के अलगाव और नियंत्रण के कारण, उनकी स्थिति का आधार खो दिया गया। एक तरफ उन्होने भूमि और जंगलों तक पहुंच खो दी जो कि उन्हें आर्थिक अवसर उपलब्ध करती थी, क्योंकि वह निरक्षरता के कारण कुशल नौकरियां भी नहीं पा सकी थी।

राज्य की पहल के साथ और विभिन्न सामाजिक सेवा एजेंसियों के प्रयासों के साथ और जाहिर है, अपनी स्वयं की भागीदारी के साथ, समय समय के साथ चीजें अपेक्षाकृत बदल रही हैं। साक्षरता दर और शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ, पिछली कुछ दशकों से शिक्षित महिलाओं की भूमिका और आदिवासी समाज में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब यह सवाल नहीं है कि महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से करने में सक्षम हैं। शिक्षित महिलाओं के लिए विवाह और काम आज के समाज में महान सामाजिक हित और महत्व के हैं। शिक्षित महिलाओं द्वारा परिवार और विवाह की संस्था में परिवर्तन को गति प्रदान की गई है परिवार के भीतर सामाजिक संबंधों का स्वरूप बदल रहा है। बदले में ये परिवर्तन सामाजिक संरचना में परिवर्तनों में योगदान करते हैं। शिक्षित महिलाओं का उद्भव जनजातीय समाज में होने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों का संकेत है। शिक्षित रोजगार वाली महिलाओं के विचार और राय उनकी भूमिका की धारणा में स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता हैं। यह स्पष्ट है कि उन्हें प्रदान शैक्षिक अवसरों के कारण महिलाओं की भूमिका और स्थिति बदल रही है। वास्तव में उनकी शैक्षिक प्राप्ति, वास्तव में उनकी स्थिति को प्रभावित करने वाली समस्या कितनी दूर है, जो इस अध्ययन का प्रमुख शोध प्रश्न है।

वर्तमान अध्ययन की आवश्यकता

भारत के आदिवासियों के अध्ययन और अनुसंधान की काफी लंबी परंपरा है जिसमें मानव विज्ञान, नृवविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, जनसांख्यिकी और अन्य अनेक विषयों शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने अपने स्वयं के अनुशासन के दृष्टिकोण से ऐसा किया ज्यादातर सामाजिक शोधकर्ताओं ने भारत के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय समुदायों के उत्थान और सुधार के लिए सामाजिक–आर्थिक समस्याओं और अन्य सरकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की थी।

यह पाया जाता है कि आदिवासी अध्ययनों की कमी है, जो कि विशेष रूप से सामान्य और आदिवासी महिलाओं में जनजातीय लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना है। आदिवासियों में शिक्षा के प्रभाव को समझने और सुझाव देने के लिए व्यवस्थित शोध आवश्यक हैं, जो आदिवासी समुदायों में शिक्षा के विस्तार को गति देगा। इसलिए, आदिवासी समूहों के गहन अध्ययन

आवश्यक हैं ताकि आदिवासी शिक्षा की समस्याओं और संभावनाओं की स्पष्ट और व्यापक समझ प्राप्त कर सकें।

यह देखा गया है कि गोंड जनजातियों पर विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर कई अध्ययन किए गए हैं। हालांकि, यह देखा गया है कि केवल कुछ अध्ययनों में गोंड जनजाति पर शिक्षा के प्रभाव के मुद्दे को आमतौर पर और गोंड जनजाति की महिला विशेष रूप से शामिल किया गया है। इस प्रकार गोंड जनजाति के आगे के अध्ययन के लिए उनके समुदाय की महिलाओं पर शिक्षा के प्रभाव से संबंधित पर्याप्त मात्रा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, गोंड के वर्तमान अध्ययन के प्रयासों, योजनाकारियों द्वारा उपयोग के लिए इस मुद्दे पर आकड़ों को संग्रह के लिए उत्तरप्रदेश राज्य के जिला देवरिया प्रयास किया गया है, शोधकर्ताओं, विस्तार कार्यकर्ताओं और अन्य सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों को योजना तैयार करने और उपयुक्त अनुसंधान, शिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों को तैयार करने में। कि इस अध्ययन के निष्कर्षों को व्यापक स्पेक्ट्रम में डालकर, इस क्षेत्र के शोधकर्ताओं को विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं और आदिवासी समाज पर शिक्षा के प्रभाव की दिशा को समझने के लिए एक बड़ा विचार प्राप्त होगा।

साहित्य की समीक्षा

यह प्रत्येक शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण कार्य है कि उसे अपने शोध के क्षेत्र मे पहले से किये गए कार्य के बारे मे आवश्यक जानकारी होना चाहिए। (**best 1962**) का कहना है, “किसी भी समस्या के क्षेत्र मे उससे संबंधित साहित्य के साथ एक परिचित छात्र को पहले से ज्ञात होने से खोज करने मे मदद मिलती है, कि अन्य लोगो ने क्या पता लगाया है, जांच किस तरीके से हो रही है और निराशाजनक है या क्या समस्याओ का हल हो रहा है।

शोधकर्ता भी मानते है कि संबंधित साहित्य की प्राप्ति सफलता पूर्वक जांच करने मे मदद करती है और अध्ययन के बारे मे जानकारी एकत्र करने जरूरी है। संबंधित विषयो पर उपलब्ध प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा निम्नलिखित प्रमुखो के तहत वर्गीकरण कि गई है :

- भारत मे जनजातीय महिला शिक्षा से संबंधित अध्ययन।
- जनजातीय महिलाओ पर शिक्षा का प्रभाव तथा उनकी स्थिति।
- गोंड जनजाति की महिलाओं की स्थिति व शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण।

भारत मे जनजातिय महिला शिक्षा से संबंधित अध्ययन

1. **टी शंकरा रेड्डी (1996)**[9] ने बताया है कि आदिवासी महिलाओं का विकास तब तक नहीं होगा, जब तक आदिवासी समुदाय की समस्याओ का विकास नहीं होगा अपितु जनजातीय समुदाय मे शिक्षा के साथ–साथ जनजातीय क्षेत्र का भी विकास आवश्यक है तभी उस क्षेत्र मे निवास कर रहे सभी वर्गो का विकास संभव है। इसके अलावा शोधकर्ताओ व नीति निर्माताओ को चाहिए कि जनजातीय क्षेत्रो का सूक्ष्म अध्ययन कर इन क्षेत्रो के लिये विकास योजनाओ को लागू करने की पक्ष समर्थन करे। अध्ययन के पाठ्यक्रम मे उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यो और जनजातिय भाषा और साहित्य, काम की प्रक्रिया मे सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यो और स्कूलों तथा विश्वविद्यालय को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास आवश्यक है। यह जनजातीय क्षेत्रो मे औपचारिक शिक्षा और महाविद्यालय की शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के साथ नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हमे शिक्षा और उच्च शिक्षा की एक नई अवधारणा विकसित करने की जरूरत है।

2. **सिंह बी॰ पी॰ (1989**)[10] – ने अपने शोध मे जनजातिय महिलाओं की शक्ति की तरफ भी ध्यान दिया है और निष्कर्ष मे यह बताया है कि जनजातिय महिलाओं के जीवन स्तर मे वृद्धि के लिए केवल शिक्षा की योजना मात्र लागू करने करने से संभव नहीं ही सकता यदपि उनके उथान के लिए अलग से विनियोग किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम अत्यंत पिछड़े क्षेत्रो का चयन करना चाहिए तत्पश्चात आवागमन के पास वाले क्षेत्रो का चयन करना चाहिए क्योकि :-

    - अत्यंत पिछड़े क्षेत्र शहर से दूर होते है जहां आवागमन दुर्लभ होता है।
    - शिक्षण संस्थाए नगण्य होती है जिसके कारण शिक्षा का स्तर नीचे होता है।
    - जनजातिय लोग अपने प्राचीन परम्पराओ पर ही जीवन जीता है, वह शासकीय योजनाओ से अनभिज्ञ है।

3. **बर्मन बी॰के॰ राय (1990)**[11] - ने अपने अध्ययन मे भारत की जनजातिय महिलाओं तथा जनजातिय विकास की चुनौतियों पर अध्ययन किया जिसमे यह निष्कर्ष निकाला कि समाज मे शिक्षा जनजातिय महिलाओं के विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसके लिए शिक्षा के साथ–साथ शिक्षा के प्रति जागरूकता के समय–समय पर कल्याणकारी योजनाओ के शिविर आयोजित किए जाने चाहिए जिससे जहां एक और प्रशिक्षण होगा वही दूसरी और इन्हे रोजगार प्राप्त करे के अवसर मिलेगे।

4. **सच्चिदानंद (1989**)[12] – ने अपने शोध मे महिलाओं तथा उनके विकास पर ज़ोर दिया है इनका यह शोधकार्य जनजातिय क्षेत्रो के उद्दोगों मे कार्य करने वाली महिलाओं पर केन्द्रित है। जिसमे यह

निष्कर्ष निकाला कि जनजातिय महिलाए सुबह से शाम तक उद्दोगों तथा प्रवासी ठेकेदारो के मध्य कार्य करती है जिनकी उचित मजदूरी भी उन्हे नहीं मिल पाती है। इनका शोषण किया जाता है क्योंकि शिक्षा की कमी इनकी कमजोरी है। इनका देहिक शोषण भी होता है क्योंकि ठेकेदार प्रथा के मध्य इनका जीवन यापन होता है। जनजातिय महिलाओं को रोजी रोटी के लिए तथा अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करना पड़ता है इसलिए अधिकतर महिलाओं का शिक्षा की ओर रुझान कम होता है क्योकि गरीबी के कारण उनके पास शिक्षा के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है।

5. **प्रो॰ जगदीश भगवती**[13] - ने अपने अध्ययन मे अनुसूचित जानजातियों के विकास की मुख्य आवश्यकता उनकी शैक्षिक उन्नति है। साथ ही यह अनुभव किया गया है कि शिक्षित होकर यह वर्ग के लोग अपनी उन्नति का मार्ग ढुढने मे समर्थ हो सकते है। इस प्रष्ठभूमि मे शासन ने इन वर्गो के विकास और कल्याण के संदर्भ मे शैक्षिक विकास की योजनाओ पर ज़ोर दिया। अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला की उच्च शिक्षा अत्यधिक खर्चीली होती है यह भी शिक्षा मे महिलाओं की शिक्षा मे बड़ी बांधा है। गरीब परिवार मे यह और भी अधिक वय्य साध्य होती है। क्योंकि लड़कियाँ ग्रहकार्य मे मदद करती है। तभी वयस्क सदस्यो को उत्पादन कार्य करने का समय मिल पता है ।

6. **प्रो॰ किशलय घोष**[14] – ने अपने अध्ययन के द्वारा बताया है अनुसूचित जनजाति की महिलाओं मे शिक्षा का स्तर निम्न है। महाविद्यालय मे इन समुदायो का पंजीयन भी अन्य समुदायो की तुलना मे निम्न है इसका प्रमुख कारण है, शिक्षा के प्रति कम जागरूकता और रोजी रोटी समस्या मे बांधा उत्पन्न करती है। लेकिन यह भी सत्य है कि शासन द्वारा वर्षो के प्रयास के बाद भी जनजातिय समुदाय मे साक्षारता का प्रतिशत बहुत कम है, विशेषकर जनजातिय महिलाओ के संदर्भ मे यह कटु सत्य है। इस स्थिति के सुधार के लिए शिक्षा पद्धति मे परिवर्तन करना आवश्यक है और जनजातीय महिलाओ के लिए नई शिक्षा नीति लागू करनी चाहिए।

7. **प्रो॰ बासु**[15] **–** ने यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा महिलाओ को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है उन्होने अकड़ो के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि निरक्षर महिलाओ कि तुलना मे शिक्षित महिलाए अपने अधिकारो के संबंध मे अधिक जागरूक होती है।

8. **संध्या रानी**[16] - ने अपने आलेख से यह बताया है कि देश भर मे आदिवासी समुदाय को विभिन्न प्रकार की सुविधाओ से वंचित है जैसे शिक्षा और अन्य संसाधनो से अलगाव विशेष रूप से आदिवासी महिलाए राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से दूर है, लेकिन उन्हे सामन्य रूप से समाज को

प्रभावित करने वाले सामाजिक–आर्थिक बदलावो के प्रभाव से दूर नही रखा जा सकता है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया मे, आदिवासी महिला परंपरागत उत्पादन प्रणाली से घर, परिवार, और बच्चो को पालन के लिए मजबूर किया जाता है, यहा तक की स्वय के जीवन को भी नियंत्रित करती है मुख्य बात यह है कि बड़ी संख्या मे जनजातिय महिलाओं ने अलग–अलग चरणो पर शिक्षा खो दी है और उनको शिक्षा के द्वारा सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ताकि उन्हे आर्थिक गुणो और यहा तक की सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी है। यह अक्सर आरोप लगाया जाता है कि एक समूह के रूप मे इन महिलाओ को कम स्तर की आकांक्षा होती है और उनके पास क्या है वह उससे बहुत संतुष्ट है। यह अक्सर महिलाओ के लिए सच नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए जो असहाय और निराश महसूस करता है। हालांकि, आकांक्षा के स्तर को विकसित और बढ़ाने के लिए पर्याप्त शैक्षिक अवसरो की अवश्यकता होती है ताकि वह भी भाग लेने के लिए प्रेरित हो सके, और अंत मे विकास की और अग्रसर हो सके। इसलिए, यह पत्र मे आदिवासी लड़कियो और महिलाओ की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

9. **प्रो° मालविका कालर्कर**[17] – ने अपने अध्ययन मे यह बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र मे लड़कियों की सफलता का प्रतिशत लड़को से अधिक होने पर भी विद्यालय और उच्च शिक्षा मे उनका नामांकन संख्या बहुत कम है, क्योकि बहुत से परिवारों मे सह–शिक्षा को उचित नहीं माना जाता है तथा लड़कियो के लिए प्राथमिक विद्यालय व विश्वविद्यालय की व्यवस्था न होने से लड़कियो की नामांकन संख्या कम हो जाती है। अध्ययन के निष्कर्ष से यह बताया गया है कि गरीब परिवार की 75 प्रतिशत लड़कों से पूरी पढ़ाई करवाना चाहती है, लेकिन लड़कियों को कक्षा तीसरी या पाँचवी के बाद पढ़ाई बंद करवा देती है क्योकि उन्हे लड़कियों से ग्रहकार्य मे मदद मिलती है।

    a. साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र शहर के समीप है वहां की महिलाए अधिक शिक्षित है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो का शहर से दूर या पास होना तथा आवागमन की सुविधा भी महिला शिक्षा को प्रभावित करती है।

आदिवासी महिलाओ पर शिक्षा का प्रभाव तथा उनकी स्थिति।

1. **प्रो° मेहता (1969)**[18] **–** ने अपने अध्ययन से यह बताया है कि जनजातिय महिलाओं मे साक्षरता दर कम होने का एक कारण यह भी है कि माता–पिता अपनी लड़कियों का विवाह जल्दी कर देते है, अतः प्राथमिक कक्षा से इंटर तक उनकी संख्या बहुत कम होती जाती है। शिक्षा का स्तर तथा रोज़गार या व्यवसाय जन्म दर को प्रभावित करते है। अकड़ों से उन्होने स्पष्ट किया है कि निरक्षर महिलाओं की तुलना मे साक्षर महिलाये देर से विवाह करती है। शिक्षा के स्तर तथा जन्म

दर मे विपरीत संबंध होता है। वह न स्वय शिक्षा के प्रति जागरूक होते है न अपनी लड़कियों को शिक्षा के लिए जागरूक करते है। वह अपनी लड़कियों को केवल घरेलू कार्य तक ही सीमित रखते है। इस कारण भी उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति उच्च नहीं हो पाती है।

2. **प्रो॰ डी॰ एन॰ मजूमदार (1973)**[19] – ने अपने अध्ययन से यह पाया कि जनजातीय महिलाये बहुत ही मेहनती होती है। इसके बावजूद भी समाज मे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। रुढ़ीवादी सोच के कारण उन्हे अपने परिवार तक ही सीमित रखा जाता है, परिवार की ओर से उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के बंधन लगा दिये जाते है। इस कारण वह अपने अधिकारो व शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो पाती है। उनमे साक्षरता दर बहुत कम पाया जाता है।

3. **प्रो॰ पापा कोंडविति**[20] – ने ग्रामीण महिलाओ के संदर्भ मे अध्ययन मे बताया की विश्व के संबंध मे उनकी अज्ञानता से उनके पिछड़े होने का पता लगता है। उनमे कोई राजनीतिक जागरूकता नहीं है। गरीबी तथा महिलाओं के विकास के लिए शासकीय योजनाओ की जानकारी भी उनको नहीं है। महिला शिक्षा के विषय मे जनजातीय समुदाय को जागरूकता तो है। लेकिन गरीबी वह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बालिकाओ को विद्यालय, महाविद्यालय भेजने मे उन्हे कठिनाई होती है।

4. **अपर्णा मित्रा** (2007)[21] - ने एक पत्र "भारत मे अनुसूचित जनजाति मे महिलाओ की स्थिति को सामाजिक–अर्थशास्त्र के जर्नल मे प्रकाशित किया था। अनुसूचित जनजाति भारत की कुल आबादी का लगभग 8.2% है, यद्यपि मानवविज्ञान साहित्य का एक बहुत बड़ा हिसा है, और भारत मे विभिन्न आदिवासियो के बीच अंतर है। भारत मे जनजातिय आबादी के बीच महिलाओं की स्थिति को उजागर करने के लिए बहुत अंतर अनुशासनात्मक शोध किया गया है। यह पत्र भारत मे अनुसूचित जनजातिय के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओ के लिए इस विश्लेषण के माध्यम से, हम आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता और तथ्य से देखेगे की अनुसूचित जनजाति मे भी महिलाओं के साथ भेद–भाव किया जाता है।

5. **शाह और पटेल**[22] - के अनुसार आदिवासी लड़कियों की शिक्षा मे निरोधक का मुख्य कारक है कि आदिवासी समाज मे लड़कियो को अपने परिवार और घरेलू गतिविधिवो मे अपने परिवार की मदद करने की अवश्यकता होती है, आदिवासी गरीबी व आर्थिक स्थिति, शिक्षा की कीमत और कॉलेज मे लड़कियो को भेजने की परंपरा नही है यही कारण है कि विद्यालय और विश्वविद्यालय मे बहुसंख्यक आदिवासी लड़कियाँ घरेलू परम्पराओ के कारण अपनी पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त नही दे सकते है। प्रो॰ पटेल ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति के विभिन्न जातियो की महिलाओं की

स्थिति की तुलना भी की है। उन्होने स्पष्ट कहा है कि अनुसूचित जनजातियों की महिलाओ की निम्न शैक्षिक दर का प्रमुख कारण गरीबी व शिक्षा के प्रति उदासिनता है।

6. **काउंसिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च**[23] - के द्वारा अनुसूचित जनजाति, महाविद्यालय के छात्रो के अध्ययन ने अपनी सामाजिक प्रष्ठभूमि और उनके शैक्षिक और व्यावसायिक आकांक्षाओ पर कुछ प्रकाश डाला है। इस अध्ययन के शुरुआती स्तर के दिनों मे आयोजित किया गया और पंद्रह विभिन्न राज्यो को कवर किया गया। निष्कर्ष बताते है कि अनुसूचित जनजातियो की सामान्य जनसंख्या की साक्षरता की दर आदिवासी छात्रो की तुलना मे अंतर होता हैं, और विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय मे छात्रो के नामांकन मे भी काफी अंतर पाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण शोध यह है छात्रो को उच्च शिक्षा की आकांक्षाए है, उनमे से अधिकांश स्नानकोत्तर डिग्री प्राप्त करना चाहता है। कला पाठ्यक्रमो मे आदिवासी छात्रो कि उच्च एकाग्रता है। लेकिन उचित मार्ग दर्शन के अभाव मे विज्ञान और वर्णिज्य विषय मे छात्रो की संख्या कम है।

7. **ए॰ सी॰ सिंह एव ए॰ वी॰ साधू**[24] - ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि अधिकत्तर जनजातिया गरीब व निरक्षर तो है, साथ ही अतिरिक्त जिन क्षेत्रो मे वह रहते है वहा रोजगार के अवसर भी बहुत कम मिलते है। इन दूर दराज क्षेत्रो मे किसी प्रकार के कोई उद्दोग भी नहीं रहते जहां युवा जनजाति को रोजगार मिल सके। ताकि रोजगार मिलने पर वह अपनी गरीबी दूर कर सकते है।

8. **प्रो॰ शाहा (1974)**[25] – ने अपने अध्ययन मे कहा है कि जनजातीय छात्रों का नामांकन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे – इंजीनियरिंग, कृषि चिकित्सा, विज्ञान आदि मे बहुत कम रहा है। इसका प्रमुख कारण यह कि उन्हे उचित मार्गदर्शन का अभाव रहता है, जो अवश्य ही इनमे उच्च शिक्षा के बहुआयामी प्रभाव के प्रतिफल के प्रति जागरूकता की कमी को दर्शाता है। इस प्रकार यह राष्ट्रीय नीति निर्माणकर्ताओ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दर्शाता है।

गोंड जनजाति की महिलाओ की स्थिति व शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण।

उन्नसवी सदी मे कप्तान ब्लंट और रेव के द्वारा मे बस्तर मे प्राचीन गोंड जनजाति पर अध्ययन करने का प्रयास किया गया था जब हम सम्पूर्ण गोंड इतिहास और इसकी प्रष्ठभूमि की बात करते है तो यह स्थानीय गोंड और इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है ताकि सामाजिक–आर्थिक स्थिति को उजागर किया जा सके और उनकी समस्या को उनके दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। उत्तरप्रदेश के पूर्व के देवरिया जिले मे गोंड एक छोटा गोत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि यह जनजाति एक विशाल समाज का हिस्सा है। जिसने पूरे इतिहास मे बहुत योगदान दिया है इस अध्ययन द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की वर्तमान शिक्षा की स्थिति और समस्याओ की जाँच की जा सकती है ।

1. भारत मे अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक समस्यायों के अध्ययन मे पहला योगदान **प्रोफेसर फ्यूरर- हैमेडोर्फ**[26] - (सामाजिक कार्य,5,2,सितंबर,1994) के भारतीय इतिहास के रूप मे 1994 मे किया गया था। लेखक ने अजादबाद जिले के गोंड के लिए तत्कालीन निजाम के हैदराबाद मे तैयार शैक्षिक योजनाओ की रूपरेखा बताई है। इस योजना को गोंड के संस्कृति और पर्यावरण की प्रष्ठभूमि के खिलाफ तैयार किया गया था जो की उस क्षेत्र मे प्रमुख जनजाति है। भाषा, लिपि और शिक्षको के लेखक की समस्याओ पर चर्चा की गई इस योजना ने उस क्षेत्र के आदिवासियो के लिए समर्द्ध विभेदो का भुगतान किया और अब भी आदिवासियों के लिए शैक्षिक नियोजन का आधार बना। यह पहली बार बताया गया कि आदिवासियों के लिए एक शिक्षा योजनाओं, आवास, अर्थव्वस्था और संस्कृति के साथ एक साथ होना चाहिए।

2. **प्रो° श्रीवास्तव (1978)**[27]- ने भी **प्रो° शाहा 1974** की ही तरह जनजातीय छात्रों के सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण को ही उच्च शिक्षा मे उनकी अधिक भागीदारी न होने का कारण मानते है। इनका मानना है कि जनजातीय छात्र उचित मार्गदर्शन के अभाव मे स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रह जाते है। एक तरफ इन क्षेत्रो मे उच्च शिक्षा संस्थानो का भी अभाव है, सूचना का अभाव इन्हे अपने क्षेत्रो मे समेटकर रखता है। जिससे इनकी विकास सीमित हो जाती है। और उच्च रोजगार स्तर पर इनकी भागीदारी कम हो जाती है। भारत मे जनजाति महिलाओ की उच्च शिक्षा की धीमी प्रगति इन समुदायो मे स्कूल और कॉलेज के अपर्याप्त प्रावधान के कारण है आदिवासी आमतौर पर छोटे और दुर्गम इलाको मे रहते है और इसी कारण सभी उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय सभी गांवो के लिए प्रदान नहीं कराया गया है। आदिवासी महिला शिक्षा की धीमी प्रगति की जड़ आदिवासियो की गरीबी और समाज की मानसिकता है।

1. **आर ° एस ° मान एव प्रो ° एन ° एन व्यास**[28] **–** ने अपने निष्कर्ष से सुझाव दिया कि हमे जनजातियों के बीच शिक्षा और उच्च शिक्षा के एक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है, जो पूरे समाज मे स्वय जागरूकता, आत्म सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा। यह जनजातीय इतिहास के अध्ययन मे एक व्यवस्थित समावेश के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अध्ययन मे जनजातिय की विभिन्न समस्याओ को उजागर किया और निष्कर्ष यह निकाला है कि निरक्षरता और अज्ञान के कारण ही उनका शोषण होता है। उन्होने बताया कि जनजातियों के पिछड़ेपन से निकालने के लिए उनकी आर्थिक जीवन मे सुधार लाने के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है।

2. **रेणुका राय कमेटी (1959), एल्विन कमेटी 1960), सचिदानंद (1967), दास गुप्ता (1963)**[29]– और अन्य लोगो ने ध्यान दिया है कि आदिवासी समुदायो और महिलाओं मे शिक्षा के

प्रति उदासीन रवैया और शिक्षा के लिये प्रेरणा की कमी के कारण है जो कि दो मुख्य कारणो से उत्पन्न होती है। सबसे पहले, सामाजिक व्यवस्था लोगो की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अवश्यकताओ को समायोजित नही की जाती है। दूसरा आदिवासियो और गैर आदिवासियो के बीच सामाजिक दूरी मौजूद है। व आदिवासी क्षेत्रो मे शिक्षकों और आदिवासी शिक्षकों की तुलना मे अधिक है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा अनुसूचित जनजाति विद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों के राज्यो अध्ययन से उनकी सामाजिक प्रष्ठभूमि पर और उनके शैक्षिक और व्यवसायिक आकांक्षाओ पर प्रकाश डालता है। यह अध्ययन सत्तर के दशक मे किया गया है।

3. **प्रो॰ सच्चिदानंद (1982)**[30] **–** ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष निकाला कि जहां जनजातिय समुदाय मे बच्चो की शिक्षा के लिए को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता दूसरी और वह स्वय को सामान्य जाति के छात्रों के समुख स्वय को हिन महसूस करते है। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रो मे शिक्षको को अपने कार्यस्थल मे रहने की सुविधा न होने के कारण, अंत वह अपने कार्यस्थल से दूर रहते है तथा अपने प्रति कार्य का निर्वहन भली प्रकार नहीं कर पाते। इस कारण भी जनजातीय क्षेत्रो मे शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाता है यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रो मे शिक्षा के कर्मचारियो को कार्यस्थल मे ही रहने की उचित सुविधा मिले, जिससे वह जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओ मे भाग लेने के लिए उन्हे प्रोत्साहित करे।

4. **बी॰ एच॰ मेहता (1984)**[31] **-** ने अपनी पुस्तक vol 1 और 2 मे वर्णित किया है कि गोंड एक महत्वपूर्ण और बहुसंख्यक जनजाति है, जो मुख्यत : गोंडवना मे रहते है, गोंड की भूमि मध्यप्रदेश के पूर्व जिलो, पूर्व मे केंद्रीय प्रांत 1971 की जनगणना के आकड़े 4,728,796 गोंड पृथ्वी पर सबसे बड़े जनजातिय समूहो मे से एक है। वास्तव मे, गोंड की संख्या बहुत अधिक है। कई गोंड समुदाय की पूरी तरह से हिन्दू जाति व्यवस्था को स्वीकार किया है। मेहता 1984:(105-215) ने विभिन्न द्रष्टिकोण से गोंड का अध्ययन किया है और उन्होने इतिहास मे पोंराणिक कथाओ का विस्तार भी किया है, भाषाई और अन्य आकड़ों के आधार पर वह उन्हे एक प्राचीन समुदाय मानते है, इनकी मूल जड़ दक्षिण–पूर्वी भारत मे 2000 ई॰ पू॰ है।

5. **बी ॰ एस ॰ गुहा**[32] – (पीपल ऑफ इंडिया. मान, 36: 28-30, 1936) ने अपने अध्ययन मे लिखा है कि गोंड हमेशा गाँव मे रहते है। मैदानी इलाको मे जहाँ गोंड अधिक हिन्दू संस्कृति की और प्रभावित हुए है। सभी गोंड जंगल मे किसी तरह से कृषि का काम करते है। खेती केवल एक प्रकार की कृषि नहीं है बल्कि एक जटिल सांस्कृतिक रूप है, जीवन का एक तरीका है। गोंड एक पित्सत्तात्मक कबीला प्रणाली है। इसे गोत्र या कूर कहते है। गोंड मे समान्य विवाह, एक आदमी

और एक महिला संघ होता है जिसे पारस्परिक पसंद के आधार पर, प्रतिज्ञा की औपचारिक आदान–प्रदान द्वारा अनुमोदित आदिवासी परिषद की स्वीकृति के साथ गाँव के रिश्तेदारों की भागीदारी के साथ शादी एक उत्सव की तरह रात्रिभोज के साथ संपन्न होता है।

6. **रमेश क॰ र[33] -** ने अपने आलेख दर्शाया है कि अति प्राचीन संस्कृति, ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि और धार्मिक विश्वास का केंद्र है। गोंड दुनिया के सबसे पुराने जनजाति मे से एक है। आर्यन के आक्रमण से पहले यह भारत मे निवास करते थे। गोंड खुद को रावण के वंशज कहते है। गोंड उत्तर प्रदेश की जनजातीय आबादी मे सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है उत्तर प्रदेश मे गोंड की चार उपजाति है धुरिया, नायक, ओझा, पतारी और राजगोंड पूर्वी प्रदेश के तेरह जिले मे जनजातियों के रूप मे पहचाने जाते है। जिन्हे पूर्वन्चल कहते है, गोंड देश की प्रमुख जानजातियों मे से एक है यह जनजाति मूल रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप मे– मध्य–प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार रही है। जिसकी कुल जनसंख्या 1,32,56,928 है। गोंड की सबसे बड़ी जनजाति गोंडवाना के नाम से मध्य भारत लोकप्रिय है। भारत की कुल अनुसूचित जानजातियों मे 13.45% गोंड जनजाति है उत्तर प्रदेश मे गोंड जनजातीय निवास करती है शिक्षा के अभाव के साथ–साथ उनकी आर्थिक स्थिति और उनके जीवन का स्तर बहुत ही निम्न है उनके पास रहने के लिए भूमि तक नहीं है। समाज और प्राधिकरण द्वारा पिछड़े के रूप मे जाना जाता है स्वतंत्रता के बाद गोंड समुदाय राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहे है। उनके पास उनकी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए कोई तंत्र नहीं है उन्होने अपनी पहचान खो दी है। जो राजनीति मे सबसे अधिक सुसंस्कृत थे लेकिन आज राजनीतिक शक्ति मे उनकी स्थिति संतोषजनक है। आज इस समुदाय के पास जीवन के निर्वाह के लिए मूलभूत सुविधाए तक नहीं है। निरक्षरता और बेरोजगारी तथा स्थानीय साहूकारों का ऋण के कारण गरीबी मे जीवन निर्वाह कर रहे है। गोंड समुदाय देश मे दोहरी स्थिति है। कुछ राज्यो मे यह समुदाय जनजातियों मे शामिल है, कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जनजाति (एससी) या सामान्य क्षेणियों मे शामिल है।

उपरोक्त अध्ययनो से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आदिवासी समुदाय का एक बहुत बड़ा तबका शिक्षा से वंचित है जिसमे आदिवासी महिलाओ की साक्षरता दर बहुत कम है और महिलाओ की निरक्षरता उनके शोषण का मुख्य कारण है। साक्षरता दर का कम होने का कारण गरीबी और शिक्षा के प्रति उदासीनता भी है गरीब परिवारों की 85 प्रतिशत माताएँ अपनी लड़कियो को उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी

करवाना तो चाहती है लेकिन लड़कियो को हाई स्कूल या इंटर तक के बाद पढ़ाई बंद करवा दी जाती है क्योकि उनसे ग्रहकार्य मे मदद मिलती है या उनकी जल्द ही विवाह कर दिया जाता है।

अधिकांश जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रो मे रहते है और आवागमन की सुविधा न होने के कारण विशेष रूप से महिलाएं शिक्षित नहीं हो पाती है। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रो मे उच्च शिक्षा के लिए विशेषकर महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज खोले जाए। ताकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हे कही दूर न जाना पड़े।

अध्ययनो से यह भी स्पष्ट हो गया है कि महिलाओ की शिक्षा उनके स्थिति, रोजगार या व्यवसाय तथा जन्म दर को प्रभावित करता है। शिक्षा महिलाओ की स्थिति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक भी है। तथा शिक्षित महिलाएँ अपने अधिकारो के संबंध मे अधिक जागरूक होती है। महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए न भेजने का प्रमुख कारण गरीबी भी है जनजातियों की साक्षारता दर कम होने का मुख्य कारण उनकी स्वय की जीवन पद्धति तथा हमारी शिक्षा पद्धति भी है। जो जनजातीय महिलाओं को उच्च शिक्षा की और आकर्षित नहीं करती है अधिकांश क्षेत्रो मे गरीबी उन्मूलन तथा महिलाओ के विकास के लिए शासकिय योजनाओ तथा कार्यक्रमों का उन्हे जानकारी तक नहीं है। कई क्षेत्रो मे लड़कियो को उच्च शिक्षा के लिए दूर भेजना सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं किया जाता है। परिवार की तरफ से भी उनके ऊपर अनेक प्रकार के बंधन लगाए जाते है।

जनजातीय छात्रों का नामांकन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे – इंजीनियरिंग ,चिकित्सा, विज्ञान, आदि मे बहुत कम है। इसका मुख्य कारण उचित मार्गदर्शन न मिलना है। जनजातीय क्षेत्रो मे शिक्षको को अपने कर्तव्य स्थल मे रहने कि कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। जिसके कारण वह कार्य स्थल से दूर अपने परिवार के साथ रहते है। शिक्षा के साथ यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रो के शिक्षक अधिकारियों को अपने कार्य स्थल मे रहने की उचित सुविधा मिल सके, जिससे वह छात्रो को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सके। विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओ मे भाग लेने के लिए उन्हे प्रोत्साहित कर सके। सामान्य जाती के छात्रो की तुलना मे जनजातीय छात्रो की प्रवेशीय संख्या भी महाविद्यालय मे कम रहती है।

शासन द्वारा वर्षो के प्रयास के बावजूद जनजातियों की साक्षारता दर अभी भी बहुत कम है, विशेषकर जनजातीय महिलाओ की साक्षारता दर के संबंध मे यह एक कड़वा सच है। इसके लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा पद्धति की योजनाओ मे परिवर्तन की आवश्यकता है।

अवधारणात्मक मुद्दे

उपरोक्त अध्ययन जनजातियों महिलाओं की शिक्षा से संबंधित थे। कुछ अध्ययन गोंड जनजाति पर केन्द्रित है। इन अध्ययनो से कुछ मूल मुद्दे सामने आए है जो नीचे दिए गए है।

1. जनजातियों की मुख्य समस्या शिक्षा है ।
2. गरीबी जनजातीय महिलाओं की शिक्षा के निम्न स्तर का प्रमुख कारण है ।

3. जनजातियों की समाजिक, आर्थिक, संचार और स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक आदि विभिन्न समस्याएँ है।
4. सरकारी नीतियो के बारे मे शिक्षा और जागरूकता की अवश्यकता है, साथ ही गोंड जनजाति के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण कारक है
5. जनजातीय समुदाय के विकास मे सरकार की नीतिया प्रमुख भूमिका निभाते है तथा जनजतीय महिलाओं की शिक्षा की नीतियो मे सुधार व नई योजनाओ की आवश्यकता है।

सर्वेक्षण अनुसंधान पद्धति

सर्वेक्षण एक शोध पद्धति है जो अक्सर शोधकर्ताओ, समाजशास्त्रियों ओर वैज्ञानिको द्वारा छोटे या बड़े अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है सर्वेक्षण विधि का सार किसी विषय या विषय पर व्यक्तियों से पूछताछ को समझाया जा सकता है या फिर उनकी प्रतिक्रियाओ का वर्णन कर सकता है सर्वेक्षण अनुसंधान का व्यापक क्षेत्र किसी भी प्रतिक्रियों मे शामिल हो सकता है जिसमे उत्तरदाता से प्रश्न पूछना शामिल है।

एक सर्वेक्षर एक लघु कागज और पेंसिल की प्रतिक्रिया शैली से कुछ भी हो सकता है। कई महत्वपूर्ण अन्य आविष्कारों की तरह सर्वेक्षर मे नमुनाकरण –कई स्वतंत्र भाग होते है, जांच और आकड़ों का विश्लेषण और बीसवी सदी के शुरुआती सदी का सफल सम्मिक्षकरण था। जिसने एक विधि को जनम दिया जिसे आज हम सर्वेक्षर अनुसंधान कहते है और सामाजिक अनुसंधान मे माप के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों मे से एक है।

हम विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण से शुरू करेगे तो मोटे तोर पर दो व्यापक क्षेत्रों मे विभाजित है प्रशनावली और साक्षात्कार। इसके बाद अपनी स्थिति के लिए सर्वोतम तरीके से सर्वेक्षण पद्धति का चयन कैसे करते है। सर्वेक्षण पद्धति का निर्माण किया गया। जो की प्रश्नो के विभिन्न प्रकारो सहित अनेक मुद्दों को संबोधित करेगा। मात्रात्मक अकड़ों मे गुणात्मक प्रक्रिया और विश्लेषण करने के लिए दो प्रमुख तरीको को अपनाया गया है प्राथमिक आकड़ों का साक्षात्कार अनुसूची और अवलोकन द्वारा एकत्र किया गया है। संख्याकीय विधियो द्वारा विश्लेषण किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तावित अनुसंधान कार्य का मुख्य उद्देश्य अपनी समकालीन स्थिति मे गोंड जनजाति की महिलाओ का अध्ययन करना है गोंड जनजाति की महिलाए परिवर्तन की शक्तिशाली करको के कारणो से गुजर रहा है, जिसका उनके सामाजिक व आर्थिक जीवन पर असर पड़ा है इन परिवर्तनों ने गोंड जनजाति की महिलाओ की स्थिति पर भी असर डाला है।

उपरोक्त प्रष्ठभूमि मे वर्तमान अध्ययन को निम्नानुसार वर्णित किया गया है ।

1. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली गोंड जनजाति की महिलाओं को किन समस्याओ का सामना करना पर रहा है?
2. गोंड जनजाति महिलाओं के शिक्षा मे उत्थान के लिए सरकार की योजनाए क्या है और इन योजनाओ का गोंड जनजाति की महिलाओ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है?
3. शिक्षा के प्रभाव के कारण गोंड जनजाति महिलाओं की पंपरागत स्थिति मे क्या बदलाव हुए है?

अध्ययन का क्षेत्रफल

वर्तमान अध्ययन उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला का है। एक तरफ से देवरिया जिला मूल रूप से विकसित है अगर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देखे तो 3,100,946 है और उत्तर प्रदेश राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 1,134,273 है जिसमे 581,083 पुरुष और 553,190 महिलाएं है जिसमे उत्तर प्रदेश मे साक्षरता दर 67.7 प्रतिशत है, जो की पुरुषो की साक्षरता दर 77.3 है और महिलाओं की साक्षरता दर 57.2 है। गोंड जनजाति जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है अनुसूचित जनजाति मे साक्षरता दर 55.7 प्रतिशत है, पुरुषो के लिए यह 67.1 और आदिवासी महिलाओ के लिए यह 43.7 है। देवरिया जिले की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 109,894 है। जिसमे 55.216 पुरुष और 54,216 महिलाएं शामिल है। जिले मे गोंड जनजाति की आबादी 82,993 है। (2001 की जनगणना)। देवरिया मे सोलह ब्लाक है क्योंकि गोंड की एक बड़ी आबादी जिला देवरिया जिले मे 50.1 गोंड जनजाति की है इसलिए यह वर्तमान अध्ययन के लिए क्षेत्र के रूप मे उपयुक्त है। यह भी महसूस किया गया है कि देवरिया शहरीकरण की और अग्रसर हो रहा है और गोरखपुर के विकसित क्षेत्र के पास है फिर भी आज भी विशेष रूप से गोंड जनजाति की महिलाएं अन्य जगह से अधिक पिछड़ी हुई है। अध्ययन के लिए इस क्षेत्र का चयन का दूसरा कारण यह है कि शोधकर्ता खुद इस इलाके मे रहते है बल्कि वह गोंड जनजाति के है।

जिला का चयन – देवरिया जिले मे, जहां गोंड जनजाति की 50.1 प्रतिशत की आबादी निवास करती है, इसलिए इसे वर्तमान अध्ययन का आयोजन करने के लिए चुना गया है। यह वर्तमान अध्ययन का आयोजन करने के लिए चुना जाता है। गोंड जनजाति की अधिक्तम आबादी गाँव मे रहती है माप की सटीकता के लिए, वर्तमान अध्ययन 90 घरो के उत्तरदाता (50 ग्रामीण 40 शहरी) का साक्षात्कार किया गया। मण्डल प्रधान, तहसीलदार, सामाजिक कल्याण अधिकारी, भारतीय प्रबंध संस्थान, आदिवासी विकास के अधिकारी और स्थानीय आम विधायकों और समुदाय के नेता जैसे अन्य व्यक्तियों से संबन्धित जानकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए परामर्श किया गया ताकि यह ध्यान मे रखा जा सके कि सरकारी मशीनरी ने इस क्षेत्र मे अपनी योजनाओ का संचालन किया है।

प्रतिचयन

प्रतिचयन, जैसा की नाम से तात्पर्य है, यह एक बड़ी आबादी या एक समूह से प्रतिनिधि प्रतिदर्श को प्राप्त करने की विधि को प्रतिचयन कहा जाता है। एक संख्याकीय जांच मे, शोधकर्ता का ध्यान एक समूह से संबधित व्यक्तियों का, एक या एक से अधिक विशेषताओ के संबंध मे भिन्नता के अध्ययन मे निहित है। अध्ययन के तहत व्यक्तियों के इस समूह को आबादी कहते है प्रतिचयन की पद्धति, विश्लेषण के प्रकार पर निर्भर है, अध्ययन का चयन इस आधार पर किया गया की शोध पूरे राज्य के गोंड जनजाति की महिलाओ की स्थिति और भोगोलिक विविधता को प्रदर्शित कर सके। एक उचित नमूना तकनीक का चयन करने के लिए व्यवस्थित नमूना तकनीक को अपनाया गया। मण्डल प्रधान, तहसीलदार, सामाजिक कल्याण अधिकारी, अनुसूचित जनजाति विभाग के अधिकारी और स्थानीय आम विधायकों और समुदाय के नेता जैसे अन्य व्यक्तियों से संबन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए परामर्श किया गया।

उपकरण और तकनीक

आदिवासी महिलाओं की शिक्षा और उनकी शिक्षा की प्रगति के लिए सरकार और माता–पिता की भूमिका के लिए शिक्षा के विभिन्न आयामो पर छात्राओं के लिए एक प्रशनावली तैयार की गई। महिलाओं की शिक्षा मे आने वाली बंधाओं के लिए साक्षात्कार तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। पिछले दस्तावेज़ो व प्रशासनिक अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त किया गया और समुदायो के बड़े सदस्यों के साथ चर्चा के माध्यम से प्राप्त किया गया। शोधकर्ता ने एकत्रित आकड़ों के लिए क्षेत्रीय अध्ययन और सर्वेक्षर तरीको का इस्तेमाल किया। जनजातीय शिक्षा के कई पहलुओ से संबंधित प्राथमिक और द्वितीय दोनों आकड़े एकत्र किया गया। आकड़ों को एकत्रित करने के लिए जनगणना रिपोर्ट शैक्षिक उप्लब्धियों से संबन्धित आकड़े जनगणना पुस्तिकाओ, जनजातीय कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, साहित्य, पुस्तक पत्रिकाओ, रिपोर्ट, लेख, विश्वकोश, अनुसंधान के लिए प्रासंगिक दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिकओं और विश्वविद्यालय के रिकार्ड से एकत्र किए गए और संरचित प्रश्नावली की मदद से प्राथमिक आकड़े एकत्रित किया गया। प्रश्न हिन्दी व अग्रेजी दोनों भाषाओं मे पूछे गए। अनपढ़ उत्तरदाताओ के मामले मे, प्रशनावाली का प्रयोग साक्षात्कार अनुसूची के रूप मे किया गया। क्षेत्र मे समुदायो के सदस्यो के साथ

और अधिकारियों के साथ गोंड समुदाय की समान्य जानकारी अवलोकन और औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओ के माध्यम से एकत्र की गई है।

अनुसंधान शोध का प्रारूप

अध्ययन को अध्यायों मे विभाजित किया गया है। पहला अध्याय उद्देश्य और कार्यप्रणाली पर जानकारी देता है। दूसरा गोड जनजाति की एतिहासिक प्रष्ठभूमि है और जनजाति का वर्णन के साथ–साथ उनके उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले मे उनके आवास और महिलाओ की शैक्षिक स्थिति पर है। तीसरे अध्याय गोंड और सर्वेक्षण से प्राप्त उत्तर प्रदेश मे गोंड आदिवासियो के जनसंख्याकीय विशेषताओ के साथ–साथ महिलाओ की शैक्षणीक स्थिति को सारणीबद्ध रूपो मे दिखने जाने और अध्ययन क्षेत्र के मानचित्रों के विस्तृत विवरण दिया है चोथा अध्याय मे सर्वेक्षण से प्राप्त माध्यमिक और प्राथमिक आकड़ों के आधार पर गोंड जनजाति की पारंपरिक और सामाजिक–आर्थिक प्रष्ठभूमि है सरकार की विभिन्न योजनाओ के साथ गोंड महिलाओ पर इसके प्रभाव का वर्णन है। गोंड महलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और बदलती स्थिति शामिल है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की गोंड महिला उत्तरदाता पर क्षेत्रीय सर्वेक्षर पर आधारित है पाचवां अंतिम अध्याय व्यापक विवरण और अध्ययन का निष्कर्ष है।

संदर्भ ग्रंथ

1. मान आरएस सिंह, जेपी और व्यास, एनएन (1988): जनजातीय महिला और विकास रावत प्रकाशन, जयपुर।
2. राम नाथ शर्मा; डॉ राजेंद्र के शर्मा (2004)। भारत में शिक्षा की समस्याएं। अटलांटिक प्रकाशक। पृष्ठ 46-। आईएसबीएन 978-81-7156-612-912 अप्रैल 2013 को पुनःप्राप्त।
3. एल्विन कमेटी (1960)।
4. लर्नर, डैनियल 1962: द पासिंग ऑफ पारंपरिक सोसाइटी। द फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क।

5. ग्रिगसन, डब्लू। वी 1945: सी। वॉन फ्यूरर–हैमिन्दोर्फ, जनजातीय हैदराबाद, (हैदराबाद सरकार प्रेस), पीः वीआई
6. अंबाष्ट, एनके 1970: जनजातीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अध्ययन एस चंद एंड को, नई दिल्ली, पृष्ठः 61-69
7. नाइक टीबी 1969 भीलों पर शिक्षा का प्रभावः मध्यप्रदेश के जनजातीय जीवन में सांस्कृतिक परिवर्तन, अनुसंधान कार्यक्रम समिति, योजना आयोग, नई दिल्ली।

8. एन.एस.एस.ओ. 1991 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली
9. रेड्डी टी शंकर– आंध्र प्रदेश कोदर में जनजातीय महिलाओं के लिए विकास प्रयास आदि। 1996 पृष्ठ 22-24।
10. सिंह बदियानाथ प्रसाद – भारत में महिला शक्ति संसाधनों के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता – आदिवासी महिला कार्यबल बल का एक अध्ययन। आर्थिक मामलों खंड 34 या 3 सीपी .1989 पृष्ठ 201–207।
11. बर्मन बीके रॉय– भारत के विकास और जनजातीय महिलाओं के समूह। पृष्ठ 12–13
12. सचिदानंद– विकास के झुंड में जनजातीय महिलाएं, आर्थिक मामलों, पृष्ठ 80–85
13. भगतती, जगदीश "शिक्षा वर्ग संरचना और आय समानता "विश्व विकास, (संख्या 5, मई 1973)।
14. घोष, किश्लय "जनजाति शिक्षाः एक मूल्यांकन" सामाजिक कार्य, खंड 3, जनवरी–मार्च 1986, पृष्ठ। 86
15. बुसु रात, "विवाहित महिलाओं का अधिकार और उनके प्रति दृष्टिकोणः जागरूकता और रवैया का मूल्यांकन," वयस्क शिक्षा के भारतीय पत्रिका, 48 (2) अप्रैल–जून 1987 पृष्ठ 44–50।
16. संध्या रानी, जी, एट अल (2011): भारत में जनजातीय महिला शिक्षा का विश्लेषण। सामाजिक विज्ञान और मानवता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत पेपर। सिंगापुरः आईएसीएसआईटी प्रेस, 2011.। छठी 507–VI-511।...
17. करलेकर मालविक, "भारत में महिला शिक्षाः कुछ बुनियादी मुद्दा" सामाजिक कार्य, खंड 86, जान–मार्च,1996 ।
18. मेहता बीएच, "जनजातीय महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा" तिमाही शिक्षा 21.1.1969।
19. मजूमदार डीएन, "गारो राजनीति की एक झलक", उत्तर पूर्वी मामलों, 1973।
20. पापा कोंडविति , "ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं"। कुघ प्रकाशन, इलाहाबाद–भारत 1992।

21. पटेल तारा। "आदिवासी महिलाओं के बीच शिक्षा का वितरण 'दिल्लीः मित्तल प्रकाशन 1984।
22. मित्रा अपर्णा सुंदरम, के (2007): एनएसएस 55 वें दौर सर्वेक्षण, 1999–2000 से उच्च शिक्षा के परिणामों पर पिछड़ापन। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक। 16 दिसंबर 2006. पृष्ठ 5173–5182।
23. शाह और पटेल 1985, इंडियन सचिदानंद और आरपी सिन्हा, 1989, शिक्षा और वंचित (उपपाल प्रकाशन सभा, नई दिल्ली)
24. डी.आर.वाई.डव, पावर जेआर, एसएम चौधरी "जनजातीय कृषि परिवारों की रोजगार आय और व्यय पैटर्न, सामाजिक परिवर्तन। जून वॉल्यूम 21 नंबर 2,1991, पृष्ठ .48–53।
25. आई.पी.देसाई, और चिटनीस, 1975, अनुसूचित कैस्ट और अनुसूचित जनजाति स्कूल और भारत के कॉलेज के छात्रः सारांश (आईसीएसएसआर, माइमोग्राफ)।
26. साधु एवी, और सिंह एक सी। "विभिन्न व्यवसायों के बच्चों के रोजगारः इसके प्रेस और कॉन का अध्ययन, वॉल्यूम। 20 नो 20 फीब 1983, पृष्ठ 15–23।
27. शाहा आर.एन "पोस्ट मैट्रिक शिक्षा में सेंट और एससी की उपलब्धि," सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान बुलेटिन 1974 पृष्ठ 10–12।
28. फिएरर–हैमिन्दोर्फ, क्रिस्टोफ वॉन, और एलिजाबेथ वॉन पुरेर–हैमिन्दोर्फ।, (1979), आंध्रप्रदेश के गोंडः एक भारतीय जनजाति में परंपरा और परिवर्तन। लंदनः जॉर्ज एलन और अनविन,
29. श्रीवास्तव। "निरंतर शिक्षा और जनजातीय विकासः जनजातीय क्षेत्र के पास थ्रो कॉलेज की भूमिका। वयस्क शिक्षा के भारतीय पत्रिका 1987
30. व्यास। एनएन, आरएस। मान, "संक्रमण में भारतीय जनजाति" कच्चे प्रकाशन जयपुर–दिल्ली 1980 पृष्ठ 25–63।
31. सेन सच्चीनानंद। "सेंट और एससी की शिक्षा में संरचनात्मक बाधाएं। बी में। भारत में चौधरी जनजातीय विकास, नई दिल्लीः अंतर भारत प्रकाशन 1982।
32. मेहता, बी.एच। (1984), सेंट्रल इंडियन हाइलैंड्स के गोंडः गोंड सोसाइटी की गतिशीलता का एक अध्ययन। नई दिल्लीः अवधारणा प्रकाशन।
33. गुहा, बी एस (1936), भारत के पीपुल्स। भारत में आदमी, पृष्ठ 36: 28–30।

द्वितीय अध्याय

देवरिया के गोंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस अध्याय मे हमने उत्तरप्रदेश की गोंड जनजातिय समुदाय की महिलाओं की शैक्षिकता के साथ–साथ जनजातिय सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू पर अवलोकन किया है। इस अध्याय मे मेने अध्ययन के अपने क्षेत्रो को भी पेश किया है। उत्तर प्रदेश के वर्णन के बाद उत्तरप्रदेश के देवरिया जिले के गोंड जनजातिय का वर्णन किया गया है।

उत्तर प्रदेश भारत गणराज्य मे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है प्राचीन कल मे महाजनपद मे कौशल राज्य आधुनिक उत्तरप्रदेश की क्षेत्रीय सीमाओ के भीतर स्थित था। हिन्दू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दैवी राजा राम को कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या मे राज्य किया गया था।

हिन्दू पोंराणिक कथाओ के एक अन्य दैवी राजा कृष्णा, जो महाभारत महाकाव्य मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश मे मथुरा शहर मे जन्म हुया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ मे दिया और ऐसे धर्म की नीव रखी, जो न केवल भारत मे बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक फैला है। साथ ही बुद्ध को कुशीनगर मे परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था जो पूर्व जिले कुशीनगर मे स्थित है। मोर्य (200 ईसा पूर्व), कुषाण (सीई–100–200), और गुज़र्र–प्रतिहार सहित सभी भारत के प्रमुख समराज्यों की शक्ति और स्थिरता के लिए गंगा मैदानी क्षेत्र पर नियंत्रण महत्वपूर्ण था। इस प्रकार उत्तरप्रदेश का क्षेत्र 8वी, 10वी शताब्दी मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

मध्ययुगीन काल मे उत्तरी भारत मे 12वी शताब्दी के अंतिम दशक के बाद मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तरप्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केन्द्र उत्तरप्रदेश या उसके आसपास था। 1557-1576 के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य मे उत्तरप्रदेश और बिहार, बंगाल पर कब्जा कर लिया उसके बाद मुगलकाल मे यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य का गढ़ बन गया। लेकिन 18वी शताब्दी मे मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों पर मराठा शासकों का राज्यकाल रहा।

ब्रिटिश काल मे लगभग 75 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने (ब्रिटिश व्यापारिक कम्पनी) ने धीरे–धीरे अधिग्रहण किया। 1803 मे दूसरे एंग्लो–मराठा युद्ध के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा साम्राज्य को पराजित किया, तो इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। स्वतंत्रता के समय उत्तरप्रदेश ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस राज्य से कई महत्वपूर्ण क्रांतियां शुरू हुई, और भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। यह 1 अप्रेल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान सयुक्त प्रांतो के रूप मे बनाया गया था। सन् 1920 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 12 जनवरी मे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया राज्य को 18 डिवीज़नो और 75 जिलो मे विभाजित किया गया। राज्य की दों प्रमुख नदियां है गंगा और यमुना, यहा व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा हिन्दी है। 9 नवंबर, 2000 को उत्तरप्रदेश को दो राज्यों मे विभाजित किया गया, अर्थात उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड।

उत्तरप्रदेश भारत के उत्तर मे स्थित है। यह राज्य उत्तर मे नेपाल व उत्तराखण्ड, दक्षिण मे मध्य प्रदेश, पश्चिम मे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व मे बिहार तथा दक्षिण मे झारखण्ड व छित्तसगढ़ से घिरा हुआ है। यह राज्य 238566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल मे फैला हुआ है, यहा का मुख्य न्यायालय

इलाहाबाद मे है। उत्तरप्रदेश विभिन्न धर्मो का देश है। उत्तरी उपजाऊ मैदान के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और साथ ही दुनिया मे सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है। यहा 200 मिलियन से अधिक आबादी निवास करती है। उत्तरप्रदेश राज्य के उत्तर मे नेपाल, उत्तर–पश्चिम मे हिमाचल प्रदेश घिरा है, और पूर्व मे बिहार प्रदेश स्थित है। यह देश का चोथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तरी उपजाऊ मैदान के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है।

उत्तरप्रदेश मे अनुसूचित जनजाति

उत्तरप्रदेश भारत का सबसे बड़ा, सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे जाति–ग्रस्त राज्य है। यह एक ऐसा राज्य भी है जिसने आदिवासी नागरिकों को अपने संवैधानिक अनुसूचित जनजाति के स्तर से वंचित कर दिया गया है, जो की लोकतांत्रिक संस्थानों मे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित है और गैर–आदिवासी प्रमुख वर्गो द्वारा अनियंत्रित शोषण के लिए है। वास्तविक जनजातिय समुदायों को अनुसूचित जाति के रूप मे 1950 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया गाया था, जो उत्तरप्रदेश की कुल जनसंख्या के दो प्रतिशत से भी कम है। आज भी यह कई जिलों के ग्रामीण इलाको मे बिखरे हुये पाए जाते है।

उत्तरप्रदेश मे जनजातीय, जनसांख्यिकी और पहचान का शोधित क्षेत्र है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है, कि उत्तरप्रदेश मे जनजातीय व्यख्यान जनजातीय वर्गो पर केन्द्रित है, न कि सैकड़ों आदिवासी जतियों और उप–जतियों पर जो जीवन की मुख्य धारा से वंचित है। एक धारणा पैदा हुई थी कि ज़्यादातर जनजाति उत्तप्रदेश के पहाड़ी इलाको (अब उत्तराखंड) मे रहते है। अगर यह सच है, तो 2011 की जनगणना मे, राज्यों मे 2001 की जनगणना मे एक लाख आदिवासी के मुक़ाबले 26 लाख से ज्यादा कैसे हो सकता है? जनगणना मे अनुसूचित जनजाति प्रभावी उत्तराखंड क्षेत्र को हटाने के बाद करीब 25 लाख नए अनुसूचित जनजाति समुदाय की वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है, कि उत्तरप्रदेश मे बड़ी संख्या मे अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग है, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों सरकारो की उदासीनता के कारण उन्हे ध्यान मे नहीं लिया गया और यह समुदाय गुमनामी का जीवन व्यतीत करने पर मज़बूर है।

दोषपूर्ण पहचान प्रणाली

राष्ट्रपति से 1950 मे राज्य के राज्यपाल से मिलने के बाद उत्तरप्रदेश मे अनुसूचित जनजाति की सूची को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करी गई, जिसके बदले मे उन्होने गृह मंत्रालय से पूछा होगा, जो इस

मामले को डिवीज़नल आयुक्तों को भेजेगे जो इस मामले को देखेगे। जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टरो का कहना है, कि अधीनस्थ अधिकारियों की एक दल है। इस तरह के अधीनस्थ अधिकारियों को कुछ तहसीलों, ब्लाक और गांवो का कुल प्रभार होता है, जो तहसीलदारों के प्रशासकीय और राजस्व नियंत्रण मे है। नाइब तहसीलदार, ब्लाक विकास अधिकारी, ग्राम पटवार और लेखपाल। इसलिए आदिवासी जातियों और उप–जतियों की वास्तविकता पहचान ग्राम स्तर के कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है, जो गाँव परिवार के राजस्व रिकार्ड से और एक विशेष जनजाति या जाति से संबन्धित होने वाली किसी सच्चाई को जांचने वाला माना जाता है। आज तक किसी भी समुदायो को, अनुसूचित जनजाति की सूची मे शामिल करने और बहिष्करण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति द्वारा तय किए गए रूपरेखा का एक प्रक्रिया है। वह अलग–अलग राज्यों मे व्यक्तिगत दावों दोनों से संबन्धित है। व्यक्तिगत दावों को डिप्टी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारियों या तहसीलदारों व राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। हालांकि कोई साहित्य नहीं है, जो नोडल मंत्रालय, आदिवासी कल्याण मंत्रालय, आदिवासी समुदायों की पहचान की वास्तविकता पर प्रकाश डालता है।

भारत की पहली स्वतंत्रता के बाद की पहली जनगणना मे उत्तरप्रदेश मे कोई भी आदिवासी समुदाय की उपस्थिती नहीं दिखायी। इसके बाद शायद देहारादून के कुछ प्रभावशाली क्षेत्रो के दबाव मे, इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान एक आदेश जारी किया गया: संविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश आदेश 1967। हालांकि, यह स्पष्ट है कि जनजातियों को निर्धारित करने की इस प्रक्रिया मे, 1950 मे नीति के मामले मे उत्तरप्रदेश मे राजनीतिक–प्रशासनिक स्तर पर केवल पाँच जनजातिय जातियो को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, तो डिप्टी मजिस्ट्रेट को जनपद के आकड़ों को एकत्र करने के लिए जनादेश दिया गया होता। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों स्तरों पर पहचान और गणना प्रक्रियाओ पर उदासीनता थी। नीति स्तर पर, केवल पाँच जनजातिय समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप मे मानने का कोई कारण नहीं था, और राजनीतिक–प्रशासनिक स्तर पर उन पाँच अनुसूचित जनजाति को गिनने का कोई झुकाव नहीं था।

उत्तरप्रदेश की सरकार ने गंभीर गलती की क्योंकि यह अनुसूचित जनजतियों के राष्ट्रपति पद का सम्मान करने नाकाम रही क्योंकि उसे उन पांचों को सूचित करने की परवाह भी नहीं थी। राष्ट्रपति पद के जनगणना के आदेश के बावजूद इन्हे अनदेखा किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1951 और 1961 मे उत्तरप्रदेश मे अनुसूचित जनजाति की जनगणना शून्य रही। इस प्रकार उत्तरप्रदेश मे 1950 मे जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश मे कोई अनुसूचित जनजाति नहीं थी, जबकि इसी सरकार द्वारा 1967 मे उत्तरप्रदेश मे पाँच अनुसूचित जनजाति अस्तित्व मे लाई गई।

उत्तरप्रदेश सरकार 1967 मे जाग उठी और आदेश जारी किया की राज्य मे अनुसूचित जनजाति के रूप मे भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारु सूचित किया गया। इसलिए पहली बार इन अनुसूचित जनजाति की गणना 1971 की जनगणना मे हुई थी। प्रारम्भ मे, पाँच अनुसूचित जनजाति (1950) के लिए मान्यता केवल क्षेत्र प्रतिबंध के साथ आई थी, यह उत्तरप्रदेश के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों मे रह रहे हो; गैर निर्दिष्ट क्षेत्रों मे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के रूप मे मान्यता प्राप्त नहीं थे लेकिन जनजतियों के विरोध प्रदर्शन के बाद, संसद ने क्षेत्र प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम 1967 के संविधान को पारित कर दिया गया, जिसमे उन्हे पूरे उत्तरप्रदेश मे अनुसूचित जनजाति के रूप मे मान्यता दी गई। 1971 की जनगणना मे जब राज्य मे अनुसूचित जनजाति पहले गिने गए थे, तब उन्हे राज्य भर मे गिना गया था और 1991 की जनगणना मे 1.99 लाख संख्या दर्ज किया गया जो 2.87 लाख तक पहुँच गई (इसमे 2000 मे उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति भी शामिल है)।

1967 मे राज्य के पाँच समुदायो को अनुसूचित जनजाति मे सूचीबद्ध किया गया था।

1° थारु 2 बुक्सा 3 भूटिया 4 जौनसारी 5 राजी

(तालिका-1°2) उत्तर प्रदेश मे जनजातिय जनसंख्या व दशकीय विकास दर

जनगणना वर्ष	उत्तरप्रदेश मे जनजाति जनसंख्या	दशकीय विकास दर %
1951	#	-
1961	#	-
1971	1,99,000	-
1981	2,33,000	17
1991	2,87,901	23
2001	1,07,963	26
2011	11,34,273	950

26,65,774##	2,500

स्त्रोत : संबन्धित वर्षो के विभिन्न जनगणना रिपोर्ट से संकलित।

पहाड़ी और वन जनजतिया 1951 और 1961 के आंकड़े उपलब्द्ध नहीं है, क्योंकि जून 1967 मे पाँच जनजातियों को थारु, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी को उत्तरप्रदेश की अनुसूचित जनजाति के रूप मे अधिसूचित किया गया था इसलिए उनकी पहली जनगणना 1971 मे हुई थी। उत्तरप्रदेश के 13 उत्तरी जिलों के अलग होने के बाद और वर्ष 2000 मे उत्तराखंड के नए राजि के गठन के मे उनकी आबादी दो राज्यों के बीच विभाजित हो गई, जो कि उत्तरप्रदेश मे अनुसूचित जनजातियों का जनसांख्यिकी हिस्सा 0.21 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत तक नीचे आ गई, और 2001 क जनगणना के अनुसार इन जनजातियों की कुल आबादी 107,963 थी, जिसकी कुल राज्य की आबादी मे केवल 0.1% थी। 08,01,2003 मे फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम मे दस समुदायों को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति की सूची मे स्थानांतरित कर दिया गया। 2002–03 मे उत्तरप्रदेश के विशिष्ट जिलों मे यह समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप मे मान्यता प्राप्त है। हालांकि अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश की जनसंख्या 1,134,273 है, जिसमे राज्य की कुल आबादी (199,812,341) का 0.6 प्रतिशत है। राज्य मे कुल 10 अनुसूचित जनजाति है, और उन सभी को 2011 की जनगणना मे वर्णित किया गया है।

सार्वजनिक रूप से उत्तरप्रदेश के शासन क्षेत्र मे जनजातियों की पूरी सूची का कोई आधिकारिक रिकार्ड नहीं था, जो जनजातिय समुदायों को निर्धारित कर सके। 1950 मे जनजातियों का निर्धारण करते हुए कई महत्वपूर्ण आदिवासी समुदायों को जैसे गोंड, भुईया, खरवार, कहार, चेरो, परहिया, सहारा, बागी, पनिका, पटारी आदि को अनदेखा कर दिया गया। इस प्रकार इस तरह की जनजातियों के लिए एक बहुत बड़ी संकट की स्थिति पैदा कर दी क्योंकि यह पूरी तरह से सामाजिक संबंधो, राजनीतिक सशक्तिकारण और आर्थिक आर्थिक स्थितियों को विमुख, विभाजित और बहुत ही परेशान कर रहा था। इन सभी गैर अनुसूचित जनजातियों को कई भेदभाव का सामना करना पड़ा, पहला उन्हे जनजाति के रूप के पहचान से वंचित किया गया था। लेकिन सरकार ने गैर अनुसूचित जनजाति के लिए कोई जनगणना क्षेणी नहीं बनाई थी, दूसरा, उन्हे हिन्दू पदानुक्रम के निचले सबसे निम्न क्षेणी की पहचान दी गई थी या फिर उन्हे अनुसूचित जाति मे सूचीबद्ध कर दिया गया, तीसरा, अनुसूचित जाति क्षेणी मे रखा इन जनजातियों को अस्पृश्यता बनाया गया, जबकि उनके आदिवासी समाज मे अस्पृश्यता का अनुभव नहीं था। चोथा, जनजातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की क्षेणी मे रखा गया और सभी सरकारी

संरक्षण उन्हे प्रदान नहीं किए गए जो उन्हे अनुसूचित जनजाति के रूप मे यह अर्जित कर सकते है। 1993 मे मण्डल आयोग के कार्यान्वयन तक यह वंचित रहे।

गैर अनुसूचित जनजाति की संख्या अभूतपूर्व है और अनुसूचित जाति ओर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) क्षेणियों मे उनका स्थान गलत रूप से इन दोनों जाति समूहों की आबादी मे बढ़ोतरी हुई है। दुर्भाग्य से, आदिवासी समुदयों असंगठित हैं और अपनी मांगो को पूरा करने मे असमर्थ है। उनमे से कुछ जनजातिय समुदायों की चेतना कुछ क्षेत्रों मे आज भी जाग्रत है और उनकी संख्या भी अधिक है, उन्होने अनुसूचित जनजातियों के रूप मे मान्यता के लिए आंदोलन कर रहे है। पूर्वाचल (उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिला) मे आदिवासियों का मामला एक उदाहरण है, जहां से अपवर्जित आदिवासी समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए बार–बार मांग की गई थी, 52 साल की निष्क्रिय और सक्रिय आंदोलन के बाद, संसद ने उन्हे 2002–03 (तालिका–2) के उत्तर प्रदेश के 13 पूर्वी जिलों मे अनुसूचित जनजाति के रूप मे मान्यता दी।

(तालिका-1.3) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति

क्रमांक	जनजाति का नाम	आवासीय प्रतिबंध जिला
1.	गोंड ,(धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राज गोंड)	महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आज़मगढ़, जोनपुर, बालीया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र
2.	खारवार और खैरवार	देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र
3.	अग्रारीया	(सोनभद्र जिले)
4.	थारू	
5.	बुक्सा	
6.	भोतिया	
7.	जौनसारी	
8.	राजी	
9.	परहिया	सोनभद्र जिले
10.	बागी	सोनभद्र जिले
11.	पनिका	सोनभद्र और मिर्जापुर जिले
12.	चेरो	सोनभद्र और वाराणसी जिले

13.	भुइया, भुइयां	सोनभद्र जिले
14.	सहारा	ललितपुर जिला
15.	पटारी	सोनभद्र जिले

स्त्रोतः "अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002

प्रमुख जनजातिय आबादी का जिलवार वितरण दर्शाता है कि महाराजगंज, सिधार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आज़मगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र और ललितपुर मे अनुसूचित जनजाति निवास करते है।

संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 को पारित किया जो 7 जनवरी 2003 को लागू हुआ। उत्तर प्रदेश मे, संशोधन कानून ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश मे निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची से 17 जतियों और उप–जतियों को शामिल नहीं किया गया था, 1950 मे उत्तर प्रदेश के निर्दिष्ट जिलों मे रहने वाले और उन्हे अनुसूचित जनजाति संहिता (उत्तरप्रदेश) आदेश, 1967 मे संशोधन करके उत्तर प्रदेश के कुछ निश्चिंत जिलों के संदर्भ मे स्थानांतरित कर दिया। इससे पहले, 69 अनुसूचित जाति थे और उत्तरप्रदेश मे पाँच अनुसूचित जनजाति है। उपरोक्त अधिनियम के बाद पारित किया गया, उत्तरप्रदेश मे अनुसूचित जतियों की संख्या 69 से घटाकर 52 हो गई और अनुसूचित जनजाति की संख्या पाँच से बढ़कर 15 हो गई।

इस प्रकार कानून ने इन जनजातियों को अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) क्षेणी से कुछ को अनुसूचित जनजाति के रूप मे पहचान दी, साथ ही एक ही आदिवासी जाति को जनजातीय/उप–जाति क्षेत्र–वार मे विभाजित कर दिया। यह पूर्वाचल (पूर्व उत्तरप्रदेश के 13 जिलों) के एक से अधिक जिलों मे अनुसूचित जनजाति के रूप मे पहचाने जाते है। वही 58 जिलों मे रोटी–बेटी संबंधों के बावजूद यह जनजातिय समुदाय अनुसूचित जाति की क्षेणी मे आते है।

2002–03 मे उत्तरप्रदेश मे कुछ जनजातियों के लिए यह पहचान भरी लागत के साथ आई थी, अनुसूचित जनजाति क्षेणी मे स्थानांतरित कर दिया गया वही अनुसूचित जाति मे इन समुदायों को आरक्षण लाभ 21% मिल रहा था, लेकिन उनकी नई अनुसूचित जनजाति मे उन्होने यह हक खो दिया क्योंकि उत्तरप्रदेश मे सरकारी नौकरियों मे आरक्षण सिर्फ 1% ही है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के रूप मे, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का उनका अधिकार भी समाप्त हो गया क्योंकि उत्तरप्रदेश मे अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, न तो राज्य विधानसभा मे और न ही लोकसभा।[1]

उत्तरप्रदेश मे अनुसूचित जनसांख्यिकी

उत्तरप्रदेश मे 243286 का क्षेत्रफल है, और वर्ग किलोमीटर 19,98,81477 (19.95) की आबादी जिसमे से देवरिया जिले की आबादी 3.09, 983 है क्षेत्र का घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग कि॰ मी॰ है। उत्तरप्रदेश की ग्रामीण महिला की आबादी 15,5111,022 है। महिला आबादी 7,40,60,367 है और पुरुष की 8,10,444,655 है। तुलनात्मक रूप से ,शहरी आबादी केवल 4,44,70,455 है। कुल जिलो की जनसंख्या 72, ब्लाक 810 और गावों की संख्या 10,7452 है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की साक्षरता अनुपात 69.72 प्रतिशत है इनमे से पुरुष साक्षरता 79.72 प्रतिशत थी। राज्य की लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष मे 908 महिलाए है ग्रामीण के लिंग अनुपात क्षेत्र प्रति 1000 पुरुषो मे 914 महिलाए है।

उत्तरप्रदेश की अनुसूचित जनजाति (एसटी) जनसंख्या 2001 की जनगणना में 107, 963 थी, जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या (166,197,921) का केवल 0.1 प्रतिशत हिस्सा है। जनजातीय आबादी का दसवें दशक का विकास 42 प्रतिशत रहा है, जो 1991–2001 के दौरान कुल आबादी (25.8) प्रतिशत की वृद्धि से 16.2 प्रतिशत अधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल पांच प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं, और लगभग 15 अन्य आदिवासी समूह हैं। जिनमें 88.8 प्रतिशत गांवों में रहते हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 1,134,273 है। राज्य की कुल आबादी का 0.6 प्रतिशत है। जिनमें से 0.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 0.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। 2001–2011 के दौरान जनजातीय आबादी का दशकीय विकास 930.6 प्रतिशत रहा है। राज्य में कुल पंद्रह अनुसूचित जनजाति हैं उनकी 20011 की जनगणना में गणना की गई है। अनुसूचित जनजाति 81 प्रतिशत ग्रामीण हैं क्योंकि उनमें से 94.6 प्रतिशत गांवों में रहते हैं। गोंड समुदाय उत्तरप्रदेश के पंद्रह अनुसूचित जनजातियों मे सबसे बड़ा है। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 08, 0.1,2003 को अधिसूचित किया गया, उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में दस समुदाय एससी सूची से स्थानांतरित किया गया। लेकिन ये समुदाय उत्तरप्रदेश के विशिष्ट तेरह जिलों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में 2002–03 में मान्यता प्राप्त है।

(तालिका संख्या–4) उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या अनुपात

	जनजाति	कुल जनसंख्या
1.	भोतिया	5196
2.	बुक्सा	4710
3.	जौनसारी	3720
4.	राजी	1295
5.	थारु	105291
6.	गोंड	569035
7.	खरवार	160676
8.	शरिया	70634
9.	परहिया	901
10.	बैगा	30006
11.	पनिका	24862
12.	अगारिया	17376
13.	पटारी	132
14.	चेरो	4227
15.	भुया	15599
	सभी जनजाति	1134273

स्त्रोत : भारत की जनगणना 2011

पुरुषों के लिए साक्षरता दर 79% है और महिलाओं के लिए 59% 2001 में उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर कुल 56.27% थी, पुरुषों के लिए 67% और पुरुषों की तुलना मे महिलाओं की साक्षरता 43% थी।

लिंग अनुपात

उत्तरप्रदेश मे अनुसूचित जनजाति के सभी लिंग अनुपात मे प्रति 1000 पुरुषों मे 944 महिलाएं हैं, जो राज्य औसत 849 (जनगणना 2011) से अधिक है। जनजातीय आबादी का कुल लिंग अनुपात 1000 पुरुष प्रति 944 महिलाओं है जो सभी अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय औसत (978) से कम है। व्यक्तिगत रूप से, सभी पांच जनजातियों ने राष्ट्रीय औसत से एक समग्र लिंग अनुपात दर्ज किया है।

जबकि थारू, भोटिया और बुक्सा के लिंग अनुपात 900 से ऊपर है, राजी और जौनसारी में क्रमशः 900 और 800 के नीचे लिंग अनुपात है। वही गोंड के लिंग अनुपात 940 दर्ज किया गया है।

अध्ययन के क्षेत्र का सक्षिप्त विवरण

देवरिया जिला

देवरिया जिला भारतीय राज्य उत्तरप्रदेश का एक जिला है। इस जिले का वर्तमान क्षेत्र 'कौशल राज्य' का एक हिस्सा था। उत्तरप्रदेश मे हिमालय से घिरा हुआ प्राचीन क्षेत्र संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। दक्षिण मे श्यादिका नदी, पश्चिम मे पांचाल राज्य और (बिहार) पूर्व मे माघढ राज्य। इस क्षेत्र के अनेक काल्पनिक कथाओ के अलावा, इस जिले के कई स्थानो पर खगोल–एतिहासिक जीवाश्म ('मूर्ति, सिक्का, ईट, मंदिरों, बुद्धगणित अवशेष आदि) पाए जाते हैं। देवरिया के पास ही कुशीनगर भी स्थित है, जो महात्मा बुद्ध के निवार्ण स्थान के रूप मे बौद्ध तीर्थस्थल है, यह दर्शाते हुए की प्राचीन काल मे यह क्षेत्र विकसित और संगठित समाज था। जिला का प्राचीन इतिहास रामायण कल से संबन्धित है। जब 'कौशल नरेश' राम ने अपने बड़े पुत्र कुश, को कुशवली का राजा नियुक्त किया जो आज कुशीनगर है।

महाभारत कल से पहले यह क्षेत्र चक्रवर्ती सम्राट 'महासुद्रस्थान से संबन्धित था। और उसका राज्य कुशीनगर पूर्ण रूप से विकसित और समर्द्ध था। उनके राज्य की सीमा के पास के इलाके के क्षेत्र जंगली महावन थे। यह क्षेत्र मौर्य शासकों, गुप्त काल के शासकों और फिर गढ़वाल शासक 'गोविंद चंद्र' के नियंत्रण मे रहा, इस क्षेत्र पर वर्ष 1114 से 1154 वर्ष तक गढ़वाल वंश के शासकों के नियंत्रण मे था। उसके बाद यह क्षेत्र अवध शासकों या मध्यकाल के समय यह क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अधीन था।

मध्यकाल मे इस क्षेत्र का सबसे पुराना दिल्ली के शासकों–सुल्तान, निज़ाम या खिलजी का नियंत्रण रहा था। लेकिन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा पूर्व युद्ध/हमले/ आक्रमण उनकी लिपियों मे इस क्षेत्र का कोई विवरण नहीं है, जिसका अर्थ है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र को केवल मोटे तौर पर लकड़ी के क्षेत्र मे कभी–कभार ही देखा होगा।

इस क्षेत्र मे आधुनिक काल के इतिहास मे एक महत्वपूर्व भूमिका निभाई है। 1920 मे गांधी जी ने देवरिया मे पधृणा सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया। देवरिया क्षेत्र से बाबा राघव दास ने 1930 मे नमक आंदोलन शुरू किया था। 1931 मे, इस जिले मे अंग्रेजी सरकार और जमींदारों के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू किया गया था। कई लोग स्वयसेवकों के रूप मे कांग्रेस मे शामिल हो गए और जिलो मे कई स्थानो पर मार्च निकाला गया। 1935 मे श्री पुरुषोत्तम दास टंडन और रफी अहमद किदवई ने इस जिले के विभिन्न स्थानों पर दौर किया। देवरिया नाम 'देवरण्य' से लिया गया है या शायद

देवपुरिया से निकाला गया है। आधिकारिक विवरणिका के अनुसार, जिले के मुख्यालय के नाम से इस क्षेत्र का नाम रखा गया है। देवरिया शब्द का अर्थ आमतौर पर एक ऐसा स्थान है जहां मंदिर हैं। इस क्षेत्र मे महत्व पूर्ण मंदिरों की वजह से देवरिया का नाम शायद विकसित हुआ था। देवरिया जिला गोरखपुर विभाजन का एक हिस्सा है। देवरिया जिला 16 मार्च,1946 को गोरखपुर जिले के रूप मे अस्तित्व मे आया था। यह क्षेत्र गोरखपुर से लगभग 50 किमी दक्षिण–पूर्व में स्थित है। यह तहसील आगे 16 ब्लाको और 2,008 गावों मे विभक्त है देवरिया जिला उत्तरप्रदेश के भोगोलिक क्षेत्र मे 1.1 प्रतिशत हिस्सा और आबादी का 1.6 प्रतिशत हिस्सा है

(तालिका संख्या–5) देवरिया अनुसूचित जनजाति

जिला	क्षेत्र	जनसंख्या	पुरुष	महिला
देवरिया	ग्रामीण	102,946	50,588	52,358
	शहरी	6,948	3,628	3,320
	कुल	109,894	54,216	55,678

देवरिया मे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 109,894 है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 102,946 है, और शहरी आबादी मे पुरुषो की जनसंख्या 3,628 है, वही ग्रामीण पुरुषो की आबादी 50,588 है। और महिलाओ की कुल जनसंख्या 55,678 जो पुरुषो से अधिक है ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या 52,358 है वही शहरी महिलाओ की जनसंख्या 3,320 है।

अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर और देवरिया जिले का शैक्षिक विवरण

देवरिया जिले मे अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 67.4 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 74% से नीचे है। पुरुषों की साक्षरता दर 80.6 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर केवल 54.6 प्रतिशत की तुलना मे व्यापक लिंग अंतर को दर्शाता है। जहां पुरुषों की साक्षरता दर 80 प्रतिशत से ऊपर है वही महिलाओं की साक्षारता दर 54 प्रतिशत पर ही सिमट कर रह गई है। हालांकि यह संख्या राज्य की औसत से काफी अधिक है।

(तालिका संख्या–6) अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 2011

क्षेत्र	साक्षर जनसंख्या	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षारता	साक्षरता दर	पुरुष	महिला
कुल	62,190	36,391	25,799	67.4	80.7	54.6
ग्रामीण	57,913	33,874	24,039	67.0	80.6	54.2
शहरी	4,277	2,517	1,760	72.0	81.5	61.8

देवरिया जिले मे अनुसूचित जनजाति

देवरिया जिले मे अनुसूचित जनजातियों के निवासियों मे बुक्सा, राजी, थारु, गोंड और खरवार अनुसूचित जनजातिय समुदाय देवरिया मे निवास करते है। जिनमे से पुरुषो की आबादी 54,216 है वही महिलाओं की आबादी 55,678 पुरुषो की अपेक्षा से अधिक है। कुल ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की आबादी, नगरीय आबादी से अधिक है। देवरिया जिले मे सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातिय आबादी मे गोंड समुदाय की है गोंड समुदाय की महिलाओं की जनसंख्या भी गोंड जाति के पुरुषो से अधिक है।

(तालिका संख्या–7) देवरिया जिले मे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

अनुसूचित जनजतियों	योग		ग्रामीण		नगरीय	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
सभी अनुसूचित जनजातिया	54,216	55,678	50,588	52,358	3,328	3,320
बुक्सा	1	–	1	–	–	–
राजी	11	13	6	10	5	3
थारु	5	3	5	3	–	–
गोंड	45,966	47,702	43,702	45,288	2,559	2,414
खरवार	6,112	5,976	5,198	5,200	914	776

गोंड जनजाति का इतिहास

दुनिया मे किसी भी अन्य देश की तुलना मे भारत मे सबसे बड़ी जनजातिय आबादी है। भारत मे 688 अनुसूचित जनजातियां है और इनमे से 9 प्रमुख आदिवासी समूह है, जिनमे से लगभग आधा मध्य, पश्चिमी और पूर्वी हिस्से है। इनमे से 9 मे मे 'गोंड' एक प्रमुख आदिवासी समूह है। वह मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेंलगाना, बिहार, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के राज्यों मे शामिल है।2011 की जनगणना के अनुसार यह देश की कूल आबादी का 8.6 प्रतिशत है। गोंड दुनिया के सबसे प्राचीन जनजाति है और देश मे सबसे बड़ी जनजातीय आबादी गोंड समुदाय की है।

गोंड भारतीय जनजतियों मे सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी आबादी 4 से 5 लाख के बीच है, यह व्यापक रूप से उत्तर आंध्रप्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी मध्यप्रदेश, झारखंड और पश्चिमी उड़ीसा (देवगोंकर, 2007 पृष्ठ 14–17) मध्यप्रदेश के विंध्यपर्वत, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान मे दक्षिण–पश्चिम गोदावरी नदी के तट व जंगलो और मध्य भारत के पहाड़ो मे फैले हुए हैं। हालांकि उनका सटीक इतिहास को 890 ई°पू° (देवगोंकर, 2007,पृष्ट 37) से पहले का नहीं कह सकते है, उनकी जड़े निश्चित रूप से बड़ी है। गोंड दुनिया की सबसे बड़ी आदिवासी समूह है। भारत की जनजातीय आबादी के बीच, गोंड अपनी संख्या ,उनके निवास के लिए विशाल क्षेत्र और एतिहासिक महत्व के साथ मौजूद है। गोंड की उत्पत्ति मेहता (1984) ने विभिन्न दृष्टिकोणों से गोंड का अध्ययन किया है और उनके इतिहास और पौरणिक कथाओं का विस्तार भी किया है (मेहता,1984,पृष्ट 105–166)। भाषाई अध्ययनों के आधार पर, मेहता (1984,पृष्ट 168) उन्हे एक प्राचीन समुदाय मानते है। माना जाता है कि यह भारत की सबसे पुरानी जनजातियों मे से एक है, जिनकी जड़ दक्षिण–पूर्व भारत मे लगभग 2000 ईसा पूर्व मे द्रविड़ के पूर्व आगमन पर वापस आ गई थी।

गोंड जनजाति "द्रविड़ जनजाति और भारत मे सबसे महत्वपूर्ण गैर–आर्यन या वन जनजाति है'' और केंद्रीय प्रांतो (अब मध्य प्रदेश) मे वह एक बड़े हिस्से मे शासक थे जिन्हे "गोंडवाना'' के नाम से जाना जाता है। गोंड जनजातियों का भारत मे एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिसका एक मुख्य कारण इनका इतिहास भी है। एतिहासिक रिकार्ड मे गोंड साम्राज्य 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र गोंडवाना मे गोंड शासको का एक शक्तिशाली शासन स्थापित था। इन शासकों ने एक बहुत मजबूत दुर्ग, तालाब व स्मारक बनवाए और सफल संगठनात्मक नीति तथा दक्षता का परिचय दिया। इनका शासन मध्य भारत से पूर्वी–उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक थी। सामाजिक रूप से, गोंड ने दिल्ली मे मुगल साम्राज्य के उदय से पहले मध्य भारत के बड़े हिस्सो पर शासन किया था। गोंड साम्राज्यों के कई किले और अन्य अवशेष, इस अवधि के दौरान मध्य भारत पर अपने प्रभुत्व का सुझाव देते हैं। उनकी वर्तमान जीवन शैली आक्रमक साम्राज्य भवन की बजाय कृषि परम्पराओं का भी संकेत मिला है।

पहला ऐतिहासिक रूप से दर्ज गोंड साम्राज्य 14 वीं और 15 वीं शताब्दी ईस्वी में मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र में आया था। पहला गोंड राजा जदुराई था, जिसने कलचुरी राजपूतों को त्याग दिया था, इस राजवंश के सबसे शानदार शासकों ने प्रतिष्ठित रानी, रानी दुर्गावती, जिन्हें गोंड समुदाय का सम्मान किया, और हर्ड शाह, इस्लाम को अपनाने वाले पहले गोंड राजा थे. गोंड राजाओं का राजमार्ग 18वीं शताब्दी में समाप्त हो गया था, भोसाला मराठा वंश के एक योद्धा राजे रघुजी भोंसले ने पहले नागपुर–खेरला साम्राज्य को कब्जा कर लिया था, जबकि गड मंडला पेशावर द्वारा कब्जा कर लिया गया था। चंदा थोड़ी देर तक बाहर रहे, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के साथ जिन्होंने पहले मराठों के साथ संधि में प्रवेश किया और फिर उन्हें जोड़ दिया, गोंड शासन के अंतिम निशान मिटा दिए गए।

देवरिया मे गोंड जनजाति

गोंड उत्तरप्रदेश मे अनुसूचित जनजाति मे सबसे बड़ी संख्या मे है। (5,69,035 व्यक्ति,2011 की जनगणना के अनुसार) यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजातियों मे से एक है। यह जनजाति सभी जिलो मे फेली हुई है लेकिन देवरिया मे गोंड जनजाति सबसे अधिक है। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद से उन्हे केवल आदिवासी मान्यता से इनकार ही नहीं किया गया बल्कि अनुसूचित जाति की क्षेणी मे शामिल किया गया था और सोनभद्र और मिर्जापुर मे कोइमुर सीमा के आसपास कुछ जिलों मे ही था। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों मे, उन्हे सामान्य क्षेणी मे रखा गया था। 1967 मे पूरे उत्तर प्रदेश मे गोंड जनजाति को अनुसूचित जाति मे रखा गया था। 26 साल के लंबे संघर्ष के बाद ही उन्हे अनुसूचित जनजाति के रूप मान्यता प्राप्त हुई। 2002–03 मे पूर्व उत्तर प्रदेश मे गोंड और इसके पाँच उप–जतियों को केवल 13 जिलों मे अनुसूचित जनजाति के रूप मान्यता दी गई। इस प्रकार, पिछले 62 वर्षो के दौरान, वह अपनी वास्तविक पहचान हासिल करने के लिए संघर्ष रहे थे हालांकि केवल कुछ ही जिलों मे ही गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति की क्षेणी की सूची मे शामिल किया गया है अन्य जिलों मे गोंड समुदाय अभी तक अनुसूचित जाति मे सूचीबद्ध है।

अध्याय तृतीय

गोंड महिलाओं की सामजिक और आर्थिक स्थिति का एक अध्ययन

उत्तरदाताओं का सामाजिक – आर्थिक ढांचा प्रष्ठभूमि

उत्तरदाताओं की आयु संरचना

अधिकांश महिलाओं के उत्तरदाता 18 –35 वर्ष के आयु वर्ग के है। वह पूरे शोध के प्रतिरूप का 49.0 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते है 36–60 वर्षो के आयु वर्ग के पुनवर्त दूसरे सबसे बड़े बहुमत है और 35.50 प्रति का आकार का प्रतिशत है अगला समूह वरिष्ठ नागरिक (61 वर्ष के ऊपर) है, जो कुल शोध के प्रतिरूप के आकार का 31.0 प्रतिशत है।

(तालिका संख्या–8) उत्तरदाताओ की आयु संरचना

आयु वर्ग	उत्तर दाताओ की संख्या	प्रतिशत
युवा वर्ग (18–35) वर्ष	100	49.0
मध्यम आयु (36–60) वर्ष	71	35.50
वरिष्ठ नागरिक 61और ऊपर	31	25.0

उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर

शिक्षा निस्संदेह हर एक महिला के लिए महत्वपूर्ण है। जो सामाजिक स्थिति को निर्धारण करने मे मदद करता है। शिक्षा महिलाओं को और अधिक व्यापक बनाता है। शैक्षिक पिछड़ापन सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण और प्रभाव दोनों है। शिक्षा के माध्यम से आदिवासी सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, पारंपरिकता की बुराइयों व अंधविशवास दूर हो सकते है।

नीचे दी गई तालिका, जिला देवरिया मे रहने वाले गोंड जनजाति के 200 महिला उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर पर आकड़ो का प्रतिरूप है। उत्तरदाताओं की अधिकतम संख्या मध्यमतर क्षेणी से होती है, जिसमे प्राथमिक, मध्य, हाईस्कूल और उच्च शिक्षा तक शैक्षणीक योग्यता शामिल होती है। इस इस भाग का प्रतिरूप का आकार 51.0 प्रतिशत है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या मे उत्तरदाताओं साक्षर है और कुल 34.5 फीसदी है। उच्चतर शिक्षा का भाग, जो स्नातक और स्नानकोत्तर का स्तर 14.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।

(तालिका संख्या – 9) उत्तरदायित्वों की शैक्षिक स्थिति

वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	69	34.5
मध्यम साक्षरता (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालय)	102	51.0
उच्चतर साक्षरता (स्नातक और उच्च शिक्षा स्तर)	29	14.5
कुल	200	100

उत्तरदाताओं का व्यवसाय

नीचे दी गई तालिका मे पता चलता है कि उत्तरदाताओं (56.0) मे बड़ी संख्या मे परिवार है, जो किसानों और उत्तरदाताओं का छोटा सा भाग है। (13.5 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र से आते है) उत्तरदाताओं का दूसरा सबसे बड़ा समूह, जो 30.5 कुल शोध प्रतिरूप का प्रतिशत, निजी क्षेत्र से है।

(तालिका संख्या – 10) उत्तरदाताओं का व्ययसाय

व्यवसाय के प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
गृहिणी / खेती	126	63.0
निजी क्षेत्र	61	30.5
सरकारी क्षेत्र	13	06.5
कुल	200	100

उत्तरदाताओं के धर्म

धर्म समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं मे से एक है। विशेषकर उन समाज जो जाति, वर्ग, समुदाय और भाषा पर आधारित है। इस अर्थ से, भारतीय समाज उनमे से एक है। यहां धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आदिवासी समाज मे अपने स्वय के आदिवासी धर्म है, जैसा की दूरखेंम अपने काम मे ''धार्मिक के प्राथमिक रूप'' मे सही तरीके से बताया है, लेकिन हमारे क्षेत्रीय अध्ययन मे हमे ऐसे किसी भी तरह का धार्मिक तरीका नहीं मिला बल्कि वह हिंदू धर्म का पालन करते है। यह स्पष्ट रूप से गोंड जनजाति पर हिंदू जीवन शैली के प्रभाव को इंगित करता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह एकीकरण के बजाय एक तरह का आत्मसात हैं।

उत्तरदाताओं के परिवार संरचना

परिवार एक समाज के सबसे महत्वपूर्ण बुनयादी सामाजिक संस्थानो मे से एक है और इसे आदिवासी समाज मे सबसे स्थायी संस्था के रूप मे माना जाता है। संयुक्त परिवार प्रणाली भारत मे आदिवासी

समाज की विशेषता रही है। यह माना जाता है कि एक शैक्षिक व्यक्ति, तकनीकी और शहरीकरण के प्रभाव उनके परिवार के ढ़ाचे मे कुछ बदलाव करते है। कृषि मे तेजी से तकनीकी विकास ने गोंड जनजाति के किसानो को एक और अपने आर्थिक जीवन के सुधार लाने और दूसर बढ़ते व्यक्तिवाद को बेहतर बनाने मे मदद की है। परिवार के प्रकार को देखते हुए, हमने देखा की शहरी और ग्रामीण इलाकों मे परिवार के ढ़ाचे समान है। इस समय यह देखा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र मे परिवार पर शहरीकरण का असर बहुत कम है या शहरी क्षेत्र मे नगण्य है। शहरी क्षेत्र मे सयुक्त परिवार का 41.5 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के मामले मे यह 58.5 प्रतिशत है यह आकड़ा स्पष्ट रूप से दिखाता है। कि परिवार के ढ़ाचे मे शहरीकरण की धारणा का असर गोंड जनजाति पर नगण्य है। क्योंकि यह न तो संयुक्त परिवार की संरचना को नष्ट कर सकता है।

(तालिका संख्या – 11) उत्तरदाताओं का पारिवारिक संरचना

स्थान	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
ग्रामीण	117	58.5
शहरी	83	41.5
कुल	200	100

उत्तरदाताओं के परिवार के प्रमुख

नीचे दी गई तालिका परिवारों को प्रदान किया गया है कि उत्तरदाता किस तरह के रहने वाले लोग निहित है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, अधिकांश उत्तरदातओं ने उन घरो मे रहकर साक्षात्कार किया है जहां पुरुष परिवार का मुखिया है। 200 उत्तरदाताओं से दस घरों मे महिला परिवार की मुखिया है। यह पारिवारिक संदर्भ मे पुरुष सदस्य की मुख्यता और महत्व को दोहराता है। यह गोंड परिवार की संरचना की विशिष्ट नहीं है लेकिन समाज मे पुरुष वर्चस्व का गोंड जनजाति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि, परिवार मे महिला सदस्य द्वारा की जाने वाली भूमिका को नकार या उपेक्षा नहीं किया जा सकता है।

(तालिका संख्या –12) उत्तरदाताओं के परिवार के प्रमुख

परिवार का मुखिया	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत

पुरुष– प्रमुख	190	95.0
महिला– प्रमुख	10	5.0
कुल	200	100

उत्तरदाताओं के घर प्रारूप

घर की संरचना सामाजिक स्थिति और समाज मे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का प्रतीक है। यहाँ हमने पक्के, कच्चे के मामले मे तीन प्रकार के आवास ढ़ाचे को वर्गीक्रत किया है। और दोनों पक्के घर कंक्रीट, सीमेंट और अच्छी तरह से संरचित और सुसज्जित है। यह लंबे समय तक रहता है, यहाँ तक की 50 या 60 साल। दूसरे पर कच्चे घर रेत व मिट्टी के बने होते है। और लम्बे समय तक नहीं रह सकते है। अध्ययन के अकड़ों से हमने पाया है कि वह (गोंड जनजाति) ज़्यादातर कच्चे घरों मे रहते है। वास्तव मे ग्रामीण इलाकों मे 60 प्रतिशत से अधिक कच्चे घरों मे रहते है। और प्रत्येक गोंड घर गाँव समुदाय के प्रयासों का एक उत्पाद है, गर्मियों (मई और जून) के दौरान, जब खेतों मे बहुत कम कम होता है, तो जब वह खाली समय मे वह घरों का निमार्ण और मरम्मत का काम करते है।

(तालिका संख्या –13) घर की संरचना के प्रारूप

घर की संरचना	उत्तरदाताओं के संख्या	प्रतिशत
पक्का	79	39.5
कच्चा	130	65.0
कुल	200	100

(तालिका संख्या – 14) सर्वेक्षर जिला – देवरिया राज्य महाविद्यालय की सूची

कर्मांक	देवरिया जिले मे महाविद्यालय	2017 वर्ष मे कुल गोंड महिला छात्रा	महाविद्यालय मे कुल छात्राएं
1.	राजकीय महिला महाविद्यालय	00	155
2.	राजकी महाविद्यालय य, इंदुपुर	07	194
3.	रवींद्र किशोर शाही महाविद्यालय, पथरादेव, देवरिया	08	235

1. राजकीय महाविद्यालय, इंदूपुर, गौरी बाज़ार, देवरिया देवोरिया में स्थित शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थान में से एक है। यह 1996 में स्थापित किया गया था। यह दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर

विश्वविद्यालय से संबद्ध है। राजकीय महाविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया में स्थित है। शैक्षणिक क्षेत्र, पुस्तकालय, चिकित्सा सुविधाएं, जैसे अतिरिक्त परिसर सुविधाएं। कक्ष, मैदान, आवासीय संस्थान, आवासीय क्षेत्र, आवासीय संकाय क्षेत्र हैं परंतु 1996 से स्थापित, छात्रावास की सुविधा अपने छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है यहां स्नातक या कला एक पाठ्यक्रम शुरू कराया गया है। लेकिन अन्य कोई पाठ्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। दूसरी ओर यह देवरिया क्षेत्र की सीमा पर मे होने के कारण स्थानीय लोगो की पहुचं से दूर है। इसलिए इस महाविद्यालय मे जनजातीय छात्राओं की जनसंख्या बहुत कम है।

2.

सरकारी महिला डिग्री कॉलेज, सेलमपुर उत्तर प्रदेश एक मान्यता प्राप्त संस्थान है। सरकारी महिला डिग्री कॉलेज भारत में उत्तर प्रदेश राज्य (प्रांत) के सेलमपुर में स्थित है। सरकारी महिला डिग्री कॉलेज डीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) गोरखपुर महाविद्यालय, गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) से संबद्ध है। यह 2001 में स्थापित किया गया था। कला स्नानतक पाठ्यक्रम है। वरणिज्य और विज्ञान से संबन्धित कोई पाठ्यक्रम नही है। केवल एक ही पाठ्यक्रम होने के कारण छात्राओं का रुझान कम है। इस विश्वविद्यालय मे भी छात्राओं के लिए कोई महिला छात्रावास नहीं है। इस कारण भी जनजातिय आबादी जो दूर दराज गाँव मे रहती है दूर दराज की महिलाओं को विश्व विद्यालय पहुँचने मे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

3.

रविंद्र किशोर शाही, राजकेय महाविद्यालय, पाथेरदेवा, देवरिया में स्थित शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थान है। यह में 2000 स्थापित किया गया था। यह दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर महाविद्यालय से संबद्ध है। यहाँ भी केवल कला स्नानतक पाठ्यक्रम है। इस मे भी छात्रों के लिए किसी छात्रावास की सुविधा नहीं है। छात्र लंबी दूरी तय करते हुये विश्वविद्यालय पहुँचते है।

भारत में ग्रामीण क्षेंत्र मे उच्च शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक, पर्याप्त गुणवत्ता वाले संस्थानों की कमी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कई असमानताएं मौजूद हैं। गांवों में महाविद्यालय की संख्या के दूरस्थ, पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं। इसके अलावा तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों मे वरणिज्य और विज्ञान पाठ्यक्रम नहीं, उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना हमारी प्रणाली की प्रमुख समस्याओं में से एक है।

गरीबी एक और झटका है। सरकारी महाविद्यालय मे कला स्नानतक के अतिरिक वरणिज्य और विज्ञान का कोई पाठयक्रम नहीं हैं और निजी महाविद्यालय महंगे हैं। इसके परिणामस्वरूप छात्रों की बहुत कम संख्या में वास्तव में अपनी माध्यमिक शिक्षा को समाशोधन और आगे के अध्ययन के लिए कॉलेजों में प्रवेश लेना पड़ता है। तो माध्यमिक स्तर पर नामांकन रद्द गांवों में बहुत अधिक है। केवल माता–पिता जो कॉलेज शिक्षा दे सकते हैं, अपने बच्चों को माध्यमिक विद्यालय में भेज सकते हैं। यदि माता–पिता उच्च शिक्षा के लिए अपने स्थानीय निवास से दूर भेजने में सक्षम नहीं हैं तो उनके सभी पिछले प्रयासों को बर्बाद कर दिया जाता है क्योंकि केवल माध्यमिक शिक्षा को पूरा करने का मतलब कम वेतन वाला नौकरी है और व्यक्ति को फिर से पैसे, जीवन और गरीबी के समान अंत चक्र में मारा जाता है।

भारत में स्कूल छोड़ने के औसत से बहुत कम बच्चे उच्च शिक्षा चाहते हैं। कॉलेज जीवन के दौरान भी परिवार के बोझ, खराब आधारभूत सुविधाओं, मौद्रिक समर्थन की कमी और उच्च शिक्षा के प्रति गलत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप गिरता नामांकन संख्या है।

संदर्भ ग्रंथ

1. ए.के. राजनीति विज्ञान के वर्मा विभाग, क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर।

अध्याय चतुर्थ

अध्याय चतुर्थ मे “गोंड जनजाति और उसके विभिन्न संबंधो की शैक्षिक स्थिति” मूल रूप से गोंड जनजाति की शिक्षा की स्थिति पर ज़ोर देती है सबसे पहले, यह अध्याय सामान्य तौर पर भारत के आदिवासियो की शिक्षा की स्थिति और विशेष रूप से गोंड जनजाति की शिक्षा की स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करेगा। यह विभिन्न कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है साथ ही कैसे गोंड जनजाति की शिक्षा की स्थिति मे वृद्धि के लिए फायदेमंद रहेगा। तीसरा, हम क्षेत्र के आकड़ों पर

ध्यान केन्द्रित करेगे जो हमने अनुसंधान के दौरान एकत्र किया है और पिछली आकड़ों और निष्कर्षो के साथ संबंध बनाने का प्रयास स्थापित करेगे, जो पहले से दिये गए साहित्य विद्दमान है।

यह अनुसूचित जनसंख्या आबादी भारत की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत और सभी ग्रामीण लोगों के 11.3 प्रतिशत है। देश के 26 राज्यों मे से 22 मे अनुसूचित जनजाति की आबादी का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा है। इस आबादी के लिए शिक्षा की योजना आसान नहीं है। इसलिए, सूक्ष्म योजनाओं बनाने की दृष्टि से मौजूदा आदिवासी महिलाओं की उच्च शिक्षा सुविधाओं और महिला कल्याण सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं को देखने ने के लिए अध्ययन किए गया है। जो उनकी अवश्यकताओं की देखभाल करते है।

एक जनजाति मे समाज के एक उप–समूह के रूप मे देखा जा सकता है। एक जनजाति के सदस्य एक सामान्य क्षेत्र रहते है और एक ही प्रकार की बोली है जो संचार का मुख्य साधन है। प्रत्येक जनजाति मे एक समान सामाजिक संगठन है और सांस्कृतिक एकरूपता है। जनजाति आबादी विविधतापूर्ण सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भिन्नतापूर्ण आर्थिक स्थितियों और गतिविधियों के साथ के साथ होती है, जो परिस्थिति पर निर्भर करती है। विभिन्न आदिवासी समूहों के मनोवैज्ञानिक, स्नास्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि मे भी व्यापक विविधताएं है। भारत जैसे देश मे बड़ी संख्या मे जनजातिया है, जो एतिहासिक और सामाजिक कारणों से मुख्यधारा से दूर भटक गई है। इस विशाल देश का लगभग 8.6 प्रतिशत जनजातिय (अनुसूचित) जनसंख्या जो लगभग 104,281,034 के अनुमानित है।

भारतीय संविधान के संस्थापक आदिवासी की समस्याओं से अवगत थे। इसलिए, उन्होने इनकी सुरक्षा और विकास के लिए विशेष प्रावधान किया। मुख्य सुरक्षा उपायों मे शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण शामिल है। संविधान लोकसभा मे अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 जनवरी, 2010 (कला, 330,332 और 334) तक विशेष प्रतिनिध्त्व प्रदान करता है और केंद्र मे राज्यों और राष्ट्रीय आयोग मे अलग–अलग विभागों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कहता है। उनके कल्याण और उनके हितों की रक्षा (कला 164 और 338) अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान (कला 224 पाँचवी और छठी अनुसूची) और ऐसी योजनाओं की लागतों को पूरा करने के लिए राज्यों को अनुदान सहायता अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने या अनुसूची क्षेत्रों के स्तर को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले विकास गारंटी दी जाती है। बाद अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विशेष कानून, जैसे नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989 अधिनियम किए गए थे। (जनजातीय कल्याण मंत्रालय मे आदिवासी आदि)।[1]

दुर्भाग्य से इस आदिवासी आबादी का साक्षारता दर बहुत कम है। 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रीय साक्षरता दर, 58.96 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय साक्षारता दर से बहुत कम है, अर्थात 96.9 प्रतिशत। जनजातीय आबादी मे महिला साक्षरता 49.35 प्रतिशत है जबकि पुरुष साक्षरता दर 68.53 प्रतिशत है जबकि साक्षारता शिक्षा का केवल एकमात्र साधन है और अपने आप मे इसका कोई अंत नहीं है, शिक्षा आर्थिक लाभ की तरफ ले जाती है जो सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से हासिल की गई जानकारी का उपयोग करने के लिए व्यक्ति की बढ़ी हुई क्षमता का परिणाम है। इसलिए, इस तरह के विशाल समूह के लिए किसी भी शैक्षणिक योजना को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आयु वर्ग के सभी सदस्यों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

जनजाति की शिक्षा भारत के पहले एक महत्वपूर्ण कार्य है संविधान के अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे मे चर्चा की गई है। "राज्य के लोगों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कमजोर वर्गो के शैक्षिक और आर्थिक हितों के साथ विशेष देखभाल और बढ़ावा देना होगा और उन्हे सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाना होगा।

आदिवासी समुदाय, जो लंबे समय तक अज्ञात रहने वाले आदिवासी समुदायों को न केवल सामन्य साक्षारता की अवश्यकता थी बल्कि अन्य कौशल जो उन्हे साहसपूर्ण सामना करने और आधुनिकीकरण की बहिष्कृत शक्तियों को सामना करने की अवश्यकता थी, इस बात को ध्यान मे रखते हुए रखते हुए, जनजातीय उप–योजना (टी°एस°पी) की रणनीति को अपनाया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना से जनजातीय आबादी के आधार पर पूरे देश के सभी आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने निम्न लिखित योजनाओं मे शामिल किया गया।

- एकीकृत आदिवासी क्षेत्र विकास परियोजना (आईटीडीपी)
- संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (एमएडीए)
- आदिम जनजातिय समूह (पीटीजी)

केंद्र द्वारा प्रायोजित यह योजना (टीएसपी) 1990–91 मे संबन्धित राज्य योजना के साथ–साथ केंद्रीय मंत्रालयों से राज्य के आदिवासी क्षेत्रों को क्रमशः 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत आधार पर केंदीय मंत्रालयों के बजट से देश के लिए कुल आनुपातिक जनजातिय आबादी के अनुपात मे जनजातिय क्षेत्रों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

यह महसूस किया गया है कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के बाद भी शिक्षण और कौशल की कमी के कारण जनजातिय लोगों की आर्थिक स्थिति मे कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए शैक्षिक विकास के लिए योजनाएँ आवश्यक है। आर्थिक स्थिति के साथ– साथ यह भी महसूस किया गया की आदिवासी

शिक्षा की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र मे, आदिवासी महिलाओं की स्थिति हानिकारक है।

जनजातिय विकास के संदर्भ मे और संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार आमतौर पर आदिवासी और विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा का प्रसार करने के लिए कई प्रयास कर रही है। आदिवासियों की शैक्षिक अवस्था मे निर्देशित परिवर्तन के विभिन्न योजनाएँ लंबे समय से चल रही है।

आदिवासी शिक्षा के प्रति योजनाओं मे एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा योजना (एनपीई) 1986 मे आया। जिसमे अन्य तथ्यों के अलावा, आदिवासी शिक्षा के प्रति निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान दिया गया।

- आदिवासी इलाकों मे प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को प्राथमिकता दी गई।
- बड़ी तादाद मे अवासीय विद्यालय और आश्रमशालाएं खोले जाएंगे।
- आदिवासियों के लिए उनकी जिंदगी के तौर तरीकों और उनकी जरूरतों को ध्यान मे रखते उच्च शिक्षा के लिए दिये जाने वाली छात्रवृत्तियों मे व्यावसायिक पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जाएगा।
- पढ़े–लिखे प्रतिभाशाली आदिवासियों को प्रशिक्षण देकर उन्हे अपने ही क्षेत्र मे शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गो को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे आंगनवाड़ियों, प्रौढ़शिक्षा केंद्र आदिवासी बहुल इलाकों मे प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएगे।

योजना की अनूठी विशेषता जनजातिय क्षेत्रों की विविधता की पहचान है। नई शिक्षा योजना जनजातिय महिलाओ की विषमताओं को दूर करने मे बल देगी और अब तक शिक्षा से वंचित रह रहे लोगों की अवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए शिक्षा के समान अवसर देगी। शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति मे बुनियादी सुधार लाने के लिए एक साधन के रूप मे किए जाएगा। अतीत से चली आ रही विषमताओं और विकृतियों को समाप्त करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का झुकाव आदिवासी महिलाओं के पक्ष मे होगा। योजना मे प्रभवकी शिक्षण के लिए मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के माध्यम को रेखाकृत किया है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश की बस्तियों मे शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश मे भी 200 आबादी वाले बस्तियों मे शिक्षा की संस्थाए खोलने के लिए आबादी का आकार मानदंडों मे लगातार कमी की है। हालांकी, ऐसे नियमों के बावजूद कई इलाको मे अभी भी महिलाओं के लिए शिक्षा की संस्थाए नहीं है।

4.1 आदिवासी कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं/नीति

जनजातिय मामलों के मंत्रालय (www.tribal.nic.in) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है इस दिशा मे कई योजनाएं लागू की जा रही है।

4.2 अनुच्छेद के प्रवाधन के तहत अनुदान 275 (1)

भारत सरकार जनजातिय विकास योजना के लिए एसी परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत जनजातिय उप–योजना टीएसपी और अनुसूचित जनजाति के बहुमत वाले राज्यों को जनजातिय विकास हेतु किए गए प्रयासो को पूरा करने के लिए अनुदान प्रदान करती है। जनजातिय विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय शिक्षा कि संस्थाए स्थापित किया गया।

4.3 अनुसूचित जनजाति की लड़कियों/लड़कों के लिए छात्रावास योजना

जनजातीय लड़कियों की शिक्षा और उनको बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए छात्रावास योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू की गई थी। इस योजना के तहत छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु राज्यों की लागत का 50 प्रतिशत तथा संघ राज्यों को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावास के निर्माण की लागत राज्य पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी की दरों पर आधारित है। तथा छात्रावास के रख रखाव से संबंधित की ज़िम्मेदारी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। 1999–2000 के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 29 तथा 2000–2001 के दौरान लड़कियों के छात्रावास के निर्माण के लिए निधियां निमुर्क्त की गई थी। वही लड़कियों के लिए छात्रावास योजना के अनुसार लड़कों के लिए छात्रावास योजना 1989–90 मे शुरू की गई थी। यह योजना अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत उपयोगी है। 2011 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार सामान्य महिलाओं की साक्षरता दर 64.4 प्रतिशत है, और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर तुलना मे 49.5 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए प्राथमिक, मध्यमिक, विश्वविद्यालयों तक की शिक्षा के लिए उपलब्ध है।

4.4 जनजातीय क्षेत्रों मे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र

इस योजना का उद्देश्य उनके शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्तमान आर्थिक तथा बाजार की क्षमता के आधार पर जनजातियों के कौशल को उन्नत करना है। जिससे यह लाभकारी रोजगार प्राप्त करने मे मदद मिलेगी या उन्हे स्व–नियोजित करने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। यह योजना 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करती है, और इसे राज्य सरकार, संघ राज्य प्रशासन और गैर–सरकारी संगठन के माध्यम से लागू किया जाता है। यह योजना निधारित वित्तयी मानदंडों को निधारित करती है। कोई निर्माण लागत प्रदान नहीं की जाती है।

4.5 निम्न साक्षरता जिले मे अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढीकरण

निम्न साक्षरता वाले जिलों मे अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच साक्षरता का सुदृढीकरण यह सरकार की लिंग आधारित योजना है। इस योजना का उद्देश्य आम जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षारता के अंतर को कम करना है, पहचान वाले जिलों या ब्लाकों मे जनजातीय लड़कियों को 100 प्रतिशत नामांकन की सुविधा से, विशेष नक्सल प्रभावित इलाको तथा आदिवासी जनजातीय समूह (पीटीजी) की आबादी वाले क्षेत्रो मे सामान्य महिलाओं और जनजातीय महिलाओं के बीच की साक्षरता के अंतर को समाप्त करना है। यह योजना इस तथ्य को मान्यता देती है कि जनजातीय लड़कियों की शिक्षा के स्तर मे सुधार आवश्यक है। ताकि यह सामाजिक व आर्थिक विकास से प्रभावी ढंग से भाग लेने हेतु सक्षम बन सके।

यह योजना मे 12 राज्यों और 1 केन्द्रशासित प्रदेश मे 54 पहचान वाले जिलों को शामिल किया गया है। जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है।, और 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर 35 प्रतिशत या उससे निम्न है। इसके अलावा, उपरोक्त 54 जिलों के अतिरिक्त, अन्य जिलों के जनजातीय जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक हो साथ ही जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार 35 प्रतिशत या उससे निम्न को शामिल किया गया है। यह योजना (पीटीजी) क्षेत्र व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है। यह योजना गैर–सरकारी संगठनों और स्वायत समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

4.6 अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को सहायता प्रदान करना

इस योजना का उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पंहुच को बढ़ाने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र मे स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र मे कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों मे इन सेवाओं को अंतराल को भरना है। इस योजना के तहत सरकार 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है। और 10 प्रतिशत लागत गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से वहन करनी होती है। यह योजना परियोजना की क्षेणियां, जैसे आवासीय शिक्षा की संस्थाए और गैर शिक्षा की संस्थाए की एक सूची प्रदान करती है।

4.7 अनुसंधान और प्रशिक्षण पर योजना

योजना के तहत अनुसंधान और प्रशिक्षण मंत्रालय तीन घटकों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

i. अनुसंधान और विकास अध्ययन, सेमिनार, और कार्यशाला आदि के आयोजन के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को पचास–पचास की साझेदारी के आधार पर आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान प्रदान करती है।

ii. भारतीय विश्वविद्यालयों मे पंजीकृत 100 प्रतिशत आधार पर आदिवासी छात्रों को अनुसंधान छात्रवृति का पुरस्कार प्रदान करती है।

iii. आदिवासी मामलों, यात्रा अनुदान और आदिवासियों पर पुस्तकों के प्रकाशन के लिए गैर–सरकारी संगठनों/ विश्वविद्यालयों आदि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर अखिल भारतीय या सभी अंतर राज्य प्रकृति की परियोजनाओं का समर्थन करना।

4.8 आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) के विकास की योजना

17 राज्यों और 1 संघ राज्य अंडमान निकोबार मे कृषि स्तर की तकनीक के आधार पर, निम्न साक्षारता दर या घट रही या स्थिर आकड़ों के आधार पर 75 आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) के रूप मे वर्गीकृत किया गया। इन समूहों की असुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए, पी°टी°जी के संपूर्ण विकास के लिए एक वर्ष 1998–99 मे केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। यह योजना बहुत ही लचिली है, और शिक्षा को भी आवरण करती है इन योजनाओं मे राज्य सरकार और गैर– सरकारी संगठन के प्रयासों के बीच तालमेल की परीकल्पना की गई है।

4.9 अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृति तथा पुस्तक-बैंक योजना और विदेशी छात्रवृति

यह योजना पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना मंत्रालय से राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्राधिकारी प्रशासन द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करता है। इस योजना मे सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने व्यावसायिक, गैर–व्यावसायिक, तकनीकी, तथा चिकत्सा, कानूनी, कृषि, पशु–चिकत्सा, दूरस्थ एव सतत शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों मे बुक–बैंक वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। यह अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए स्नातकोत्तर, अध्ययन के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों मे शैक्षणिक संस्थानों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृति योजना (आरजीएनएफ**)** यह योजना 2005–06 को आरंभ की गई थी, योजना के तहत, एम,फिल एव पीएच–डी मे नामांकन छात्रों को अध्येतावृति प्रदान की जाती है। इस योजना की अध्येतावृति की अधिकत्तम अवधि 5 वर्ष है। हर वर्ष 667 अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अध्येतावृति प्रदान की जाती है। योजना जनजातीय मंत्रालय की तरफ से विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

4.10 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन और कोचिंग के लिए योजना

यह योजना वंचित तथा सुविधाहीन परिवारों से आने वाले अनुसूचित जनजाति के छत्रोंकों सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभपद पृष्टभूमि के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने मे मुश्किल होती है। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं मे सफल होने के बेहतर मौके देने के लिए और एक से अधिक स्तरों पर खेल के मैदानों को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय वंचित अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण संस्थाओं योजनाओं का समर्थन करता है।

यह योजना अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षा, सिविल सेवा/राज्य सिविल सेवा अन्य परीक्षाएं जैसे कि व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे चिकत्सा, इंजीनियरिंग/बैंकिंग/कर्मचारी चयन आयोग /बीमा कंपनिया/रेल बरती परीक्षा आदि के लिए मुफ्त कोचिंग का समर्थन करती है। इस योजना के वित्तीय मानदंडो को 2007–08 के दौरान संशोधित किया गया है। इस योजना मे कोचिग फीस शामिल है, इस योजना मे कोचिंग अवधि मे प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के छात्र को प्रतिमाह 1000 और बाहरी छात्र को 2000 रुपये प्रत्येक अनुसूचित जनजाति साथ ही भोजन और अस्थायी आवास शुल्क भी प्रदान करती है।

सरकार की योजनाओं के प्रभाव

अनुसूचित जनजातियों मे समग्र साक्षरता 1961 मे 8°53 प्रतिशत से बढ़कर 2011 मे 49.35 प्रतिशत हो गई। जो काफी सुधार दर्शाती है लेकिन अभी भी सामान्य महिलाओं की तुलना मे अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर कम है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता के संदर्भ मे विकास दर अपेक्षाकृत कम है लेकिन केंद्र सरकार के स्तर और राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजाति के समूहों द्वारा सहभागिता के समय और प्रयासों के साथ, जनजाति महिलाओं के मध्य शैक्षिक स्तर का परीदृश्य मे परिवर्तन आ रहा है। भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार जनजातीय महिलाओं के लिए साक्षरता दर 18.19 प्रतिशत थी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार यह 49.53 प्रतिशत थी, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है। हम देखते है कि वर्ष 1961 मे बदलाव जनजातीय महिलाओं कि साक्षरता दर मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1961 मे सिर्फ 3.16 प्रतिशत था और 2011 मे 49.35 प्रतिशत तक पहुँच गया है। जो लगभग 11 गुना बढ़ गया है। जबकि सामान्य महिला साक्षरता दर 1961 मे 15.35 प्रतिशत से बढ़कर 2011 मे 65.46 हो गई है, इस प्रकार 35 गुना बढ्ने का अनुमान है। निम्नलिखित तालिका मे साक्षारता दर की तुलनात्मक व्याख्या पिछले चार दशकों की प्रस्तुत है।

सरकारी शिक्षा योजनाओं से गोंड महिलाओं को लाभ

परिवार की शैक्षिक अवस्था एक तरह से आर्थिक स्थिति का उपाय है। कोई निशिचत मानक तक संदेह नहीं है कि गोंड बेटों और बेटियों को मुफ्त शिक्षा की सुविधा है। फिर भी कुछ परिवार अपने बेटियों को स्कूल और कॉलेजों को भेजने के लिए तैयार नहीं है और कुछ नौकरियां लेने और परिवार की भलाई के लिए अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए कहा जाता है। वर्तमान मे गोंड जनजाति के शैक्षिणिक रुझानों के बारे मे नीचे दी गई तालिका मे प्रस्तुत किए गए हैं।

(तालिका संख्या – 15) शिक्षा योजनाओं से लाभ और उत्तरदाताओं के शैक्षिक रुझान

	प्रश्न	उत्तरदाताओं की संख्या		
		हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं
1	क्या अपने अपनी लड़कियों को कॉलेज भेजना शुरू कर दिया है?	23.5	74.5	0.2
2	क्या आप वयस्क साक्षरता योजनाओं मे शामिल हो गए है?	37.5	62.5	––
3	क्या आप अपनी बेटियों को कॉलेज मे शामिल होने की अनुमति देते है?	30.0	67.5	2.5
4	क्या आपके लड़कियों को किसी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता मे भाग लेती है?	8.5	73.0	2.0

उपरोक्त तालिका इंगित करता है कि देवरिया जिले मे 23.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। और 37.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वयस्क शिक्षा योजनाओं मे भाग लिया है। जबकि उत्तरदाताओं के 30.0 प्रतिशत ने उच्च शिक्षा के लिए अपनी बेटियों को भेजने की इच्छा व्यक्त की, जबकि 8.5 प्रतिशत उत्तरदताओं ने संकेत दिया कि उनके परिवार मे लड़कियां ने प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता मे भाग लिया।

उपरोक्त तथ्यों का अर्थ यह है कि गोंड जनजाति एक प्रगतिशील, प्रबुद्ध और शैक्षिक रूप से मजबूत समुदाय बनने के लिए तैयार है निंर्णय लेने मे महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से चूंकि एक समुदाय के सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली साधन के रूप मे शिक्षा को मान्यता दी जाती है, इसलिए गोंड महिलाओं की शिक्षा मे बढ़ती दिलचस्पी निस्संदेह एक उत्साहजनक संकेत है, और मुख्य रूप से शिक्षा के परसर के कारण है कि गोंड खुद को अंधविश्वास और रूढ़िवादी से मुक्त करने की सोच रहा है।

सरकारी स्तर पर, शैक्षिक विकास कि प्रक्रिया मे तेजी लाने के लिए नियोजित जनजातियों के मध्य महिला साक्षारता मे सुधार के प्रयास किए गए है। कल्याण मंत्रालय ने आदिवासियों के मध्य साक्षारता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की है। आदिवासी महिलाओं की शैक्षणिक अवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त योजनाओं को बनाने के लिए जमीनी हकीकत पता लगाने के लिए अनुसंधान अध्ययन भी एक साथ किए जा रहे है। विभिन्न प्रकार जैसे छात्रवृति, प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि के प्रोत्साहन – आदिवासी महिलाओं के शैक्षिक अभाव को कम करने के लिए, बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरकार अपने सानवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। हालांकि, नवीनतम उपलब्ध आकड़े एक बहुत गुलाबी तस्वीर नहीं पेश करते है। अगर सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का कोई अर्थ है, तो यह न केवल सरकरी विज्ञापनो के माध्यम से आदिवासी महलाओं के मध्य शिक्षा के विकास से जुड़ा हुआ है न कि वास्तव मे जमीन की वास्तविकताओं के मामले मे है।

व्यापक समाज मे महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एकमात्र साधन है। गोंड महिलाओं की शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तहत 200 गोंड महिलाओं पर एक सर्वेक्षण किया गया है। नीचे दिये गए उत्तरदाताओं के अनुसार विभिन्न मुद्दों पर विचारों को दर्शाया गया है।

देवरिया जिले मे जनजातीय महिलाओं की शिक्षा की समस्याएं

4.2 शिक्षा संबंधित समस्याएं

शिक्षा के मुद्दों पर गोंड महिला उत्तरदाताओं से पता चलने वाले विचार तालिका मे नीचे वर्णित है।

(तालिका संख्या-16) शिक्षा संबंधित समस्याएं

क्रमांक	मुद्दे	शैक्षिक समूह											
		निरक्षर			मध्यम साक्षरता			उच्च साक्षरता			कुल योग		
		हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं	हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं	हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं	हाँ	नहीं	कोई जवाब

1.	क्या आपको आदिवासियों की शिक्षा पर सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी है?	8	61	--	76	26	--	28	1	--	112	88	-
2.	क्या आपको लगता है कि शिक्षा योजनाएं फायदेमंद है?	52	15	2	89	11	2	29	--	--	170	26	4
3.	क्या आपको लगता है कि लड़कियों के लिए शिक्षा आवश्यक है?	63	2	4	95	3	4	28	--	1	186	5	9
4.	क्या आप सहशिक्षण प्रणाली के पक्ष मे है?	8	57	4	65	21	16	24	3	2	97	81	22

5.	क्या आपको लगता है कि शिक्षा के प्रसार के लिए बुनियादी सुविधाओं कि आवश्य कता है?	31	36	2	85	15	2	26	3	--	142	54	4

तालिका दर्शाती है कि उच्च साक्षरता समूह 96.5 प्रतिशत के मध्य आदिवासी शिक्षा पर सरकार की दर्शाती है, कि उच्च साक्षर समूह 96.5 प्रतिशत के मध्य आदिवासी शिक्षा पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे मे जागरूकता का स्तर और मध्यम साक्षरता गोंड महिलाओं 74.5 के मध्य है और निरक्षर गोंड महिलाएं इन योजनाओं 11.5 के बारे मे बहुत कम जानती है।

उच्च साक्षर उत्तरदाताओं मे शिक्षा के प्रति एक मजबूत स्थिति है क्योंकि उनमे से 89.7 प्रतिशत यह महसूस करते है कि शिक्षा के प्रसार के लिए बुनयादी सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। इस समूह के निकट मध्य स्तर का समूह है जहां 83.3 प्रतिशत इससे सहमत थे वही निरक्षर कक्षेणी मे केवल 44.9 प्रतिशत ने इस तरह कि आवश्यकता महसूस की है।

क्या शैक्षिक योजनाएं फायदेमंद है। इस संबंध मे उच्च साक्षर समूह के सभी उत्तरदाताओं की सहमति व्यक्त की है। मध्यम साक्षर समूह 87.3 प्रतिशत इससे साझा किया हालांकि निरक्षर समूह इसके बारे मे बहुत कम अक्ष्वस्त थे क्योंकि इस क्षेणी के 75.3 प्रतिशत उत्तरदाता इसके लिए सहमत थे।

यह ध्यान देने की आवश्यकता है, कि सभी समूह लड़कियों के लिए शिक्षा कि आवश्यकता महसूस कर रहे है। आने वाले समय मे गोंड समुदाय की लड़कियां की शिक्षा के भविष्य के लिए यह बहुत अच्छा संकेत है।

सह-शिक्षा प्रणाली के संबंध मे उच्च साक्षर समूह उत्तरदाता 82.8 प्रतिशत इसके पक्ष मे थे, जबकि मध्यम साक्षर समूह से 63.7 प्रतिशत और केवल 11.6 प्रतिशत निरक्षर समूह ने इसे पसंद किया।

आर्थिक सशक्तिकरण संबंधित मुद्दों पर साक्षात्कार

(तालिका संख्या-17) आर्थिक सशक्तिकरण संबंधित मुद्दों पर शैक्षिक स्थिति का प्रभाव

क्रमांक	मुद्दे	शैक्षिक समूह											
		निरक्षर			माध्यम साक्षर			उच्च साक्षर			कुल योग		
		हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं	हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं	हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं	हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं
1.	क्या आपका निजी बैंक खाता है	2	67	--	37	65	--	24	5	--	63	137	--
2.	क्या आपके द्वारा अर्जित धन खर्च करने कि स्वतंत्रता है?	25	42	2	65	36	1	26	3	--	116	81	3
3.	क्या आपके पास संपति की बिक्री का खरीद पर अधिकार है?	9	32	28	47	26	29	23	2	3	79	60	61
4.	क्या आप अपने नाम पर संपति दर्ज करने का आग्रह करते है?	25	26	18	79	21	2	27	2	--	131	49	20
5.	क्या	60	2	7	91	3	8	28	1	--	179	6	15

	आपको लगता है कि शिक्षा आजादी के लिए आर्थिक मदद करती है?												
6.	आर्थिक स्वतंत्रता क्या महिलाओं की स्थिति को बढ़ाती है?	60	2	7	100	--	2	29	--	--	189	2	9

उपरोक्त तालिका बताता है कि उच्च साक्षरता गोंड महिला उत्तरदाताओं 82.8 प्रतिशत की एक बहुत अच्छी संख्या मे बैंक खाता है। मध्यम साक्षरता उत्तरदाताओं 36.3 प्रतिशत की अच्छी संख्या मे बैंक खाता है लेकिन निरक्षर क्षेणी 2.9 प्रतिशत से भी कम उनके बैंक खाते को खोला गया है।

उनके द्वारा अर्जित धन खर्च करें मे स्वतंत्रता के संबंध मे उच्च साक्षर समूह के पास 80.7 प्रतिशत अधिक स्वतंत्रता है। अन्य दो समूहों अर्थात साधारण साक्षर समूह 63.7 प्रतिशत की तुलना मे निरक्षर समूह 36.2 प्रतिशत ही है।

संपति की खरीद या सही बिक्री के संबंध मे, उच्च साक्षर समूह की उनके मध्यम और निरक्षर समकक्षों पर एक स्पष्ट बढ़त है। उच्च साक्षर समूह के 79.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं को संपति की बिक्री और खरीद के लिए अधिकार दिये गए है। जबकि निरक्षण क्षेणी मे केवल 13 प्रतिशत लोगों ने लोगों ने इससे साझा किया है। मध्यम क्षेणी के 46.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने संपति पर अधिकार दिया है।

लेकिन जब संपति पर अधिकार के लिए आग्रह करने के सवाल पर उच्च साक्षर समूह से संपति का पंजीयन करने पर 93.1 प्रतिशत लोगों ने इसका समर्थन किया, जबकि निरक्षर समूह मे केवल 36.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं के नाम पर संपति दर्ज करने के पक्ष मे है। मध्यम साक्षर समूह मे 77.5 प्रतिशत जो अपनी संपति मे पंजीकरण दर्ज करने का आग्रह करते है।

एक सवाल के जवाब मे कि क्या उन्हे शिक्षा महसूस हो रही है, आर्थिक स्वतंत्रता मे मदद करता है, अधिकांश तीनों क्षेणियों के उत्तरदाताओं के बहुमत से ऐसा महसूस होता है। हालांकि, उच्च साक्षरता

क्षेणी मे जहां 96.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अधिक मजबूती से महसूस किया गया, मध्यम साक्षर उत्तरदाताओं ने कहा कि 89.2 प्रतिशत और अशिक्षित समूह 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मुक़ाबले यह सकारात्मक है।

समाज मे महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया मे उनकी भागीदारी जानना महत्वपूर्ण है। यह एक सामान्य दृष्टिकोण है। कि फैसले लेने की प्रक्रिया मे उनके ऊपरी हाथ के लिए पुरुष का आर्थिक योगदान उत्तरदायी है। लेकिन एक आदिवासी महिला की भूमिका उसके गैर–आदिवासी समकक्षों से अलग है।

शिक्षा से प्रभावित सामाजिक मुद्दों पर साक्षात्कार

आदिवासी महिलाओं को शैक्षिक और आर्थिक समस्याओं जैसी शिक्षा प्राप्त करने मे इतनी सारी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके समाज की पारंपरिक पद्धति और अन्य नियमों और रीति–रिवाजों के कारण उन्हे अपनी शिक्षा प्राप्त करने से रोकता है। अंत अनगिनत सामाजिक समस्याएं हैं जो नीचे दी गई है।

(तालिका संख्या-18) शिक्षा से प्रभावित सामाजिक मुद्दों पर साक्षात्कार

क्रमांक	मुद्दे	शैक्षिक समूह											
		अशिक्षित			मध्यम साक्षर			उच्च साक्षर			कुल योग		
		हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं	हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं	हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं	हाँ	नहीं	कोई जवाब नहीं
1.	क्या आपके पास अपनी शादी का फ़ैसला करने की स्वतंत्रता है?	38	25	6	79	21	2	27	1	1	114	47	9
2.	क्या आप पसंद करते हैं	21	35	13	83	19	--	29	--	--	133	54	13

	कि लड़कियों को 18 साल कि उम्र के बाद शादी करना चाहिए?												
3.	क्या आप अंतर कबीले या अंतर विवाह का समर्थन करते है?	5	35	29	33	55	14	15	11	3	56	101	46
4.	क्या आप विधवा विवाह के पक्ष मे है?	49	17	3	85	16	1	27	1	1	161	34	5
5.	क्या आप शादी से ज्यादा उच्च शिक्षा के पक्ष मे है?	--	21	48	29	65	8	25	1	3	54	87	59
6.	क्या आप दहेज	26		3	29	71	2	3	26	--	58	137	5

	प्रथा का समर्थन करते है?		40										

जब शादी के बारे मे फ़ैसला करने के बारे मे उनकी आजादी के बारे मे पूछा गया, तो सभी क्षेणियों मे बहुमत यह दर्शाता है कि उनके विवाह के बारे मे फ़ैसला करने मे उनके पास पर्याप्त स्वतंत्रता है। हालांकि, मध्यम साक्षरता 79 प्रतिशत लोग और उच्च साक्षरता 93 प्रतिशत है जबकि 55.1 प्रतिशत अशिक्षित क्षेणी मे है।

एक सवाल के जवाब मे कि क्या लड़कियों को 18 वर्ष कि आयु से शादी करनी चाहिए, उच्च साक्षरता क्षेणी के सभी उत्तरदाताओं ने ने इस बात का समर्थन किया है। वही मध्यम साक्षर क्षेणी भी 81.4 प्रतिशत उत्तरदाता इसके पक्ष मे थी। हालांकि अशिक्षित क्षेणी के केवल 30.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसका पक्ष लिया।

उच्च साक्षर समूह द्वारा अंतर–कबीले या अंतर–विश्वास को अधिक पसंद किया गया क्योंकि 51.7 प्रतिशत उत्तरदाता इस विचार के साथ चले गए। वही मध्यम साक्षर क्षेणी से 32.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसका समर्थन किया जबकि अशिक्षित क्षेणी के केवल 7.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसके साथ सहमति व्यक्त की।

विधवा विवाह के अनुमोदन को सभी क्षेणियों मे समर्थन किया गया, क्योंकि 93 प्रतिशत उच्च साक्षर, 83.3 प्रतिशत मध्यम क्षेणी के साक्षर और 71 प्रतिशत अशिक्षित क्षेणी ने इसका समर्थन किया।

यद्दपि आदिवासी समुदायों मे दहेज की प्रवृति अधिक नहीं है, फिर भी उच्च साक्षर क्षेणी ने इसके समर्थन मे नहीं है लेकिन 10.3 प्रतिशत लोगो ने इसका समर्थन किया है। मध्यम साक्षर क्षेणी 28.4 प्रतिशत और अशिक्षित क्षेणियों मे 37.6 प्रतिशत दहेज प्रथा के पक्ष मे है।

उच्च शिक्षा या शादी, इस सवाल के जवाब मे शादी को लेकर उच्च साक्षर क्षेणी ने 86.2 प्रतिशत लोगो ने शिक्षा का चयन किया। मध्यम साक्षर क्षेणी के मध्य 28.4 प्रतिशत लोगो ने इसका समर्थन किया। वही अशिक्षित क्षेणी ने विवाह के आधार पर उच्च शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया।

देवरिया जिले मे जनजातीय महिलाओं की शिक्षा की समस्याएं

देवरिया मे विशेष रूप से गोंड निवास करती है हालांकि देवरिया की महिलाओं और गोंड जनजाति कुछ हद तक जीवन के कुछ हिस्सों मे प्रगति की है, फिर भी इससे कई अनसुनी समस्याओं को जन्म दिया

गया है, और वह अभी भी वास्तविकता से समानता प्राप्त करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है सभी क्षेत्रों मे बहुसंख्यक आदिवासी महिलाए पिछड़े है, इसलिए इस क्षेत्र के अनुभवों के अधीन है। यह देखा गया है कि आदिवासी महिलाओं को ऊपरी वर्ग से संबंधित लोगों के पीछे बहुत पीछे है। साक्षात्कार के समय मे, वह अपने विचार व्यक्त करते है और किसी भी झिझक के बिना उत्तर दिया। इस साक्षात्कार के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि इतने सारे बाधाएं है, जिसके लिए महिलाओं कों उनके जीवन मे सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके कुछ परिवारों मे शिक्षा कोई वातावरण नहीं है। फिर भी हजारों लोगों का मानना है कि उन्हे अपनी लड़कियो को स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय भेजने आवश्यक है। इसलिए आदिवासी महिलाओं को उनकी शिक्षा प्राप्त करने मे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का अध्ययन किया गया है और निम्न शीर्षकों मे पता लगाया गया है।

आर्थिक समस्याएं

1. क्षेत्रीय अध्ययनों के दौरान यह देखा गया है कि सभी विशेषाधिकारों, वित्तीय और शिक्षा के क्षेत्र मे सरकार की सभी योजनाओं के बावजूद, आदिवासी महिलाओं के अधिकांश भाग अभी भी अशिक्षित है। साक्षत्कार लेने के बाद और उनके जवाबों का विश्लेषण करने के बाद यह देखा गया कि इन आर्थिक समस्या उनके पीछे के कारण कई कारकों के कारण होते है। वंचित खंड मे अधिकांश समाज का सबसे गरीब वर्ग भी है। प्रत्येक लड़की जो पैदा होती है उसे संभावित वेतन अर्जक के रूप मे देखना शुरू कर दिया जाता है और बहुत ही कम उम्र मे कम करते पाया जाता है, साथ ही लड़की को परिवार मे एक सहायता हाथ भी माना जाता है और कमाई का स्त्रोत भी मिलता है। इस संबंध मे, उच्च शिक्षा की लंबी प्रगति और इसके लंबे- फायदा लाभ एक दूरदराज के सपने जैसा दिखता है, इसके लिए उन्हे न तो धैर्य और न ही संसाधनों का इंतजार है।

2. उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे सबसे बड़ी बांधा यह भी है कि आदिवासियों के बहुसंख्य लोग गरीब परिवारों के है और गरीबी के कर्ण उनकी लड़कियों को घर या परिवार या दूसरों के खेत मे कम करना पड़ता है। क्योंकि उनके माता-पिता अपने श्रम पर निर्भर होते है। और उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय भेजने के बजाय अपनी अपने माता-पिता के साथ जीवन निर्वाह लिए धन अर्जित करना पड़ता है।

3. आदिवासी महिलाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय बंधाएं मुख्य जिम्मेदार कारक है। क्योंकि जनजातीय लोगों की वित्तीय स्थिति इतनी दयनीय है कि भले ही प्रावधान मे आदिवासी महिलाओं के नि: शुल्क शिक्षा के लिए जाता है, परिवार उनके स्वय शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चो को पूरा करने मे असमर्थ है। इसके अलावा उनके पास एक सवाल है कि क्या वह अपने माता-पिता कि कम आय मे योगदान करने के

लिए कुछ कमा सकते है। उदाहरण के लिए, मे संचालित क्षेत्र के तहत देवरिया जिले के सोहनपुर गाँव के गोंड समुदाय अपनी पंरपरा और संस्कृति के अनुसार जीवित है, साक्षात्कार के समय मे कुछ लड़कियां मिलती है जो केवल अपने परिवार कि आर्थिक कठिनाई के लिए नौकरानी सेवक के रूप मे रहती है।

4. आदिवासी लोगों कि वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और अधिकांश ग्रामीण इलाके इतनी कम विकसित स्थिति मे है कि वहाँ रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल है, यहाँ तक कि जीवन की निम्न जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम धन अर्जित करने मे सक्षम नही है। उन्हे अपनी उच्च शिक्षा के लिए अपनी लड़कियों को भेजने का सवाल भी उन सभी के लिए पैदा नहीं होता है।

5. आदिवासी समाज मे बंधुआ श्रम की प्रणाली थी। लेकिन अब कुछ हद तक इसमे सुधार हुआ है, और बंधुआ श्रम के बजाय श्रम के रूप मे या घरेलू काम मे सहायक के रूप मे और जनजातीय समुदाय कृषि क्षेत्र का काम करते है। इन पद्धतियों के अनुसार, महिला बच्चे अन्य परिवार गैर आदिवासियों के घर घरेलू क्षमिक के रूप मे रह रहे है। इस संबंध मे, परिवार मे उन्हे भोजन और आवास के अलावा कुछ नहीं मिलता। नतीजतन, यह लड़कियों की शिक्षा के लिए एक बंधा पैदा करता है।

6. आंखो देखा यह सच है कि आदिवासियों के बहुसंख्य लोग गरीब परिवारों के है और गरीबी कि मजबूरी के तहत उनकी लड़कियों को घर या परिवार के खेत मे परिवार की मदद करने के लिए काम करना पड़ता है। अपने माता–पिता के लिए धन अर्जित करना अपने श्रम पर निर्भर होते है, और उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज मे भेजने के बजाय अपनी आजीविका के लिए काम करते है। नतीजतन, गरीबी के कारण कई परिवार अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय नहीं भेज पाते है।

7. उनकी अस्वस्थ आर्थिक स्थिति के कारण, लड़कियों चूंकि वह छः साल की है, वह घर की सभी जिम्मेदारियों को लेने और बटईया (खेतों मे मजदूरी) के लिए प्रशिक्षित है। लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय जाने के बजाय, लड़कियों को पनि लाने, चारा इकट्ठा करना, “छोटी माँ की तरह परिवार की देख–रेख, खरपतवार और धन भूसी काटना, खाना बनाना, अन्य सभी घरेलू कम करे और परिवार के लिए कढ़ाई बुनाई भी करे। जब प्रशन शिक्षा क लिए आता है, वह अपने भाइयों के लिए बलिदान करने पर मजबूर है भले ही वह कई मामलों मे वह एक बेहतर छात्र साबित होती है, क्योंकि उनकी सेवकों को घर मे लेने के लिए होती है युवाओं की देखभाल या खेती करने मे मदद करना या कढ़ाई बुनाई के जरिये पैसे कमाना परिवार दोनों भाई व बहन के शिक्षा के लिए खर्च नहीं उठा सकते। कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, जो कि आदिवासी महिलाओं द्वारा रोजाना जीवन मे भी जरूरी है, लड़कियों के शिक्षा के रास्ते खड़ी हुई है। दरअसल, एक महिला आदिवासी के पास सुबह से पूरे दिन के माध्यम

से, महिलाओं को घर व बाहर के कार्य करने पड़ते है एक महाविद्यालय जाने की उम्र मे घरेलू व कृषि के कार्य करना पड़ता है। इसलिए बहन आमतौर पर अपने भाई के लिए बलिदान कर रही है और लड़कियों की शिक्षा के लिए यह समस्या पैदा हुई है।

8. आदिवासी महिलाएं अर्थव्यवस्था मे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भूमिका निभा रही है और पुरुषों से अधिक श्रम भी कर रही है। क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान यह देखा गया है कि अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों मे, एक व्यवसाय के रूप मे महिलाएं फल–सब्जियांअन्य खाने योग्य वस्तुओं कि ब्रिकी तेजी से बढ़ती जा रही है। आदिवासी महिलाएं केवल आर्थिक कठिनाइयों के लिए सोच रही है शिक्षा के लिए नहीं। हालांकि उनके पास रुचि और शिक्षा की उम्मीद है, फिर भी, उनके पास शिक्षा के लिए समय नहीं है

सामाजिक समस्याएं

आदिवासी महिलाओं को शैक्षिक और आर्थिक समस्याओं जैसी शिक्षा प्राप्त करने मे सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उनके समाज की पारंपरिक पद्धति और अन्य नियमों और रीति–रिवाजो के कारण उन्हे अपनी शिक्षा प्राप्त करने से रोकता है अंत अनगिनत सामाजिक संसयाओं को अध्ययन के माध्यम से उजागर किया गया है।

1. सामाजिक कुरीतियां : हमारा देश कई सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ अंधविश्वास है और आदिवासी समाज भी इन कुरीतियों से मुक्त नहीं है यह शिक्षा की कमी के कारण हैकि हमारे आदिवासी समाज के अधिकांश जनजातीय लोग अब भी कई सामाजिक बुराइयों के शिकार है। और अब भी कई आदिवासी लोग है, जो मानते है कि लड़कियों को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतत वह शादी करने के बाद अपने पति के साथ घरेलू काम करने चली जाएगी। दूसरी ओर, माता–पिता अपनी लड़कियों को सहः शिक्षा के पक्ष मे नहीं है। चूंकि लड़कियों और लड़को के सहभागिकता अभी भी संदेह मे है, इसलिए यदि एक जगह पर लड़कियों की शिक्षा के प्रवाधन नहीं है, तो वह शिक्षा से वंचित रहते है और अगर वह महाविद्यालय मे प्रवेश पाने के भाग्यशालि होते है, तो कुछ वर्षो के बाद शिक्षा छोड़ने के लिए उन्हे विभिन्न परिस्थितियों के कारण मजबूर किया जाता है। यह सामाजिक बुराइयों के प्रसार की वजह से है इस संबंध मे, यह संदेह लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।

2. माता पिता का नकारात्मक रवैया लड़कियों की शिक्षा के लिए बंधा पैदा करता है। क्योंकि, आमतौर पर माता–पिता अपने पुरुष बच्चे को ज्यादा महत्व देते है और उन्हे उनकी शिक्षा के बारे मे कोई झिझक नहीं लागत है। लेकिन लड़कियों की शिक्षा के मामले मे, वह विचार करते है कि लड़कियों कि शिक्षा से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती और महिलाओं की शिक्षा के लिए नकारात्मक रुख विकसित होता है।

3. परंपरागत प्रतिरोध– आदिवासी आबादी के सबसे वंचित वर्गों मे से एक है। आदिवासी जनसंख्या के कुछ वर्गो मे, उन्हे अलगाव से पीड़ित किया गया है। जंजातीय आबादी मे, आदिवासियों के अपने स्वय के कामकाजी समाज मे खुद अपना पंपरागत रिवाज है, और महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक वंचित वर्ग है। जनजातीय समाजों का बहुमत भी पितृसत्तात्मक हो गया है। और इस तरह महिला की स्थिति पुरुष के अधीन हो गई है। उनके पोषण, स्वास्थ और शिक्षा की स्थिति दयनीय है। इन सब के बावजूद आदिवासी महिलाओं ने घरेलू गतिविधियों के साथ–साथ बाजार मे उत्पाद की गई वस्तुओं की बिक्री का व्यवसाय मे भी शामिल है। इन सब के बाद उनके पास उच्च शिक्षा के लिए समय नहीं है क्योंकि वह अपने दिन–प्रटिडीन की गतिविधियों मे व्यस्त है। आदिवासी समाज की यह पंपरागत व्यवस्था, वास्तव मे उनकी उच्च शिक्षा मे प्रतिरोध है।

4. अब भी लड़कियों की उच्च शिक्षा की दिशा मे लोगों की उदासिनता है। जनजातीय गांवों के दूरदराज़ इलाकों मे, यह तर्क दिया जाता है कि यदि महिलाओं कों शिक्षित किया जाएगा, तो वह स्वतंत्र और चरित्रहीन हो जाते है। यही कारण है कि आदिवासी लोन शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने लड़कियों को महाविद्यालय नहीं भेजना चाहते है। यह पहलू स्त्री शिक्षा के पाठ मे वास्तव मे खड़ा है।

5. आदिवासी समाज मे शीघ्र विवाह आदिवासी महिलाओं की शिक्षा का भीषण कारक है। दूर– दराज और पिछड़े क्षेत्रों मे, लड़कियों की शुरुआती उम्र मे विवाह कर दिया जाता है। इसलिए लड़कियों की शिक्षा मे शादी की उम्र के साथ सकारात्मक संबंध है। यह शीघ्र विवाह आदिवासी महिलाओं की शिक्षा के विस्तार मे बड़ी बंधा साबित हो रही है। इसके अलावा उनकी समाजिकता मे महिलाओं की उनकी शिक्षा से ज्यादा जोर उनकी शादी पर दिया जाता है। इसलिए उनके माता–पिता अपनी बेटियों के विवाह के सभी जिम्मेदारियों से राहत पाने की कोशिश करते है। जब लड़कियों की शिक्षा के प्रति उड़सिनता के संबंध मे सवाल परिवार के प्रमुखों से किए जाते है, तो आमतौर पर यह एक सरल और सीधे उत्तर नहीं मिलता जाता है, तकनीकी ढंग से अनुवादित होने पर इसका उत्तर ऐसा है, जब लड़कियों की स्कूली शिक्षा के बाद उनकी शादी कर देनी चाहिए और इसलिए एक शिक्षित लड़की से से कमाई किसी भी तरह से संबन्धित परिवार की मदद नहीं कर सकती है। इसलिए लड़कियों की शिक्षा के लिए पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है।

सांस्कृतिक समस्याएं

आदिवासी महिलाएं शैक्षिक रूप से पिछड़े है गोंड जनजातीय महिलाओं का साक्षरता दर 48.4 प्रतिशत है तुलनात्मक दृष्टि से पुरुषो की साक्षारता दर 73.5 प्रतिशत है। यह देखा जा सकता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता है साक्षर पुरुषों की संख्या ममहिलाओं की संख्या से कई गुना है। अधिकांश जनजातीय लोग निरक्षर है। फिर भी वह शिक्षा की कमी के कारण अंधेरे मे रह रहे है। उनको शिक्षा के सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सचेत नहीं होते है। इसलिए, वह इसे अपने लड़कियो को

उच्च शिक्षा देने के लिए समय और धन की बर्बादी मानते है। उनकी सांस्कृतिक रवैया हमेशा किसी लड़की की नहीं बल्कि लड़के के पक्ष मे है। उनकी संस्कृति के अनुसार लड़कियो को घरेलू गतिविधियों मे प्रशिक्षित किया जाता है।

जागरूकता की कमी के कारण कई लड़कियों को स्कूल मे पढ़ाई करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। जब साक्षात्कार महिलाओं और उनके परिवार का किया गया तो यह पाया गया कि उनमे से कुछ स्कूल की शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। यह उनके माता–पिता के कारण ही है वह अपनी लड़की की शिक्षा के अपव्यय के लिए जिम्मेदार है, माता–पिता के विचार है, जब लड़की कमाई का स्त्रोत नहीं है तो लड़कियों की शिक्षा मे मे धन व्यय करने व्यर्थ है। इसलिए स्कूल की पढ़ाई व अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका नामांकन रद्द करा दिया जाता है। इस तथ्य का कारण है कि अभिभावकों को लड़कों के अपेक्षा मे लड़कियों से वित्तीय सहायता नहीं चाहिए होती है। दूसरी ओर लड़कियों की शिक्षा के लिए माता–पिता से महत्व की कमी, सुविधाओं की कमी, घरेलू गतिविधिया, लड़कियों के मध्य समायोजन और निराशा के कारण बनता है। इस तरह वह शिक्षा मे निरर्थकता और निरक्षरता मे चूक है।

माता–पिता की एक और निराशाजनक रवैया यह है कि उनकी लड़की शीघ्र विवाह के लिए तैयार और कुशल बने। यह देखा गया है कि उच्चतर शिक्षा के लिए जाने वाली अधिकांश आदिवासी लड़कियों का विवाह देरी से होती है, क्योंकि उनके माता–पिता उनके लिए उपयुक्त जोड़ी नहीं मिल पता है। इस कारण भी अभिभावक शीघ्र विवाह करने पर जोड़ देते है। उच्च शिक्षा के प्रति इस दृष्टिकोण ने आम तौर पर लड़कियों की शिक्षा को और अवरुद्ध किया।

दूरदराज़ के इलाकों मे रहने वाले आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के महत्व को नहीं जानते है। उनमे से बहुत से विचार करते है कि लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा ही पर्याप्त है। इस प्रकार का विचार लड़कियों की उच्चत्तर शिक्षा के खिलाफ है। फिर, उनमे से कुछ सोचते है। कि यदि उन्हे उन्हे उच्चत्तर शिक्षा की अनुमति दी जाती है, और अन्य पुरुष सदस्यों के साथ मिश्रित होने पर महिलाओं की चरित्र का नुकसान होगा। वह पूरी तरह से उनसे बात करने के मेल सदस्यों के साथ मिश्रण को स्वीकार नहीं कर सकते है। इस संबंध मे, अगर लड़कियों का कॉलेज न होने से तो वह आमतौर आपण बड़े लड़कियों को भेजने के लिए झिझक महसूस करते है। आदिवासी दूरदराज़ के इलाकों मे रहने वाले लोग सरकार द्वारा शुरू किए गए कई विशेषधिकरों के समान रूप से अनजान है, ताकि उनकी बहुत कुछ बेहतर हो सके।

संदर्भ ग्रंथ

1. सोमालता वर्मा. 2011 सी.एच चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। शोध प्रबंध, महिलाओं की शिक्षा और परिवर्तन स्थितिः उतारांचल के थारू जनजाति का एक सामाजिक अध्ययन।

अध्याय- पाँच

निरीक्षण और निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन के लिए गोंड महिलाओं की शैक्षिक स्थिति पर को जानने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए उत्तरप्रदेश के देवरिया जिले मे गोंड महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास गया है। सूचना आकड़ों के विभिन्न पहलुओं को एकत्रित किया गया, दोनों माध्यमिक स्त्रोत और प्राथमिक स्त्रोत से निरीक्षण और निष्कर्ष इस अध्याय मे प्रस्तुत किए गए है।

माध्यमिक स्त्रोत का परिणाम

5.1 गोंड जनजाति की पारंपरिक स्थिति

- ज़्यादातर आदिवासी समाजों मे महिलाओं को एक उच्च और सम्माननीय जगह मिलती है। जहां वह गर्व से देश की ओर से मुक्त हो जाती है, खेतो मे और जंगल मे वह अपने पति के साथ खुशहाल साथी के साथ कम करती है, इसलिए उसे बच्चे पालने व घर तक ही अधीन नहीं किया जाता है, वह आमतौर पर अठारह की उम्र के बाद ही शादी करती है, और अगर उनकी शादी असफल होती है (जो शायद ही कभी) उसे तलाक लेने का अधिकार है।
- आमतौर पर आदिवासी महिलाएं एक बोझ नहीं समझी जाती है। वह गैर–आदिवासी समाजों के विपरीत उनके सामाजिक जीवन से संबंधित सभी पहलुओं मे अपेक्षाकृत स्वतंत्र हाथ का पाया जाता है। सामान्य रूप से आदिवासी महिलाओं और हिंदू जाति की महिलाओं की तुलना मे, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों मे अधिक स्वतंत्रता का आनंद लेती है। परंपरागत और प्रथागत आदिवासी मानदंड अपेक्षाकृत महिलाओं के लिए उदार है।
- गोंड जनजाति मे महिलाओं का प्रभुत्व, उनके पति के अपने व्यापार वार्ता मे उनकी सक्रिय भूमिका रही है। इन सभी स्थितियों मे मातृशक्ति समाज को मजबूत किया गया है और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ती है। गोंड महिला की स्थिति सामान्य महिला से अधिक स्वतन्त्रता है। भीड़ भरे बाज़ारों और मेलों मे अधिकांश महिलाएं बिक्री करती है।
- परिवार की अर्थव्यवस्था पर उनका नियंत्रण मुख्य कारण है कि उनकी स्थिति प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। यह भी परिवार के जीवन का आधार था। इसका मतलब यह भी था कि स्त्रियों ने इन संसाधनों पर पुरुषों की तुलना में अधिक काम किया, और इस तरह उन्हें नविनीकरण के रूप में बनाने में एक बड़ा निहित स्वामित्व है।
- गोंड की विधवा अपने मृतक पति के भूमि और अन्य संपत्ति को विरासत में मिली है। वह एक आदमी को घरबीता (नौकर–पति) के रूप में एक ही समय में रख सकते हैं।

गोंड महिलाओं की बदलती स्थिति

सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। युवा पीढ़ी की तुलना मे पुरानी पीढ़ी से संबंधित गोंड के बीच निरक्षरता की मौजूदगी ज्यादा है। महिला साक्षरता के मामले मे आश्चर्यजनक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। यह साक्षरता और शिक्षा का परिणाम है। इस प्रकार यह विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रगतिशील संकेत के रूप मे माना जा सकता है। यह सकारात्मक परिणाम यह है कि साक्षरता कि दर मे वृद्धि हो रही है जो रोजगार और विकास शहरीकरण के प्रभाव के कारण कई मामलों में, आदिवासी पुरुष शहरी केंद्रों में आए और वहां बस गए। वह वापस पत्नी के गांव में नहीं गए और इसलिए उनकी पत्नियां पति के निवास में आकर बसने लगीं है। इसने पैतृक निवास का अभ्यास करने का मार्ग प्रशस्त किया जहां पति का एक प्रमुख स्थान है और पत्नी को अधीनस्थ मान लिया गया है। पति को अर्जित करता है और पत्नी उस पर निर्भर है।

इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप जिन पर उनकी स्थिति निर्भर करती है, महिलाओं को घर पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है और केवल घर के बाहर कोई उत्पादक काम किए बिना ही उनकी देखभाल करती है। वह परिवार को चलाने के लिए पुरुषों पर निर्भर हो जाते हैं क्योंकि वे एकमात्र आय अर्जक बन जाते हैं। उनका परिवार में निर्णय लेने की शक्ति थी, जब तक संसाधन संपूर्ण समुदाय के है। वह परिवार में मुख्य निर्णय निर्माता के रूप में, परिवार के हिस्से के रूप में नियंत्रित उत्पादन पुनर्वास के बाद एकमात्र 'पट्टा' भूमि स्वामित्व का एकमात्र रूप बनने के साथ, यह शक्ति उस व्यक्ति को और उसके बेटे से उसके बेटे को हस्तांतरित की जाती है। महिला परिवार की अर्थव्यवस्था में मुख्य निर्णय निर्माता बनना समाप्त हो जाती है और पुरुषों पर निर्भर होती है।

कुछ अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में जनजातीय महिलाओं के बड़े पैमाने पर अज्ञान, उन्हें आधिकारिक रूप से सामाजिक संगठन और सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न तरीकों में शामिल होने और उनकी सहभागिता को रोका जाता है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय महिलाओं को कुछ नए राजनीतिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में पता नहीं है और भले ही उनमें से कुछ हो, वे अपने उदाहरण में नई प्रणाली का हिस्सा बनने का मौका नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए, जनजातीय महिलाओं को आधिकारिक तौर पर संवैधानिक पंचायती राज निकायों के सदस्य के रूप में चुना जाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए निर्वाचित महिलाओं की संख्या शायद ही कम है। इस प्रकार की गैर–भागीदारी गांव के स्तर और उससे आगे के स्त्रियों को उचित सौदा करने के लिए एक बाधा है।

निरक्षरता और कम शिक्षा के स्तर के कारण आदिवासियों को कुशल नौकरियां नहीं मिल सकीं। इस प्रकार वे एक कमजोर कार्य बल बनाते हैं, जो शोषण के लिए खुले हैं। उनके लिए केवल कम अकुशल रोजगार उपलब्ध है। इस कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति बिगड़ती है।

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया गोंड महिलाओं की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। आधुनिकीकरण ने गोंड महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, एक नई जीवन शैली प्रदान की है, लेकिन ये लाभ परिवार और समुदाय में अपने कुछ अधिकारों को खोने की कीमत पर आए हैं। गोंड पुरुष महिलाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में और दुनिया भर में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आंदोलन एक समय था जब गोंड समुदाय में महिलाओं की स्थिति विपरीत दिशा में बढ़ रही है क्योंकि पुरुष सक्रिय रूप से अपनी शक्ति और स्थिति को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, कुछ नियम और नियम प्रणाली को सुधारने और सुधार करने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणाली में शामिल किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में, ये नियम और नियम महिलाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने की तलाश करते हैं, जो गोंड पुरुषों को उनकी महिलाओं के सामने एक प्रमुख स्थान देता है।

आदिवासियों के लिए शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी योजनाएं

भारतीय संविधान के संस्थापक पिता आदिवासी की समस्याओं से अवगत थे। इसलिए, उन्होंने अपनी सुरक्षा और विकास के लिए विशेष प्रावधान किए। मुख्य सुरक्षा उपायों में शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण शामिल है। वित्तीय सहायता प्रदान करने के बाद भी, आदिवासी लोग शिक्षा और कौशल की कमी के कारण अपनी आर्थिक स्थिति को मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिए, शैक्षिक विकास के लिए कार्यक्रम आवश्यक महसूस किया गया है।

आदिवासी सरकारों में शैक्षिक सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलते हैं। वह निम्नलिखित है

- साक्षरता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान के तहत अनुदान।
- लड़कियां छात्रावास और लड़का छात्रावास।
- जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।
- निम्न साक्षरता जिले में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के बीच शिक्षा को सुदृढ़ करना।
- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन के लिए अनुदान सहायता।
- अनुसंधान और प्रशिक्षण पर योजना।
- आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजीएस) के विकास की योजना।
- अनुसूचित जनजातियों, पुस्तक बैंक योजना और विदेशी छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति।
- अनुसूचित जनजाति छात्रों की मेरिट का उन्नयन और कोचिंग के लिए योजना।
- अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग।
- इस क्षेत्र में शैक्षिक सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं हैं।

- साक्षरता योजनाओं का कार्यान्वयन
- स्कूल भवनों का निर्माण
- गैर–नामांकन, ड्रॉप आउट और अनुपस्थिति को कम करने के उपाय
- पुस्तक सहायता
- पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए अनुवृत्ति
- फर्नीचर और शिक्षण सामग्री के लिए अनुवृत्ति
- 15 से 35 साल की आयु वर्ग के लिए वयस्कों के लिए अर्धकालिक खोलने का अवसर
- 15 से 35 साल की आयु समूह के लिए अंशकालिक वयस्क शिक्षा केन्द्रों का उद्घाटन
- युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण का संगठन
- प्रशिक्षुओं के लिए छात्रवृत्ति

वर्तमान सर्वेक्षण की खोज

उत्तरप्रदेश के देवरिया जिले में शोधकर्ता द्वारा विभिन्न मुद्दों पर गोंड महिला पर शिक्षा के प्रभाव के स्तर का पता लगाने के लिए 200 गोंड महिला उत्तरदाताओं पर किए गए व्यक्तिगत सर्वेक्षण के निष्कर्ष और टिप्पणियां यहां दी गई हैं।

गोंड महिला की सामाजिक – आर्थिक पृष्ठभूमि

उत्तरदाताओं (56.0 प्रतिशत) की बड़ी संख्या में रहने वाले हैं, जो किसानों में भी व्यस्त हैं और उत्तरदाताओं (13.5 प्रतिशत) के एक छोटे से क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से आते हैं। उत्तरदाताओं का दूसरा सबसे बड़ा समूह, जो कुल नमूना आकार के 30.5 प्रतिशत का गठन करता है, निजी क्षेत्र से है।

गोंड महिला उत्तरदाताओं (45 प्रतिशत) का बहुमत प्रति वर्ष पच्चास हजार रुपये से कम के बीच अर्जित करता है। दूसरे सबसे बड़े समूह में साठ प्रतिशत से लेकर सत्तर हजार के बीच 37.5 प्रतिशत की कमाई होती है। 22.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सत्तर हजार या उससे अधिक वार्षिक कमाई का हवाला दिया।

उत्तरदाताओं का सर्वाधिक प्रतिशत यानी, 58.5 प्रतिशत संयुक्त परिवारों का था। उत्तरदाताओं के बीच परमाणु परिवारों की संख्या 41.5 प्रतिशत बढ़ी है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने साक्षात्कार किया, परिवारों में रहते हैं जहां पुरुष परिवार का मुखिया है। 200 उत्तरदाताओं में से पांच घरों में रहते थे जहां महिला परिवार का मुखिया था।

अवलोकन

गोंड महिला उत्तरदाताओं का मुख्य रूप से गृहिणियां एक साथ कृषि गतिविधियों में संलग्न होती हैं जिससे नकदी के मामले में कमाई नहीं होती है। हालांकि, निजी ठेकेदारों या राज्य भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, इसलिए महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और निजी क्षेत्र या व्यापार क्षेत्रों में नौकरियों में लगी हैं।

1. गोंड महिलाओं मे साक्षरता का स्तर पुरुषों की तुलना मे बहुत कम है।
2. गोंड जनजाति की महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण निरक्षता भी है। निरक्षरता का मुख्य कारण गरीबी व शिक्षा के प्रति उदासिनता भी है।
3. अधिकांश गोंड जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करते है। और आवागमन के साधन न होने के कारण महिलाएं उच्च शिक्षा नहीं कर पाती है।
4. गोंड जनजाति का मुख्य व्यव्साय कृषि है।
5. ग्रामीण क्षेत्रो मे गोंड जनजाति के अधिकांश लोग भूमिहीन मजदूर है।
6. महिलाए मुख्य रूप से कृषि कार्य और कृषि– भिन्न कार्यों से परिवारिक आय मे वृद्धि करती है।
7. जनजातीय छात्रों का नामांकन व्यवसायिक, चिकित्सा और इंजीनियरिंग, कृषि विज्ञान आदि मे बहुत कम है।
8. सामान्य जाति की तुलना मे आदिवासी छात्र छात्राओं की प्रवेशित संख्या भी विश्वविद्दालयों मे भी बहुत कम है।
9. शिक्षा पद्धति आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित नहीं कर पाती।
10. गरीबी उन्मूलन महिलाओं के विकास के लिए सरकरी योजनाओं की जानकारी भी उन्हे ज्ञात नहीं है।
11. 1991 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति की समग्र साक्षरता दर 20 प्रतिशत से बढ़कर 2001 की जनगणना में 35.1 प्रतिशत हो गई, और 2011 मे साक्षरता दर 55.7 प्रतिशत हो गई।
12. सुधार के बावजूद, अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर सभी जनजातियों को एकत्रित 55.7 फीसदी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। राष्ट्रीय स्तर पर सभी अनुसूचित जनजाति पुरुषों की साक्षरता 67.1 प्रतिशत और महिलाओं की 43.7 प्रतिशत दर्ज की गई पुरुष की तुलना में और महिला साक्षरता दर (43.7 प्रतिशत और 20.7 प्रतिशत) काफी कम हैं।
13. उत्तर प्रदेश मे 2011 मे ग्रामीण क्षेत्रों मे महिला साक्षरता का प्रतिशत 42.3 तथा शहरी क्षेत्रों मे 58 प्रतिशत है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के तुलना मे शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत अधिक है।

14. देवरिया जिले मे अनुसूचित जनजातियों मे गोंड जनजाति जौनसारी ने समग्र साक्षरता दर (61.2 प्रतिशत) दिखायी है, जिसमे पुरुषों की साक्षरता दर 73.5 प्रतिशत और महिलाओं की 48.4 है जो राज्य औसत की तुलना मे अधिक है गोंड जनजाति के अलावा केवल भोटिया महिलाओं की साक्षारता दर 49.4 जो अन्य जनजातिय महिलाओं की तुलना मे अधिक है। सभी जनजाति ने राष्ट्रीय औसत (प्रतिशत) की तुलना में महिला साक्षरता दर कम दिखाया है।
15. अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि महिलाओं शिक्षा का स्तर को, उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है।

समस्याओं के निदान हेतु सुझाव

जनजातिय महिलाओं के विकास के लिए साक्षरता रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा योजनाओं को बनाना आवश्यक है। इसके साथ निम्न सुझाव भी प्रस्तुत हैः

- सर्वेक्षित क्षेत्र मे यह पाया गया है कि एक ही परिवार के कुछ सदस्य साक्षर और कुछ निरक्षर है। और उनमे से किसी ने उच्च शिक्षा के लिए नामांकन करवाकर विश्व विद्यालय जाना भी छोड़ देते है। इसका कारण अध्ययन के प्रति रुचि न होना भी एक कारण है। अंत यह आवश्यक भी है कि ऐसे क्षेत्रों मे उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है। इससे लोगों कि अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी।

- महिला साक्षारता के प्रसार मे निर्धनता प्रमुख बंधा है। अध्ययन मे आय और शिक्षा का धनात्मक संबंध पाया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भी योजनाएँ आदिवासियों मे साक्षरता को बढ़ाने के लिए बनाए गए है वह प्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों की साक्षारता को प्रभावित करते है। यह आवश्यक है कि इस योजनाओं को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है।

- अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिला साक्षरता के प्रयास मे महाविद्यालययीन शिक्षा मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों मे होने के कारण ग्रामीण महिलाओं की तुलना मे शहरी महियालों की साक्षरता दर मे वृद्धि हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महाविद्यालययीन शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों मे करने की आवश्यकता है।

- अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सभी साक्षर महिलाओं ने सरकारी छात्रवृति का उपयोग नहीं किया है। ग्रामीण इलाकों के लोगो मे सरकारी छात्रवृत्ति के प्रति अधिक जागरूकता नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि छात्रवृत्ति के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। सरकारी छात्रवृत्ति साक्षरता के प्रसार मे एक महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने की आवश्यकता है। छात्रवृत्ति राशि की वृद्धि साक्षरता के प्रसार मे एक प्रेरक का काम कर सकता है।

- यदपि सर्वेक्षित क्षेत्रों मे जहां महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत उच्च है लेकिन सर्वेक्षण मे यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि अभी भी महिला साक्षरता के प्रति घर के माता–पिता या अभिभावक उत्सुक नहीं दिखाई पड़ते है। अधिकांश महिलाएं अपने प्रयास से ही उच्च शिक्षा के लिए ही इस मुकाम तक पहुंची है। इससे यह स्पष्ट है कि गोंड जनजाति मे भी महिला साक्षरता के महत्व को अभी तक नहीं समझ सके है। अंत सरकारी व गैर– सरकारी प्रयासो की सहायता के माध्यम से साक्षरता की जागरूकता के लिए आकर्षक विज्ञापनो की मदद ली जा सकती है।

- भविष्य मे शैक्षिक संस्थाओं को खोलने पर ध्यान देना आवश्यक है। आदिवासी क्षेत्रों मे आवासीय सुविधाएं जैसे की महिलाओं के लिए छात्रावास सुविधाए आदि जिससे महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए 5 की॰ मी॰ की अधिक दूरी से आने वाले छात्र यंहा रह सके।

- इन क्षेत्रों मे ऐसे आर्थिक सहायता के लिए ओद्दोगिक प्रशिक्षण खोले जाए ताकि आदिवासी महिलाओं की जरूरतों को ध्यान मे रखा जा सके। वंहा उन्हे प्रशिक्षण प्राप्त हो और उस क्षेत्र मे वह अपनी अवश्यकता अनुसार रोजगार प्राप्त कर सके।

- सर्वेक्षण मे यह पाया गया है कि एक भी महिला का व्यवसायिक या चिकीत्सा शिक्षा के प्रति रुझान नहीं था सभी का महिलाओं का रुझान सरकारी नौकरी के प्रति था। अंत महिलाओं को चिकीत्सा और व्यवसायिक शिक्षा के प्रति भी रुझान की आवश्यकता है।

- जनजातियों मे शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक है कि साक्षारता के प्रसार के लिए प्रोड़ शिक्षा योजनाओं की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए स्वयसेवी संस्थाओं की मदद ली जा सकती है। इनका उद्देश्य न केवल उन्हे अक्षर ज्ञान करना बल्कि आस–पास की समस्याओं और वर्तमान की सामाजिक– राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति जागरूकता की भी अवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मान आरएस सिंह, जेपी और व्यास, एनएन (1988) : जनजातीय महिला और विकास रावत प्रकाशन, जयपुर।
2. मान आरएस सिंह, जेपी और व्यास, एनएन (1988) : जनजातीय महिला और विकास रावत प्रकाशन, जयपुर।
3. एल्विन कमेटी (1960)।
4. लर्नर, डैनियल 1962: द पासिंग ऑफ पारंपरिक सोसाइटी। द फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क।
5. ग्रिगसन, डब्लू। वी 1945: सी। वॉन फ्यूरर–हैमिन्दोर्फ, जनजातीय हैदराबाद, (हैदराबाद सरकार प्रेस), पी.वी.आई
6. रॉय बर्मन, बीके 1969: भारत में जनजातीय समुदायों की शैक्षिक समस्याएं, एसपी रूहेला (ईडी) में भारत में शिक्षितता के सामाजिक निर्धारक, जैन ब्रदर्स, नई दिल्ली, पृष्ठः 134
7. माथीस, जेए। 1978 में "ईसाई शिक्षा प्रयास भारत में", एबी शाह (एड।) में सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडियाः प्रोफेसर जेपी नायक, सहयोगी प्रकाशक, नई दिल्ली के सम्मान में निबंध।
8. फोस्टर, जीएम 1965: "किसान समाज और सीमित अच्छी छवि", अमेरिकी मानवविज्ञानी Vol.67, पृष्ठः 293-315।
9. अंबाष्ट, एनके 1970: जनजातीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अध्ययन एस चंद एंड को, नई दिल्ली, पृष्ठः 61-69
10. एन.एस.एस.ओ. 1991 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली।
11. नाइक टीबी 1969 भीलों पर शिक्षा का प्रभावः मध्यप्रदेश के जनजातीय जीवन में सांस्कृतिक परिवर्तन, अनुसंधान कार्यक्रम समिति, योजना आयोग, नई दिल्ली।
12. रेड्डी टी शंकर– आंध्र प्रदेश कोदर में जनजातीय महिलाओं के लिए विकास प्रयास आदि। 1996 पृष्ठ 22-24।
13. सिंह बदियानाथ प्रसाद – भारत में महिला शक्ति संसाधनों के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता – आदिवासी महिला कार्यबल बल का एक अध्ययन। आर्थिक मामलों खंड 34 या 3 सीपी .1989 पृष्ठ 201–207।
14. बर्मन बीके रॉय– भारत के विकास और जनजातीय महिलाओं के समूह। पृष्ठ 12–13

15. सचिदानंद- विकास के झुंड में जनजातीय महिलाएं, आर्थिक मामलों, पृष्ठ 80-85
16. भगतती, जगदीश 'शिक्षा वर्ग संरचना और आय समानता "विश्व विकास, (संख्या 5, मई 1973)।
17. चक्रवर्ती, एम और सी। सिंहोल, "जनजातीय शिक्षा की समस्या - विकास की कुंजी", पुरुष और जीवन। 14:1-2,1988 ।
18. घोष, किश्ले "जनजाति शिक्षाः एक मूल्यांकन" सामाजिक कार्य, खंड 3, जनवरी-मार्च 1986, पृष्ठ। 86
19. बुसु रात, "विवाहित महिलाओं का अधिकार और उनके प्रति दृष्टिकोणः जागरूकता और रवैया का मूल्यांकन," वयस्क शिक्षा के भारतीय पत्रिका, 48 (2) अप्रैल-जून 1987 पृष्ठ 44-50।
20. संध्या रानी, जी, एट अल (2011): भारत में जनजातीय महिला शिक्षा का विश्लेषण। सामाजिक विज्ञान और मानवता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत पेपर। सिंगापुरः आईएसीएसआईटी प्रेस, 2011.। छठी 507-VI-511।...
21. करलेकर मालविक, "भारत में महिला शिक्षाः कुछ बुनियादी मुद्दा" सामाजिक कार्य, खंड 86, जान-मार्च,1996 ।
22. कुंडू उषा, "शैक्षणिक महिलाओं की रोजगार स्थिति, योजना, जनवरी 1990, पृष्ठ.68।
23. मेहता बीएच, "जनजातीय महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा" तिमाही शिक्षा 21.1.1969।
24. मजूमदार डीएन, "गारो राजनीति की एक झलक", उत्तर पूर्वी मामलों, 1973।
25. पापा कोंडवेटी, "ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं"। कुघ प्रकाशन, इलाहाबाद-भारत 1992।
26. पटेल तारा। "आदिवासी महिलाओं के बीच शिक्षा का वितरण 'दिल्लीः मित्तल प्रकाशन 1984।
27. सुंदरम, के (2006): एनएसएस 55 वें दौर सर्वेक्षण, 1999 -2000 से उच्च शिक्षा के परिणामों पर पिछड़ापन और उचित पहुंच पर। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक। 16 दिसंबर 2006. पी 5173-5182।
28. शाह और पटेल 1985, op.cit इंडियन सचिदानंद और आरपी सिन्हा, 1989, शिक्षा और वंचित (उपपाल प्रकाशन सभा, नई दिल्ली)
29. डी.आर.वाई.डव, पावर जेआर, एसएम चौधरी "जनजातीय कृषि परिवारों की रोजगार आय और व्यय पैटर्न, सामाजिक परिवर्तन। जून वॉल्यूम 21 नंबर 2,1991, पृष्ठ .48-53।
30. आई.पी. देसाई, और चिटनीस, 1975, अनुसूचित कैस्ट और अनुसूचित जनजाति स्कूल और भारत के कॉलेज के छात्रः सारांश (आईसीएसएसआर, माइमोग्राफ)।
31. साधु एवी, और सिंह एक सी। "विभिन्न व्यवसायों के बच्चों के रोजगारः इसके प्रेस और कॉन का अध्ययन, वॉल्यूम। 20 नो 20 फीब 1983, पृष्ठ 15-23।

32. साहा आरएन "पोस्ट मैट्रिक शिक्षा में सेंट और एससी की उपलब्धि," सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान बुलेटिन 1974 पृष्ठ 10–12।
33. फिएरर–हैमिन्दोर्फ, क्रिस्टोफ वॉन, और एलिजाबेथ वॉन पुरेर–हैमिन्दोर्फ।, (1979), आंध्रप्रदेश के गोंडः एक भारतीय जनजाति में परंपरा और परिवर्तन। लंदनः जॉर्ज एलन और अनविन,
34. श्रीवास्तव। "निरंतर शिक्षा और जनजातीय विकासः जनजातीय क्षेत्र के पास थ्रो कॉलेज की भूमिका। वयस्क शिक्षा के भारतीय पत्रिका 1987
35. व्यास। एनएन, आरएस। मान, "संक्रमण में भारतीय जनजाति" कच्चे प्रकाशन जयपुर–दिल्ली 1980 पृष्ठ 25–63।
36. I.P. देसाई, चिटणीस, 1975, अनुसूचित कैस्ट और अनुसूचित जनजाति स्कूल और भारत में कॉलेज छात्रः सारांश (आईसीएसएसआर, माइमोग्राफ)
37. सेन साकिदानंद। "सेंट और एससी की शिक्षा में संरचनात्मक बाधाएं। बी में। भारत में चौधरी जनजातीय विकास, नई दिल्लीः अंतर भारत प्रकाशन 1982।
38. मेहता,बी एच। (1984), सेंट्रल इंडियन हाइलैंड्स के गोंडः गोंड सोसाइटी की गतिशीलता का एक अध्ययन। नई दिल्लीः अवधारणा प्रकाशन।
39. गुहा, बी एस (1936), भारत के पीपुल्स। भारत में आदमी, पृष्ठ 36: 28–30।
40. ए.के. राजनीति विज्ञान के वर्मा विभाग, क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर।
41. सोमालता वर्मा. 2011 सी.एच चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। शोध प्रबंध, महिलाओं की शिक्षा और परिवर्तन स्थितिः उतारांचल के थारू जनजाति का एक सामाजिक अध्ययन।